राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क ५] तृतीय विधान सभा के पंचम् सत्र, १९६४ का ४७ वां दिवस [संख्या ३७

मंगलवार, दिनांक ७ अप्रेल, १९६४

विधान सभा की बैठक म. पू. ८ बजकर २ मिनिट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

सार्वजनिक निर्माण, यातायात, देवस्थान, शिक्षा, उद्योग, समाज कल्याण, निर्वाचन व शक्ति विभाग

श्री अध्यक्ष : प्रश्न।

श्री हरफूल।

सपोटरा कुडगांव सड़क पर पुल निर्माण-कार्य

९१३. श्री हरफूल (खंडार) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सपोटरा से कुडगांव तक १५ मील सड़क का हिस्सा सन् १९५६ में बना था लेकिन ८ साल के अन्दर ही रोड की हालत खराब हो गई है ? यदि हां, तो इस रोड पर सरकार कब तक डामर डलवाने की मंजूरी प्रदान करेगी ?

(२) क्या यह सही है कि सपोटरा कुडगांव सड़क पर दो नदियां पड़ती हैं जिसके कारण वर्षा में ट्रेफिक रुक जाता है और यात्रियों को काफी परेशानी होती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इन दोनों नदियों पर पुल बनाने पर विचार कर रही है ? अगर हां, तो क्या बरसात के पहले पुल बन जावेंगे ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) सड़क की हालत अधिक अच्छी नहीं है। डामर किये जाने का कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

(२) जी हां। अधिक वर्षा का पानी आने पर यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

श्री हरफूल : बरसात में नाले की वजह से आवागमन अवरुद्ध हो जाता है और मुसाफिरों को बस से उतर कर पैदल इधर आना पड़ता है अपना सामान वगैरह सब अपने सिर पर ढोकर आना पड़ता है; बस उसमें से आ नहीं सकती।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : थोड़े समय के लिये बरसात में ऐसा हो जाता है। अर्थाभाव के कारण इस कार्य को हाथ में नहीं लिया जा सकता।

Page No. 2

प्रतापगढ़ रतलाम रूट की बसें

९१४. श्री हरलाल (प्रतापगढ़) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) जिला चित्तौड़गढ़, तहसील प्रतापगढ़ से रतलाम कितनी बसें चलती हैं ?

(२) क्या यह सही है कि ये बसें प्रतापगढ़ से अरनोद, दलोट, सालमगढ़, पीपलोदा होकर रतलाम जाती थी ?

(३) क्या यह सही है कि इस ओर चलने वाली बसों का परमिट प्रतापगढ़ से अरनोदा, दलोट, सालमगढ़, पीपलोदा होकर रतलाम जाने का है और ये बसें वापिस इन्हीं गांवों में से होती हुई प्रतापगढ़ आती हैं।

(४) क्या यह सत्य है कि इस ओर चलने वाली बसें अब सालमगढ़ होकर नहीं आती हैं जिससे वहां की जनता को आने-जाने की काफी परेशानी उठानी पड़ती है ? यदि हां, तो ये बसें सालमगढ़ होकर अब क्यों नहीं चलतीं ?

(५) क्या यह सत्य है कि इस विषय में सालमगढ़ की जनता की ओर से कई बार सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा गया था ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई तथा उनका क्या नतीजा रहा ?

उप-मंत्री, यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) तीन बसें चलती है।

(२) जी हां, केवल सालमगढ़ होकर नहीं जातीं।

(३) हां, यह सही है कि उपरोक्त बसें प्रतापगढ़ से रतलाम वाया पीपलोदा, सेलाना, अरनोद, बलोद से रतलाम जाती व वापिस आती हैं, क्योंकि सालमगढ़ परमिट में दर्ज नहीं होने के कारण उस रास्ते से न जाती हैं और न आती हैं।

(४) चूंकि परमिट सालमगढ़ होकर नहीं दिया हुआ है, अतः सालमगढ़ होकर बसें न जाने या चलने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(५) यह सही है कि सालमगढ़ की जनता का आवेदनपत्र प्राप्त हुआ है और इस मामले में तहकीकात की जा रही है। पूरी तहकीकात के पश्चात् मामला आर. टी. ए. में विचारार्थ रखा जायेगा।

श्री हरलाल : तीन में से कितनी चलती हैं, कितनी बन्द हैं ?

श्री भीमसिंह : धीरजमल, नवनीतकुमार और दूसरा है श्री हनुवेन्द्रचन्द्र धनचंद्र........

श्री हरलाल : क्या ये बसें गये साल सालमगढ़ होकर जाती थीं ?

श्री भीमसिंह : उनको परमिट तो नहीं मिला हुआ था, बगैर परमिट के आती हों तो बात दूसरी है।

श्री हरलाल : इसी साल बन्द हुई हैं। वहां पर पुलिस थाना है, मिडिल स्कूल हैं, वन विभाग का रेन्ज ऑफिस है, बड़ी मंडी है, वहां होकर जानी चाहिये।

Page No. 3

श्री भीमसिंह : सालमगढ़ न जावे इससे किसी का मतभेद नहीं है । जाने के लिए कार्यवाही की जा रही है । पर कायदे से परमिट में नाम दर्ज होकर जाना चाहिये और इसके लिए कार्यवाही जारी है ।

प्रश्न संख्या ९१५

श्री अध्यक्ष : श्री तेजाराम गहलोत ।

(अनुपस्थित)

फतह मेमोरियल सराय, उदयपुर ।

९१६. श्री देवीलाल (सराड़ा) : [श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) द्वारा पूछा गया] : क्या देवस्थान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) उदयपुर की फतह मेमोरियल सराय में ठहरने वाले व्यक्तियों को कितने दिनों के लिए कमरा दिये जाने का नियम है ?

(२) क्या यह सही है कि सराय के कमरा नम्बर ३४ में एकव्यक्ति १-१२-५९ से १३-५-६१ तक रहा ? यदि हां, तो वह व्यक्ति कौन है ?

(३) उक्त अवधि में वहां का मैनेजर कौन था ?

(४) उक्त कमरा नम्बर ३४ का इस अवधि में कितना किराया होता है और क्या मैनेजर ने किराया वसूल कर लिया ? यदि वसूल किया, तो कितना ?

(५) किराया क्या किसी क्लर्क के पास जमा हुआ ? यदि हां, तो वह क्लर्क कौन है ?

(६) क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में ऑडिट ने कोई ऑब्जेक्शन किया है ? यदि हां, तो किस आशय का और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

उप मंत्री, देवस्थान (श्री परसराम मदेरणा) : (१) फतह मेमोरियल में निम्नलिखित श्रेणी के कमरे हैं जिनके किराये की दर सामने अंकित की गई है:—

(१) स्पेशल क्लास के कमरे ४—५)रु. प्रतिदिन
(२) प्रथम श्रेणी के कमरे ४—३)रु. प्रतिदिन
(३) द्वितीय श्रेणी के कमरे १०—१.५० रु. प्रतिदिन (४) तृतीय श्रेणी के कमरे २७-चार रोज तक किराया नहीं लिया जाता है । केवल १५ नये पैसे प्रति दिन बिजली खर्च चार्ज किया जाता है । बाद में १५ नये पैसे प्रतिदिन के हिसाब से ३ दिन तक; इसके पश्चात् यानि सात रोज के बाद में ०.५० नये पैसे के हिसाब से प्रति दिन किराया अलावा बिजली के ०.१५ नये पैसे के हिसाब से खर्च चार्ज किया जाता है ।

(५) कॉमन हाल २—कोई किराया चार्ज नहीं किया जाता है ।

(२) कमरा नम्बर ३४ में दिनांक १।१२।५९ से १३-५-१९६१ तक श्री रामलाल अरोड़ा नामक व्यक्ति ठहरा था ।

(३) श्री आईदान आशिया, इन्सपैक्टर, देवस्थान विभाग, डिविज़न उदयपुर उक्त समय मैनेजर के पद पर कार्य कर रहे थे और दिनांक १५।१।६० तक कार्य किया । इसके बाद श्री पन्नालाल १६।१।६० से अब तक काम कर रहे हैं ।

(श्री परसराम मदेरणा)

(४) इस अवधि का किराया ३४० रु० ८० नये पैसे होते हैं जिनमें से २२ रु० ९५ नये पैसे वसूल होकर बकाया रकम रु० ३१७.८५ नये पैसे वसूल तलब रहते हैं, जिसकी कार्यवाही जारी है।

(५) श्री मोहनसिंह डांगी, क्लर्क, फतह मेमोरियल, उदयपुर ने किराये के २२ रु० ९५ नये पैसे प्राप्त होने पर रोकड़ में जमा कर रसीद दी थी। वह किराया किसी क्लर्क के पास नहीं रहता है, राज्यकोष में जमा हो जाता है।

(६) हां, यह सही है कि ऑडिट द्वारा इस सम्बन्ध में जो एतराज किया है वह कमरा नम्बर ३४ के किराया वसूली बाबत है जिसकी वसूली की कार्यवाही विभाग द्वारा की जा रही है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासींद): क्या यह सही है कि इतने लम्बे अर्से तक कोई आदमी सराय में ठहर सकता है बिना किसी इजाजत के?

श्री परसराम मदेरणा : मुझे कमरा नं० ३४ की श्रेणी नहीं दी गयी है कि कौन सी क्लास का कमरा था और उसमें कितने दिन तक कोई व्यक्ति ठहर सकता है, क्योंकि कमरा नम्बर २७ में बिजली के पैसे ही वसूल किये जाते है और यह आदमी बहुत लम्बे अर्से तक ठहरा है १-१२-५९ से १३-५-६१ तक; इसका मतलब यह है कि यह तृतीय श्रेणी में ठहरा होगा जहां कि केवल बिजली चार्ज की जाती है। अभी मैं डेफीनिट नहीं हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास : १।। वर्ष तक आदमी सराय में ठहरे और वह भी बिना इंजाजत के तो क्या सरकार इस पर ध्यान देगी? वह प्रथम श्रेणी का कमरा था।

श्री परसराम मदेरणा : पहली श्रेणी का कमरा नहीं है, यह तो आप कयास से कह रहे हैं। १।। साल तक ठहरा है और उसका कमरा तो दूसरा है जिसमें ठहरा है, लेकिन यह जानकारी मेरे पास नहीं आई है, और मैं जानकारी करके उत्तर दे सकता हूं।

श्री देवीलाल : अध्यक्ष महोदय, यह जवाब सही रूप से नहीं आया है, गोलमाल आया है। किराया नहीं लिया गया। ऑडिट रिपोर्ट में एतराज है। क्या ऑडिट रिपोर्ट मांगकर उस पर कार्यवाही की जायेगी?

श्री परसराम मदेरणा : ऑडिट रिपोर्ट, अध्यक्ष महोदय, मैंने मंगाने की कोशिश की थी और कल ही मैंने असिस्टेन्ट कमिश्नर, देवस्थान को कॉल किया लेकिन ऑडिट रिपोर्ट नहीं पहुंच पाई। अगर वह पहुंच जाती तो जिस मुद्दे पर एतराज हैं, मैं जानकारी दे सकता था।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय, इसकी भी जानकारी करके दें कि इतने अर्से तक रखने में किसी नियम का उल्लंघन हुआ है क्या?

श्री परसराम मदेरणा : जिसने परमीशन दी हैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जावेगी । गोलमाल की बात नहीं है।

श्री देवीलाल : विभाग ने सही जवाब नहीं भेजा है उसकी कार्यवाही होगी या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह ।

बम्बोरा हायर सैकन्डरी स्कूल भवन का निर्माण-कार्य

९१७. श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि बम्बोरा हायर सैकन्डरी स्कूल भवन के निर्माण के समय वहां के ग्रामवासियों ने दस हजार रुपये की रकम शिक्षा विभाग में जमा कराई थी ?

(२) क्या यह भी सही है कि विभाग ने वह रकम इस स्कूल के भवन निर्माण के लिए व्यय करने का आश्वासन ग्रामवासियों को दिया था ?

(३) क्या यह सही है कि इस स्कूल में कुछ भवन-निर्माण कार्य अभी भी बाकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रकम इस भवन के निर्माण के लिए किसी कमेटी या पंचायत समिति के जरिये व्यय कराने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य): (१) जी हां।

(२) जी हां।

(३) जी हां, इस रकम को भवन निर्माण में खर्च करने के आदेश दे दिये हैं।

श्री जोधसिंह चौहान : क्या यह रकम ग्राम पंचायत को या कोई कमेटी बनाकर खर्च करने का प्रावधान सरकार करेगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पहले जो ग्रामवासियों का प्रतिनिधित्व करती है कोई संस्था, चाहे वह निर्माण समिति हो, अगर निर्माण समिति, भवन निर्माण समिति वहां है, तो उनके माध्यम से वहां खर्च कराया जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

तहसील अनूपगढ़ तथा पुगल क्षेत्र में सब्जी का ठेका

९१८. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) वर्ष १९५९-६०, १९६०-६१, १९६१-६२ व १९६२-६३ में अनूपगढ़ तहसील तथा पुगल क्षेत्र में सब्जी का ठेका किन-किन लोगों ने लिया तथा किस-किस दर पर। वर्षवार सूचना देने की कृपा करें।

(२) इन वर्षों में म्युनिसिपल बोर्ड, अनूपगढ़ द्वारा कितनी सब्जी पर चुंगी लीगयी तथा कितनी सब्जी रेल्वे द्वारा बाहर गई ?

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

(३) क्या उपरोक्त ठेकों का चौथा हिस्सा ठेकेदारों द्वारा ठेके के समय जमा करा दिया गया था ? यदि हां, तो प्रत्येक वर्ष में ठेकेदारों द्वारा कितनी राशि जमा करवाई गई ?

(४) क्या सरकार ने ठेके की उपरोक्त तीनों वर्षों की राशि ठेकेदारों को वापिस लौटा दी है ? यदि हां, तो कितनी राशि लौटाई गई है तथा क्यों ?

उप-मंत्री उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) अनूपगढ़ तहसील में १६५६-६०, ६०-६१ ६१-६२ व ६२-६३ में जिन-जिन लोगों को जिस-जिस दर पर सब्जी का ठेका दिया गया उसका नक्शा संलग्न है।

(२) अनूपगढ़ म्युनिसिपल बोर्ड ने सन् १६५६-६०, ६०-६१ व ६१-६२ में सब्जी पर चुंगी ली गई उसका नक्शा संलग्न है।

सन् १६६२-६३ में १५३५ मन २० सेर सब्जी बाहर जाने पर १६१.६४ न० पै० चुंगी के वसूल किये।

रेलवे द्वारा सन् १६५६-६०, ६०-६१ व ६१-६२ में सब्जी बाहर गई उसका नक्शा भी संलग्न है।

(३) ठेकेदारों द्वारा चौथाई रकम ठेका सब्जी उसी समय जमा कराई थी जो निम्नलिखित है :

१	१६५६-६०	२८,७५०.००	रू०
२	१६६०-६१	५७,६८७.५०	रू०
३	१६६१-६२	३६,२५०.००	रू०
४	१६६२-६३	४२,७५०.००	रू०

तीन चौथाई रकम जमा कराई गई।

(३) उपरोक्त चौथाई रकम में से निम्न लिखित रकमें वापिस लौटाई गईं क्योंकि ठेका पूर्ण नहीं हुआ।

५६--६०	२८,७५०.०० रू०
६०--६१	५७,६८७.५० रू०
६१--६२	--
६२--६३	--

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उत्तर मुझे प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री चन्दनमल वैद : I am sorry, अगर नहीं पहुंचा है तो यह लीजिए।

(प्रश्न का उत्तर माननीय सदस्यों को दिया गया)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, यह जो नक्शा चुंगी वसूली का दिया हुआ है और सब्जी एक्सपोर्ट हुई है यह भी काफी तादाद की राशि है और काफी सब्जी बाहर गयी है और कॉन्ट्रेक्टर्स को रकम भी बहुत सारों को वापिस कर दी गयी,

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

क्योंकि ठेका पूरा नहीं हुआ। तो इसका क्या कारण है? ठेका किस आधार पर पूरा नहीं हुआ उसके पूरे नहीं होने से आपकी क्या मुराद है?

श्री चन्दनमल वैद : उनके साथ जो एग्रीमेंट होना चाहिए वह वक्त पर नही हुआ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) यह एग्रीमेंट कितने वर्ष के लिए किया गया था?

श्री चन्दनमल वैद : मैं प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं कि हर साल ठेका दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : जब ठेका हर साल दिये जाने की व्यवस्था थी और कॉन्ट्रेक्ट पूरा नहीं हो सका तो फिर उसी पार्टी को दुबारा कॉन्ट्रेक्ट क्यों दिया गया?

श्री चन्दनमल वैद : दूसरी पार्टी को दिया गया।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : सारे ठेकेदारों ने सज्जी एक्सपोर्ट कर दी और मुनाफा कमाया, यह सरकार के ध्यान में है?

श्री चन्दनमल वैद : जब चुंगी ली गयी तो सज्जी जरूर बनी होगी।

श्री भैरोंसिंह : जिस समय ठेका दिया गया उसके खत्म होने में ठेकेदारों की तरफ से सूचना दी गयी थी कि उन ठेकों की शर्तें जो गवर्नमेन्ट को पूरी करनी चाहिए थी वह पूर नही हुई, क्या यह सही है?

श्री चन्दनमल वैद : शर्तों का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि अपोइन्टमेन्ट्स डिपार्टमेन्ट इसकी जांच कर रहा है और जिन ऑफिसर्स ने गलती की है उनको सजा दी जायेगी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, सन् १९५९-६० में १,१५,०००) रू० का ठेका हुआ, ६०-६१ में २,३१,१५०) रू० का हुआ और १९६१-६२ में १,४५,०००) रू० का और ६२-६३ में ५७ हजार का ठेका हुआ; जिसमें से चौथाई रकम २८,७५० रुपये वापिस कर दी गयी, ३६,२५० रुपये वापिस कर दिये गये। हर बार पूरी रकम वापिस कर दी गयी इसलिए कि ठेके पूरे नहीं हुए और चुंगी सारी सज्जी के ऊपर ली।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कह रहे हैं कि इसकी जांच करायेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, बिलकुल जालसाजी है। सज्जी काटी गयी है, सज्जी बनी है उसका एक्सपोर्ट हुआ है और ठेकेदारों ने लाखों रुपये कमाये हैं। वह कंगन सज्जी जिसकी कीमत कभी ६० रुपये थी आज ३५० रुपये का भाव है। अध्यक्ष महोदय, ठेकेदारों ने इतना प्रोफिट कमाया कि सारी रकम यदि जोड़ी जाये तो मैं कह सकता हूं कि ८-१० लाख रुपये का घोटाला है। इतनी बड़ी चीज होते हुए भी

Page No. 8

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

जांच नहीं की जा रही है और इस पर पानी डाला जा रहा है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, इस पर तो आश्वासन दें कि जांच करायेंगे।

श्री चन्दनमल वैद : मैं कह चुका हूं कि जांच हो रही है। अपोइन्टमेन्ट्स डिपार्टमेन्ट इसकी इन्क्वायरी कर रहा है। सारा काम इन्क्वायरी के दौरान में चल रहा है और जब तक पूरी इन्क्वायरी की रिपोर्ट नहीं आ जाये तो मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूं कि आगे क्या कार्यवाही की जायेगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ठेके की रकमें जो एडवान्स में पड़ी थीं इनको वापिस क्यों की गयी ?

श्री चन्दनमल वैद : यह लॉ डिपार्टमेन्ट की राय के मुताबिक दिया गया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : लॉ डिपार्टमेन्ट अगर गलत राय दे। २७ हजार रुपये वापिस दे दिये और आप कह रहे हैं, जांच कर रहे हैं !

श्री भैरोंसिंह : लॉ डिपार्टमेन्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेन्ट से किस बेसस पर क्या रेफर किया था ?

श्री चन्दनमल वैद : ठेकेदारों के जब ठेके पूर्ण नहीं हुए और समय बीत चुका तो ठेका पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने कहा कि रकम वापिस दे दें। ऐसा लॉ डिपार्टमेन्ट से पूछा और उन्होंने जो राय दी उसके मुताबिक रकम वापिस लौटा दी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, हद हो गयी। एक साल पूरा न हो, दो साल पूरा न हो। जो ठेका १,१५,०००) रु० में होता था वह ५७,०००) रु० में गया और ६३-६४ में यह ठेका ४७,०००) रुपये में किया गया, जब कि सज्जी का भाव जो पहले ६० रुपये था आज ३५० रुपये हैं और फिर भी ४७,०००) में ठेका दिया गया।

श्री अध्यक्ष : क्या उनको बताया गया कि ठेका नहीं दिया गया है ?

श्री चन्दनमल वैद : फिर भी काम कर रहे हैं, सज्जी पैदा की है उस समय यह बात नोटिस में नहीं थी।

श्री अध्यक्ष : यही तो गलती है आपके विभाग की।

श्री चंदनमल वैद : १९५९-६०, ६०-६१ में किसी का ठेका पूर्ण नहीं हुआ और किनकी गलती से पूर्ण नहीं हुआ इसके बारे में डिपार्टमेन्ट बहुत सजग है और इन्क्वायरी करने के लिये अपोइन्टमेन्ट्स डिपार्टमेन्ट को लिख दिया गया है और जिन लोगों की गलती से ऐसा हुआ है उन पर एक्शन ले रहे हैं और यह सही है कि इस बारे में किसी न किसी की गलती हुई है और उसके कारण सरकार को नुकसान हुआ है, इसको नहीं मानने का कोई कारण नहीं है। पहले भी

Page No. 9

(श्री चंदनमल वैद)

सदन में इस प्रकार का प्रश्न आया है और मैंने माना है कि जिन लोगों ने गलती की है उनको शील्ड करने की कोशिश नहीं की जा रही है । गलती जिसके कारण से हुई है उनको सजा देने का पूर्ण प्रयत्न किया जा रहा है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, मुझे सन्तोष नहीं हुआ है । I secure your proteetion, मैं आपका प्रोटेक्शन सीक करता हूं । एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं कि पहले सदन में प्रश्न आया और मन्त्री महोदय ने जांच का आश्वासन दिया था ।....

श्री अध्यक्ष : अब्दुलजब्बार ।

श्री अब्बुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : प्रश्न संख्या ६१६ ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उसके बावजूद भी रकम रिटर्न की गई ।

श्री चन्दनमल वैद : सदन में प्रश्न आने के बाद रकम रिटर्न नहीं की गई, उसके पहले की गई है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो दूसरी तरह से घोटाला किया गया है । फिर ५७,००० रुपये दे दिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, एक इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है ।

श्री अध्यक्ष : इसमें कई इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन्स हैं ।

श्री भैरोंसिह : क्या यह सज्जी की रकम माननीय मंत्री महोदय के हुक्म से वापिस दी गई ?

श्री चन्दनमल वैद : जी नहीं ।

श्री भैरोंसिह : तो फिर कौन से मंत्री ने हुक्म दिया ?

श्री अध्यक्ष : मंत्री का प्रश्न नहीं है । प्रश्न यह है कि आज्ञा हुई । उस समय सरकार के पास तथ्य थे या नहीं ? अगर नहीं थे तो विभाग के स्थानीय अधिकारी को उनको बताना चाहिए था कि सज्जी निकाली है या नहीं ? अगर निकाली है तो कितनी निकाली है ? उसके बाद मन्त्री महोदय तय करते ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : चार वर्ष हो गये किसी के खिलाफ एन्क्वायरी हुई या नहीं, कोई डिपार्टमेंटल एक्शन लिया गया या नहीं ? किसी का ग्रेड इन्क्रीमेंट बन्द हुआ कि नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद : लिया जा रहा है एक्शन ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : × ×

श्री चन्दनमल वैद : × ×

× × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री अध्यक्ष : Order please !

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : × ×

श्री चन्दनमल वैद : × ×

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : × ×

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को इस तरह से आरोप नहीं लगाने चाहिये । मैं कितनी दफा निवेदन कर चुका हूं कि आप सूचित करें कि आपके पास क्या तथ्य हैं ? (श्री योगेन्द्रनाथ हांडा के बोलने पर) Order please !

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : × ×

श्री अध्यक्ष : यह आप पहले लिख कर बताएं । आप नोटिस देने के बाद सदन में रखें ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : × ×

श्री अध्यक्ष : आपके हाथ में रेज़ करना नहीं है । आप पहले नियमों का पालन कीजिये । मैं ये शब्द प्रोसीडिंग में से निकालूंगा ।

श्री अब्दुलजब्बार ।

लोस्ट प्रोपर्टी का माल

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : ६१६-क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह हकीकत है कि लोस्ट प्रोपर्टी के रूप में बसों के कन्डक्टर्स व ड्राइवर्स विभागीय डिपो में माल जमा कराते रहे हैं ?

(२) क्या यह भी सही है कि ऐसे जमां शुदा माल की रसीदात इश्यू नहीं की जाती है ?

(३) क्या यह भी सही है कि ऐसा जमाशुदा माल इधर-उधर हो गया है ? अगर नहीं, तो अब तक कितना माल जमा कराया गया और विभाग से इसके डिस्पोजल की क्या व्यवस्था की ?

(४) क्या यह सही है कि जयपुर-दिल्ली मार्ग पर एक सूट केस मिला था जिसे बस कन्डक्टर ने लोस्ट प्रोपर्टी में जमा कराया और उसमें हजारों रुपयों का माल था ? यदि हां, तो यह माल कहां है और उसका क्या हुआ ?

उप-मन्त्री, यातायात (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) जी हां ।

(२) जी नहीं ।

(३) जो भी कोई सम्पति सम्बन्धित डिपो में प्राप्त होती है उसे पूरे विवरण के साथ एक रजिस्टर में दर्ज कर, जमा कर लिया जाता है । जमा कराने वाले के भी हस्ताक्षर करवा लिये जाते हैं । जब उसका दावेदार सूचित करता है तो उसे बुलाकर

× × अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये ।

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

उसका सामान पूर्ण जांच करने के पश्चात् लौटा दिया जाता है और उससे उसी रजिस्टर में हस्ताक्षर करा लिये जाते हैं । जमा माल की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(४) जी नहीं । एक सूट केस लेाल-चमड़े का २२-१-६४ को जयपुर में जमा हुआ जो २३-१-६४ को उसके वास्तविक मालिक लक्ष्मी नारायण स्योजीलाल नन्द किशोर, गंगापोल, जयपुर को दिया । दूसरा लोहे का बक्स २-२-६४ को अलवर में जमा हुआ जो श्री महेशचन्द्र, भोपाल, ओ. एस. जंगलात विभाग को सुरक्षित वापिस दे दिया गया ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री अब्दुलजब्बार : यह जो नम्बर ३ में आपने जवाब दिया है कि 'जी नहीं', तो इस पूरे प्रश्न के भाग में यह लिखा है जो माल जमा होता है उसके डिस्पोजल के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है ? तो उसका पूरा जवाब दें, आपकी क्या व्यवस्था है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, जो भी माल जमा होता है वह सामान डीपो के अन्दर रजिस्टर में दर्ज किया जाता है और जो कन्डक्टर या ड्राइवर उसको जमा कराने जाता है उसके हस्ताक्षर लिये जाते हैं और उसके बाद अगर कोई हकदार आता है तो उसको लौटा कर उसके भी हस्ताक्षर उसमें लिये जाते हैं, और अगर कोई हकदार नहीं आता है और अगर कोई ऐसी चीज होती है जो कि जल्दी ही खत्म होने वाली होती है उसको २४ घन्टे के अन्दर अन्दर ऑक्शन करके उठा दिया जाता है बाकी माल को पासके पुलिस स्टेशन पर जमा करा दिया जाता है और अदालत की मंजूरी से डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है ।

श्री अब्दुलजब्बार : सूची में जो सामान दिया है क्या यह सामान जमा करा दिया है ?

प्रश्न संख्या ९२०

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह चौधरी ।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ बिश्नोई ।

सीमेन्ट की व्यवस्था, जिला जालौर

९२१. श्रीरघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सच है कि वर्ष १९६२ व १९६३ में जिला जालौर में मांग के अनुसार पर्याप्त मात्रा में सीमेन्ट नहीं भेजा गया ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(२) क्या यह सच है कि १९६३ में जालौर जिले में पर्याप्त मात्रा में सीमेन्ट नहीं पहुंचने से विकास कार्यों की प्रगति रुक गई और जितने बेरे पक्के बन्धने चाहिए थे नहीं बन्ध सके ?

(३) क्या यह सच है कि पंचायत समिति सांचोर में बिना सीमेन्ट के कोई सिंचाई का

Page No. 12

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)

कुआ नहीं बन सकता क्योंकि वहां दूसरा कोई मेटोरियल उपलब्ध नहीं है ? अगर हां तो क्या सरकार इस पंचायत समिति को भविष्य में मांग के अनुसार सर्व प्रथम सीमेन्ट उपलब्ध कराने का विचार रखती है ?

(४) क्या सरकार सीमेन्ट के कोटे का पूरा वितरण सांचोर सहकारी क्रय विक्रय समिति द्वारा कराना उपयुक्त नहीं समझती ? अगर उपयुक्त समझती है तो उक्त सहकारी समिति को सीमेन्ट बांटने का होलसेल एजेन्ट मुकर्रर क्यों नहीं करवाती ?

(५) क्या सरकार जिला जालौर को सीमेन्ट सवाई माधोपुर सीमेन्ट कम्पनी से दिलवाने की शीघ्र व्यवस्था करने का भी विचार कर रही है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं, तो क्यों ?

(६) जिला जालौर से पर्याप्त मात्रा में उपयुक्त समय मे सीमेन्ट का कोटा न पहुंचने के क्या क्या कारण हैं ? सरकार उन कारणों को दूर कर कब तक जिला जालौर व विशेषतया सांचोर में सीमेन्ट की कमी दूर करने में समर्थ होगी।

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) जी नहीं, सीमेन्ट निम्न प्रकार जालौर जिले में पहुंचा है:-

सन् १९६२ में १,१७,००० बोरियां।

सन् १९६३ में १,२४,८०० बोरियां।

(२) इस सम्बन्ध में जिला विकास अधिकारी की सूचना के अनुसार किसी प्रकार की आपत्ति विकास अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत नहीं हुई।

(३) साधारण कोटे के अलावा जालौर जिले को हमेशा विशेष कोटा दिया जाता है।

(४) सीमेन्ट का वितरण सीमेन्ट कम्पनियों द्वारा नियुक्त स्टॉकिस्टों द्वारा किया जाता

(५) जालौर जिला सिक्का व द्वारका सीमेंट फैक्ट्री के अन्तर्गत आता है। फैक्ट्रीवाइज एलॉटमेंट रीजनल सीमेन्ट ऑफिसर एस० टी० सी० द्वारा किया जाता है, अतः सवाई माधोपुर फैक्ट्री या दूसरी फैक्ट्री से सीमेन्ट दिलाने का प्रश्न नहीं उठता।

(६) सीमेन्ट बराबर पहुंच रहा है। इस क्वार्टर में भी साधारण कोटे से ८,००० बोरी के अलावा ४८,००० बोरी का स्पेशल कोटा दिया गया है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : जो कोटा आपने कहा कि पहुंचा है, तो मेरे पास यह जानकारी है कि कोटा एलॉट तो हो गया, लेनिक एक्चुअल कोटा वहां पर कितना पहुंचा है ?

श्री चन्दनमल वैद : ६४ का कोटा अभी पहुंच रहा है। इसलिए अभी यह कहना कि कितना पहुंचा है संभव नहीं हैं। ६२-६३ के फीगर्स-बताये हैं। आपने जालौर जिले का रेग्युलर कोटे का पूछा है तो ३२ हजार

(श्री चन्दनमल वैद)

बोरियां थी साल भर की उसके बारे में जवाब दिया कि १ १७,००० और १,२४,८०० बोरियां पहुंची हैं और इस साल भी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा सीमेन्ट पहुंच सके, और उसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : ६२ का मेरे पूछने का मकसद यह है कि मांग के अनुसार पहुंची नही है ।

श्री अध्यक्ष : Order please ! मांग तो आपको १० लाख बोरियों की हो सकती है. लेकिन जितना कोटा निर्धारित है वे फीगर्स आपको दे दिये गये हैं ।

श्री विट्ठल ।

महिला आश्रमों तथा नारी निकेतनों में आश्रित महिलाओं पर व्यय

६२२. श्री विट्ठल (बांसवाड़ा-सु०) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) राज्य में महिला आश्रम अथवा नारी-निकेतन कितने हैं और उनमें किस-किस तरह की औरतों को आश्रय दिया जाता है तथा प्रति वर्ष इन पर कितना रुपया खर्च किया जाता है ?

(२) क्या इन आश्रमों अथवा नारी निकेतनों द्वारा औरतों को कुछ काम भी सिखाया जाता है ? यदि हां, तो कहां-कहां और क्या-क्या ?

(३) इस समय राज्य के महिला आश्रमों अथवा नारी-निकेतनों में कितनी औरतें रह रही हैं और गत पांच वर्षों में कितनी औरतें दाखिल हुई थीं ?

(४) क्या इन आश्रमों की मार्फत कुछ औरतों को प्रशिक्षण के बाद रोजगार दिलाया गया है ? यदि हां तो कहां कहां और कितनी औरतों को ?

(५) क्या इन आश्रमो की मार्फत कुछ औरतों ने गृहस्थ जीवन को भी अपना अपनाया है ? यदि हां, तो कहां कहां कितनी औरतों ने ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) राजस्थान में समाज—कल्याण विभाग द्वारा ७ महिला सदन एवं आश्रय गृह चलाये जा रहे है । इनमें पथ से विचलित, परित्यक्ता, निराश्रित महिलाएं एवं कन्यायें जिन्हें नैतिक पतन का खतरा हो एवं ऐसी महिलाएं एवं कन्यायें जो वैश्यालयों एवं अड्डों से लाई गई हों, उन्हें उन संस्थाओं में प्रवेश दिया जाता है । इन संस्थाओं पर सन् १९६२-६३ में १,२७,३५९) रु० व्यय किये गये ।

(२) केवल जयपुर तथा अजमेर स्थित महिला सदनों में प्रविष्ट आश्रमवासनियों को सिलाई, कसीदा, अम्बर चर्खा, खिलौने बनाने का प्रशिक्षण एवं अल्पकालीन शिक्षा दी जाती है । जिला आश्रय गृहों में इस प्रकार सुविधा नहीं रखी गई है, क्योंकि आवासनियों को इनमें केवल ३ माह तक रखा जाता है तत्पश्चात महिला सदन भेज दिया जाता है ।

Page No. 14

(श्री चन्दनमल वैद)

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) ६० औरतों को रोजगार दिलाया गया है। जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(५) इन आश्रमों की मार्फत ३३ महिलाओं की शादी की गई है जो गृहस्थ-जीवन व्यतीत कर रही हैं।

(कृपया परिशिष्ट संख्या १ देखिये)

श्री रामकिशन (वैर) : नियमित हाजरी जो आपने बतलाई हैं वह हैं २१५ की बतलाई है और जो कुछ दाखिल हुई है वे है १.४५६। उनमें से ६० को रोजगार मिला है और ३३ की शादी कर दी है; तो बाकी कहां गईं ? उनकी क्या स्थिति है ?

श्री चन्दनमल वैद : कई चली जाती है ?

श्री रामकिशन : कहां चली जाती है ? यही तो आपसे पूछा है।

श्री चन्दनमल वैद : मान लें कि कोई कन्विक्टेड हो गई हैं या छूट गई हैं तो चली जाती हैं। मान लें, कि अजमेर के गृह में जो अण्डर ट्रायल्स होती हैं उनको इसमें रख जाता है। अन्डर ट्रायल के बाद कन्विक्शन हो गया तो जैल में चली जांएगी या एक्विटल हो गया तो घर चली जायंगी। इस तरह से जो चली गई हैं उनका आप डिटेल में पूछेंगे तो बता देंगे।

श्री रामकिशन : डिटेल्स ही तो पूछे गये हैं कि सदन का उद्देश्य क्या है, कितनी इसमें आपको सफलता मिली है और कितना खर्चा हुआ है। इसी उद्देश्य से तो जानकारी चाही गई थी। आपका जवाब अपूर्ण है।

श्री चन्दनमल वैद : कितने सफल हुए हैं तो कितना काम सिखाया जाता है, कितना खर्चा होता है, उनमें महिलाएं कितनी हैं, उसका सारा बता दिया।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या सरकार की यह व्यवस्था है कि उन महिलाओं के बारे में जानकारी दे सकें कि जिन लोगों के साथ उनकी शादी की गई है वे उनके पास में हैं और सरकार के डिपार्टमेंट का कोई फोलो अप प्रोग्राम है कि जिस काम के लिए भेजा है वह पूरा हुआ है।

श्री चन्दनमल वैद : निश्चित रूप से पूछें कि कहां-कहां, किस-किस तरीके से फोलो अप किया है, उसकी सूचना अभी मेरे पास नहीं है। उसके बारे में डिटेलवार पूछेंगे कि कहां किस तरीके से फोलो अप किया गया है, तो बता दूंगा; यहां पर प्रश्न यह है कि कितनी महिलाएं हैं और उनपर कितना खर्चा हुआ है वह बता दिया।

श्री रामकिशन : प्रश्न संख्या ५ में यह पूछा गया है कि वे औरतें कहां-कहां

Page No. 15

(श्री रामकिशन)

पर क्या काम कर रही हैं। इसकी उसमें जानकारी चाही गई है जिससे कि यह पता लग सके कि उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है।

श्री चन्दनमल वैद : आश्रम का बताया गया है। इस वक्त में कहां-कहां हैं, मुझे माफ कीजिये कि इसकी सूचना अभी मेरे पास नहीं है। कितनी औरतें किस २ आश्रम में है और कितनों की शादी कर दी गई है वह मैंने बता दिया है।

श्री रामकिशन : यह तो नम्बर तीन में पूछा गया था वह तो जानकारी आपने बता दी। मैं यह जानकारी जानना चाहता हूं कि उनकी ज़िंदगी में परिवर्तन हुआ क्या और आपको उसमें कितनी सफलता मिली है ?

श्री चन्दनमल वैद : यह सूचना अभी मेरे पास नही है।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह एक सामाजिक महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री चन्दनमल बैद : प्रश्न में यह नहीं है कि जिन महिलाओं को सदन में रखा गया है उनको फालो-अप किया जाता है और समाज में उनकी जिन्दगी में परिवर्तन कुछ हुआ कि नहीं!

श्री भैरोंसिंह : इसका रिजल्ट क्या रहा ?

श्री चन्दनमल बैद : संतोषजनक रहा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इसका ओफिशियल प्रकाशन करते हैं क्या या रिपोर्ट छापते है क्या कि कितनों को नौकरी दिलादी, कितनों को जीवन में ठीक ढंग से लगा दिया ?

श्री चन्दनमल बैद : मैंने अभी जो बताया वह रिपोर्ट ही है।

श्री मानिकचन्द सुराना : सालाना रिपोर्ट छपाते हैं क्या विभाग की ओर से ?

श्री चन्दनमल बैद : मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मैं जानकारी करके बताऊंगा छपाते हैं या नहीं। यदि नहीं छपाते हैं तो छपवाने की कोशिश करेंगे।

श्री रामकिशन : पूछा गया था ५ साल के बारे में और आपने १ वर्ष के ही फिगर्स बताये ?

श्री चन्दनमल बैद : इसमें लिखा है प्रतिवर्ष और प्रति वर्ष के फिगर्स बताये।

श्री रामकिशन : क्या एक ही तरह का खर्चा हर साल में हुआ है ?

श्री चन्दनमल बैद : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के मन में कुछ और है और पूछते कुछ और है, यह मुश्किल हो जाती है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आपने एवरेज दिया है क्या ?

श्री चंदनमल वैद : ६२-६३ का दिया है। लेटेस्ट बता दिया।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : धोलपुर नारी-निकेतन की सरजू देवी और पार्वती के बारे में ऐसी जघन्य घटनाओं के बारे में जानकारी मिली है....

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अहम सवाल है, माननीय सवाल है।

श्री अध्यक्ष : श्री जुझारसिंह।

बस रूट की स्वीकृति होने के बावजूद बसों का नहीं चलना

९२३. श्री जुझारसिंह (चेचट) : Will the Transport Minister please reply :—

(1) Is it a fact that bus routes have been sanctioned via Ramganj Mandi, Oondwa to Chhattarpur and Ramganj Mandi-Julmi to Piplia and Bhawani Mandi and that buses are not operating on these routes since a long time ?

(2) What are the names of the parties who have the permits to operate via Oondwa and via Julmi respectively through Ramganj Mandi and what are their reasons for not operating buses on these routes ?

(3) What action has the Government taken against the defaulting parties and what alternative arrangements are proposed ?

उप-मंत्री यातायात (श्री भीमसिंह) : (१) बारां-रामगंज मंडी रूट सन् १९५८ में ऊंडवा होता हुआ छत्रपुर तक बढ़ा दिया गया था जिस पर कोटा ट्रान्सपोर्ट लि० कोटा की बसेज़ सन् १९६३ के बीच तक चलती रही हैं। उसके बाद कोटा ट्रान्सपोर्ट की बसेज़ को एक्साइज एंड टेक्सेशन डिपार्टमेन्ट ने अटेचमेंट ले लिया और तब से इनका रेगुलर चलना बंद हो गया। आज दिन भी इस कं० की गाड़ियां एटेचमेन्ट में हैं और बंद है इसका फैसला होने पर ही नये आदमियों को परमिट देने का फैसला किया जा सकेगा।

दीपरी रामगंज मंडी रूट को सन् १९५८ में जुलमी पीपलिया होते हुए मुन्देल तक बढ़ाया था। बस ओपरेटर्स कुछ ही दिन इस बढ़े हुए मार्ग पर चले और फिर चलना बंद कर दिया। एक्सटेन्शन का एन्डोर्समेन्ट अपने परमिटों में उन्होने नहीं लिया और न ही बाद में चले। भवानी मंडी होते हुए ऐसा कोई रूट नहीं है।

झालावाड़ रोड-छत्रपुर से ऊंडवा रामगंज मंडी होते हुए रावत भाटा तक बस चलाने का परमिट ता० १.२.६४ को आर. टी. ए. ने स्वीकृत किया था जिसके ऊपर श्री जयनारायण वैद को परमिट तारीख २०.३.६४ को दे दिया है।

(श्री भीमसिंह)

(२) बारां-रामगंज मंडी-ऊंडवा-छत्रपुर के परमिट में कोटा ट्रान्सपोर्ट लि० के पास है तथा दीपरी-रामगंज मंडी जिस का एक्सटेन्शन सन् १९५८ में जुल्मी-पीपलिया सुनेल तक किया था के परमिट (१) रमनलाल चुन्नीलाल (२) राजेन्द्र कुमार पद्मकुमार (३) जैन ट्रान्सपोर्ट (४) नीहाल ट्रान्सपोर्ट सहकारी समिति के पास थे। नहीं चलाने के कारण ऊपर प्रश्न नं. १ उत्तर में दिये जा चुके हैं।

(३) कोटा ट्रान्सपोर्ट की गाड़ियां तो लीज़ हो जाने की वजह से बंद हुई हैं। पीपलिया-सुनेल का एक्सटेन्शन, १९५८ में किया था और महीने २ महीने चलकर उन्होंने बंद कर दिया, चूंकि वह रूट अन-रेमुनेरेटिव था और चूंकि इस एक्सटेन्शन का उन्होंने अपने परमिटों के एन्डोर्समेंट नहीं लिया।

आल्टरनेटिव व्यवस्था के लिये झालावाड़ को रामगंज मंडी से वाया ऊंडवा होकर नया परमिट देकर जोड़ दिया है।

श्री जुझारसिंह : आपने शुरू में जो फरमाया वह समझ में नहीं आया क्योंकि यहां पर बातें हो रहीं थीं इसलिये आप उसको रिपीट करदें।

श्री अध्यक्ष : श्री बिरदाराम।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरे सुनने में नहीं आया, यहां पर बातें हो रहीं थीं उन्होंने चार बसों को परमिट दिये है लेकिन उनमें से एक भी नहीं चल रही है मैं यह जानना चाहता हूं कि आप क्या व्यवस्था करेंगे ?

श्री अध्यक्ष : तय हो जायगा तब करेंगे।

श्री जुझारसिंह : वह तो कोटा ट्रान्सपोर्ट के बारे में कह दिया लेकिन प्राइवेट पार्टीज़ को परमिट दिये हैं उनका क्या कर रहे हैं ? कोटा ट्रान्सपोर्ट का तो अटेचमेंट हो गया।

श्री भीमसिंह : प्राइवेट पार्टीज़ ने एक्सटेन्शन रेम्युनेरेटिव नहीं होने से एन्डोर्स नहीं कराया। हमने दूसरों को देने के लिए बोर्ड पर नोटिस भी लगाया, टेम्पोरेरी परमिट भी देने को तैयार थे लेकिन कोई दरख्वास्त आई नहीं। जैसा कि मैंने निवेदन किया ऊंडवा होते हुए झालावाड़-रामगंज मण्डी का नया रूट बढ़ा दिया है ताकि बीच का रास्ता खराब है और लोग चलाने के लिए तैयार नहीं हैं तो लोगों को असुविधा न हो। पार्टी कोई सामने आयगी तो ज़रूर विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री बिरदाराम।

डामर की पक्की सड़क

९२४. श्री बिरदाराम फुलवारिया (जालौर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या जालौर से बागरा होती हुई आकोली-सियाना-जावाल-बट्टट सिरोही जाने

(श्री विरदाराम फुलवारिया)

वाली सड़क वर्षा के दिनों में बन्द हो जाती है और मुसाफिरों को तकलीफ उठानी पड़ती है ?

(२) क्या यह सड़क आकोली से सियाना राइपुरिया जावाल बह्लूट तक बनाई जावे तो जनता को परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी ? यदि हां, तो यह सड़क पक्की डामर बनाने की तरफ सरकार कब ध्यान देगी ? नहीं तो क्यों नहीं ?

उपमंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां। अधिक वर्षा होने पर यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

(२) अर्थाभाव के कारण।

श्री बिरदाराम फुलवारिया : जो बस सिरोही जाने वाली सियाना होकर जाती है उसमें मुसाफिरों को रास्ता ठीक नहीं होने के कारण तकलीफ होती है इसलिए यह सड़क पक्की डामर की बनानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

छात्रवृत्तियां

६२५. जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) राजस्थान के कितने छात्र विभिन्न योग्यताओं के लिए राजस्थान सरकार की छात्रवृत्ति पर प्रान्त के बाहर देश के दूसरे प्रान्तों में भेजे गये है ? उनकी नामवार सूची सदन की मेज पर प्रान्तों के नाम सहित रखने की कृपा करें।

(२) रजास्थान सरकार की छात्र वृत्ति पर देश के बाहर दूसरे देशों में राजस्थान के कितने छात्र कौन कौनसी शिक्षा पाने के लिए भेजे गये हैं और उन पर राज्य सरकार कितना रुपया खर्च करेगी ?

(३) उपरोक्त दोनों प्रकार की छात्र-वृत्तियां गत पांच सालों में जिन छात्रों को दी गई थीं इनमें कितने छात्र व छात्राएं अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के हैं ? नामवार सूची बताने की कृपा करें।

(४) जिन छात्रों व छात्राओं को उक्त दोनों प्रकार की छात्र वृत्तियां गत ५ सालों में दी गई हैं उनके पिता क्या क्या कार्य करते हैं उनकी नामवार सूची, व्यवसाय सहित सदन की मेज पर रखें।

(५) इन छात्रवृत्तियां को किस आधार पर कौन मंजूर करते हैं ?

उप-मन्त्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) ; (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) राजस्थान सरकार की छातवृत्ति पर विदेश में किसी छात्र को नहीं भेजा हुआ है।

Page No. 19

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(३) कोई भी नहीं, क्योंकि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति की छात्रवृत्ति के अलग नियम हैं और उनको उन नियमों के अनुसार छात्रवृत्ति मिलती है। नियमानुसार वह दोनों प्रकार की छात्रवृत्तियां नहीं पा सकते।

(४) छात्रों की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है। उनके पिता के नाम तथा काम के विषय में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(५) मेरिट कम नीड छात्रवृत्ति ऐसे छात्रों को मंजूर की जाती है जो कि उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं एवं भविष्य में अधिक योग्य बनने का ध्येय रखते हैं किन्तु द्रव्य अभाव के कारण वे ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। मेरिट कम नीड छात्रवृत्ति निम्न लिखित संचालकों द्वारा स्वीकृत की जाती है:

१. नॉन टेक्निकल कॉलेज स्तर : संचालक कॉलेज शिक्षा।

२. टेक्निकल शिक्षा : संचालक, टेकनिकल शिक्षा।

३. चिकित्सा शिक्षा : संचालक, चिकित्सा शिक्षा।

४. संस्कृत शिक्षा : संचालक, संस्कृत शिक्षा।

५. कृषि शिक्षा : संचालक, कृषि विभाग।

६. प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा संचालक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मैरिट छात्रवृत्ति राजस्थानी छात्रों को जो कि पिछली परीक्षा में कम से कम ६० प्रतिशत अंक प्राप्त करते हैं और जिनके संरक्षक की वार्षिक आय ३८४०) से कम है, मंजूर की जाती है। यह छात्रवृत्ति संचालक,कॉलेज शिक्षा एवं सरकारी कॉलेजों के प्रिन्सिपलों द्वारा मंजूर की जाती है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जयनारायण सालोदिया : आपने सूची एक साल की पेश की है, मैंने पांच साल की मांग थी।

श्री अध्यक्ष : श्री मानिकचन्द सुराणा।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैंने पूछा था कि जिनको चार चार हजार रुपये की छात्रवृत्तियां देते हैं उनके पिता क्या काम करते हैं, इसका जबाव आपने नहीं दिया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : छात्रवृत्ति विदेशों के लिए नहीं देते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : मैं विदेशों के लिए नहीं पूछ रहा हूं। जिन

(श्री जयनारायण सालोदिया)

छात्रों को तीन-तीन, चार-चार हजार रुपयों की छात्रवृत्ति देश में देते है उनके पिता क्या काम करते है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने निवेदन किया था कि बहुत से पिताओं के नाम मिल पाये बहुतों के नहीं मिल पाये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : फॉर्म जो स्वीकार किये जाते हैं उनमें नाम नही हैं, क्या ?

श्री जयनारायण सालोदिया : छात्रवृत्ति के जो फार्म भरे जाते हैं उनमें यह लिखा जाता है कि पता क्या काम करता है और उसकी सालाना आमदनी कितनी है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जानकारी है विभाग को उसी के अनुसार मैं कह रहा हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर : छात्रवृत्तियां मैरिट के आधार पर देते हैं या किस आधार पर ?

श्री निरंजनाथ आचार्य : मैरिट, मैरिट-कम-नीड या एक्सट्रीम पोवर्टी।

श्री जयनारायण सोलोदिया : जिनको ५००) रु० दिये है उनके नाम तो आपने लिख दिये लेकिन जिनको ३ हजार या ४ हजार दिये हैं उनके पिता क्या काम करते हैं यह नहीं बताया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने व्यवस्था जारी की है, जानकारी एकत्रित कर रहे हैं माननीय सदस्य चाहें तो दो चार रोज में जानकारी दी जा सकती है।

श्री रामकिशन (वैर) : तीन हजार या चार हजार वाले तो कम लोग होंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिह नगर) : ५००) रु० वालों की तो लिस्ट आपको सरलता से प्राप्त हो गई और तीन हजार वाले जिनकी संख्या कम होगी उनकी लिस्ट प्राप्त नहीं हो सकी इसका क्या कारण है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : छात्रवृत्तियां दी जाती हैं उनकी अंतिम स्वीकृति सचिवालय द्वारा दी जाती है क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने जैसा निवेदन किया, कमेटीज नियुक्त हैं। टेकनिकल साइड के लिये डाइरेक्टर टेकनिकल एज्युकेशन, कालेज साइड के लिए डाइरेक्टर कालेज एज्युकेशन, मेडिकल साइड के लिए डाइरेक्टर चिकित्सा और एग्रीकल्चर साइड के लिये डाइरेक्टर, एग्रीकल्चर और प्राइमरी और सेकन्ड्री एज्युकेशन के लिए संचालक, प्राइमरी और सेकेन्ड्री एज्यूकेशन तय करते हैं और इसके लिए सब कमेटीज अलग अलग बनी हुई है, मैरिट और मैरिट-कम--नीड के प्रश्न पर तय करते हैं उनके लिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि कमेटीज के तय करने के बाद

Page No. 21

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

फाइनल सैंक्शन के लिये गवर्नमेंट के पास भेजी जाती है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह तो फॉर्मल है। उसमें कोई चेन्जेज नहीं किये जाते हैं। वह आती है तो फिर वहां से सैंक्शन हो जाती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि गवर्नमेंट के पास फॉर्मल सैंक्शन के लिए आती है तो सारी की सारी सूचना आपके यहां मिल सकती हैं फिर इकट्ठी करने का सवाल पैदा क्यों होता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रार्थनापत्र वगैरा सब वहीं रह जाते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसा नहीं होता। प्रार्थनापत्र आपके पास आते होंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रार्थनापत्र वहीं रह जाते हैं।

श्री अध्यक्ष : कहां रह जाते हैं? कमेटी भी है, सेक्रेट्री भी होते हैं, चेयरमेन भी होता है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक हाई पॉवर कमेटी है जिसमें मैं चेयरमैन हूं।

श्री अध्यक्ष : आप सारी जिम्मेदारी कमेटी पर क्यों डालते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसमें सेक्रेट्री भी होते हैं, डिप्टी सेक्रेट्री भी होते हैं। सब का सब-कमेटी तय करती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि ५००) से ऊपर की सैंक्शन के केसेज गवर्नमेंट के पास आते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब जो कमेटी बनी हुई है उसको काफी अधिकार दिये गये हैं....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : किन किन को प्रॉयोरिटी दी जाती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : नियमानुसार दिये जाते हैं। मेरिट्स के लिये अलग नियम हैं और एक्ट्रीम पॉवर्टी के लिए अलग रूल्स हैं। इसके लिए कमेटी को अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न स्पष्ट है कि कितनी बड़ी स्कॉलरशिप हो, क्या वह सरकार के पास नहीं आती हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, अधिकारों के अन्तर्गत यह कमेटी को पूरा अधिकार दे दिया गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, आपका प्रश्न डाइरेक्ट है। हमारे प्रश्न को तो उड़ाने की कोशिश करते हैं आसन के प्रति भी डाउट करते हैं और डेफिनेट उत्तर नहीं दे रहे है। आप डेफिनेट उत्तर दीजिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस कमेटी को पूरा अधिकार है....

श्री अध्यक्ष : कमेटी का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि कितनी बड़ी स्कॉलरशिप के लिए केस सरकार के पास आता है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जहां तक लोन का प्रश्न है, सरकार के पास आता है। स्कॉलरशिप के पॉवर्स कमेटी को दे दिये है। वे नहीं आते । जितनी धन राशि होती है उसके अनुसार....

एक माननीय सदस्य : स्टाफ कमेटी की मीटिंग नहीं हुई और स्कॉलरशिप गवर्नमेंट ने सेंक्शन की क्या यह सही है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मीटिंग हुई। कमेटी कनक्लूड हुई इसलिए आप जो कहते हैं यह सत्य नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तीन हजारवालों का रेकार्ड कहीं और जगह रहता है और ५००) रु० वालों का कहीं और जगह रहता है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

निर्वाचन सूचियों का प्रकाशन

६२६ श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) - क्या चुनाव मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या कलेक्टर जिला बीकानेर की ओर से दिनांक ३०-६-६३ को आगामी पंचायत चुनावों के लिए जिले भर की पंचायत वोर्ड निर्वाचन सूचियां आपत्तियां मांगने हेतु प्रकाशित की गई थीं ?

(२) क्या उक्त पंचायत वार्ड निर्वाचन सूचियां उक्त प्रकाशन से पूर्व कलेक्टर द्वारा संशोधित कराई गई थी ? यदि हां, तो कब किस प्रणाली के जरिये ऐसा रिवीजन किया गया ?

(३) क्या तहसील नोखा भर की उक्त प्रकाशित पंचायत वार्ड निर्वाचन सूचियों की बाबत ३०-६-६३ के नोटिस द्वारा दि० १८-१०-६३ का दिवस जांच हेतु निश्चित किया गया था ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा मौके पर तहसील हैड क्वार्टर नोखा पर जांच की गई थी ? क्या यह सही है कि दौराने जांच उक्त अधिकारी ने सर्व साधारण जनता को पुलिस फोर्स द्वारा तहसील भवन के अकारण ही जबरन बाहर निकलवा कर आपत्ति अधिकारों से वंचित कर दिया था और क्या उक्त व्यवहार की बाबत तहसील नोखा के विभिन्न पंचायत क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा कई विरोध प्रदर्शनार्थ उसी समय मौके पर लिखित प्रार्थना पत्र सामुहिक रूप से पेश किये गये थे और सरकार के संबंधित विभागों को इस विषय में तार भी दिये गये थे ? यदि हां तो ऐसी दरख्वास्तों व तारों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(४) क्या पंचायत क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा प्रेषित किये गए प्रार्थना पत्र एवं तारों पर सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध उक्त व्यवहार की बाबत विभागीय रूप से कोई जांच की गई है ? यदि हां, तो क्या जांच के वक्त शिकायतकर्ता नागरिकों को अपने सबूत पेश

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

करने का पूरा अवसर प्रदान किया गया ? कृपया उपरोक्त तथ्यों की जांच के प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज़ पर रखें ?

उप मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर १०-१५ मिनिट में दे दूंगा इसको आये दो मिनट हुए हैं इसको मैं देखलूं। इसको आज ही ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ९२७

श्री लक्ष्मण प्रसाद।

(अनुपस्थित)

श्री जयलाल

डग-भवानी मण्डी सड़क पर पुलियाओं का निर्माण

९२८ श्री जयलाल (डग) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि डग से भवानी मण्डी सड़क पर पड़ने वाली छोटी-बड़ी पुलियाओं का निर्माण आवश्यक है, क्योंकि वर्षा के दिनो में डग से भवानी मण्डी जाने के लिये और कोई रास्ता नहीं है ?

(२) यदि हां, तो इन पुलियाओं का निर्माण कब तक प्रारम्भ करके पूरा कर दिया जायेगा ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) जी हां।

(२) ९ पुलियो का कार्य पूर्ण हो चुका है और बाकी पुलियों का बनाये जाने के प्रस्ताव विचाराधीन है। आशा है चतुर्थ योजना तक पूरा हो सकेगा।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

टी. डी. सी. कोर्स के लिए निर्धारित आयु

९२९. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या टी. डी. सी. कोर्स के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए १६ वर्षों से अधिक की आयु आवश्यक कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या इस परिवर्तन के पहिले विभाग द्वारा ऐसी कोई घोषणा की गयी थी ? यदि नहीं तो क्यों ?

(३) क्या सरकार के यह ध्यान में है कि इस कारण इस वर्ष जिसने प्री-युनिवर्सिटी उत्तीर्ण की वे आगे बीच के समय तक प्रवेश नहीं पायेगें तो उनका वर्ष व्यर्थ जायेगा ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां, जुलाई, सन् १९६४ से डिग्री कोर्स के प्रथम वर्ष में प्रवेश होने के लिए १६ वर्ष की आयु का होना अनिवार्य कर दिया गया है, यह युनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन के निश्चय के अनुसार किया गया है।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(२) गत वर्ष इस बारे में सरक्यूलर द्वारा जानकारी दी जा चुकी है। यह सूचना युनिवर्सिटी के प्रोसपेक्ट्स तथा एडमीशन फार्मस जो कि १९६५ की परीक्षा के लिए जारी किये गये हैं उनमें भी दी जा चुकी है।

(३) इस वर्ष प्री-युनिवर्सिटी में उत्तीर्ण होने वालों को डिग्री की पहिली वर्ष में प्रवेश लेने में कोई दिक्कत न होगी।

श्री मुरलीधर व्यास : मेरा प्रश्न (२) है उसमें मैंने पूछा है कि इस प्रकार से जो संशोधन लाया गया है उसकी इत्तला पहले नोटिफाई की गई थी या नहीं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस संबन्ध में मैंने निवेदन किया कि गत वर्ष इसके बारे में सारी कालेजेज़ को सरक्यूलर के माध्यम से दी जा चुकी है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सरकार यह उपयुक्त नहीं समझती कि इसका दो तीन साल पहले नोटिस देती ताकि सभी को सुविधा मिल जाती या आप ऐसा करते कि तीन साल बाद में इसको लागू करते। आपने एकाएक बिना नोटिस दिये इसको लागू कर दिया, इसको क्या उचित समझते हैं।

श्री निरन्जनाथ आचार्य : यह प्रश्न सरकार का नहीं है। यूनिवर्सिटी का है।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सरकार इसको उचित समझती है?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

हाी०टैक० प्रशीशन ग्लास लिमिटेड धौलपुर

९३० श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या राजकीय उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि Hi Tech precision Glass Ltd. Dholpur.में उत्पादनका कार्य प्रारम्भ हो गया है? यदि हां तो कब से और अब तक का क्या माल तैयार हो चुका है ?

(२) क्या यह सही है कि भट्टी में आग दिसम्बर, सन् ६३ में डाली गई थी परन्तु फिर भी अभी तक कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सका है? यदि हां, तो क्यों?

(३) क्या यह भी सही है कि इस फैक्ट्री में मुख्यतः थरमामीटर्स, इन्जेक्शन की सीरेन्जेज व वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में उपयोग की इन्सट्रमेन्ट्स ही उत्पादन करने की योजना है।

उप मन्त्री राजकीय उद्योग (श्रीमती कमला बेनीवाल) : (१) जी हां, हाई टैक प्रशीशन ग्लास लिमिटेड में उत्पादन कार्य दिनांक ९-३-६४ से प्रारम्भ हो गया है। अब तक इस फैक्ट्री में निम्नलिखित माल तैयार हो चुका है : (१) बेटरी जार्स, (२) ट्राफ्स, (३) बैल जार्स (४) फनेल्स, (५) लेक्टान्चो लैन्स (६) स्प्रिट लेम्पस व उनके कवर्स (७) ग्लास ट्यूब्स तथा रौड्स (८) स्पेसिमेन जार्स (२) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

(३) जी हां

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आप बता सकती हैं कि भट्टी में आग डालने के बाद कितने दिनों में प्रोसेस शुरू हो जाना चाहिये ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : अध्यक्ष महोदय, यह तो मुझे पता नहीं, लेकिन भट्टी में आंच डालने के बाद कम से कम २॥ महीने का समय लग जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या आपने इस संबन्ध में जानकारी की है कि भट्टी में आग डालने के बाद २॥ महीने प्रोसेस शुरू होने में लग जाते हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

उदयपुर जिले के अस्थायी अध्यापक

६३१. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) उदयपुर जिले में शिक्षा विभाग तथा पंचायत समितियों के जो अध्यापक हैं उनमें से ऐसे कितने हैं जो अभी तक अस्थायी हैं ?

(२) अस्थायी अध्यापकों में ऐसे कितने हैं जिनको नौकरी करते तीन वर्ष से अधिक समय हो गया है ?

(३) जिन अध्यापकों को अस्थायी रूप से रखा गया है उनको नियमानुसार कब तक स्थायी रूप से ले लिया जायेगा ?

(४) उदयपुर जिले की पंचायत समितियों में ऐसे कितने अध्यापक हैं जो दूसरे जिले के हैं ? प्रत्येक पंचायत समिति संबन्धी सूची दें। इनको अपने जिले में कब भेज दिया जायेगा ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) उदयपुर जिले में शिक्षा विभाग के स्कूलों में तृतीय वेतन श्रृंखला में कार्य करने वाले अध्यापक जो ३१-८-६३ व इससे पूर्व के थे स्थायी कर दिये गये हैं। शेष ८० अध्यापक अस्थाई हैं। पंचायत समितियों में ५९३ अध्यापक अस्थाई हैं।

(२) उपरोक्त अस्थायी अध्यापकों में से शिक्षा विभाग में ऐसा कोई भी अध्यापक नहीं है जिसे नौकरी करते तीन या तीन वर्ष से अधिक समय हो गया हो। पंचायत समितियों में ऐसे ५५ अध्यापक हैं।

(३) शिक्षा विभाग में ये अस्थाई अध्यापक जब भी ट्रेन्ड हो जावेंगे उसके बाद ही उन्हें स्थाई किया जावेगा। पंचायत समितियों में अधिकतर अध्यापक राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद सर्विस सिलेक्शन कमीशन द्वारा चयन-शुदा हैं. किन्तु नियमानुसार दो वर्ष के समय के लिये प्रोबेशन पर होने के कारण अस्थाई हैं। प्रोबेशन

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

की अवधि समाप्त होने पर नियमानुसार स्थाई करने की कार्यवाही की जाती है।

(४) उदयपुर जिले की पंचायत समितियों में २२५ अध्यापक दूसरे जिले के हैं जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद्‌सेवा नियम में अनुसार एक जिले से दूसरे जिले में स्थानान्तरण राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद सर्विस सिलेक्शन कमीशन की स्वीकृति से किया जाता है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री विजयसिंह झाला : प्रश्न यह है कि हमारे बड़गांव में १०—१५ धौलपुर के मास्टर हैं। वे न तो वहां की बोली समझते हैं और न लड़के उनकी बोली में समझ सकते हैं। इसलिये छोटे वेतन पाने वालों को अपने जिले में ही रखा जाये तो उचित होगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जैसा मैंने निवेदन किया उनका स्थानान्तरण पंचायत एवं जिला परिषद सर्विस सलेक्शन कमीशन की स्वीकृति से किया जाता है और यदि विकास विभाग इस सम्बन्ध में सरकार को रेफर करेगा तो सरकार इस पर अवश्य ध्यान देगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय यह बहुत लम्बा प्रोसेस हो जाएगा। इसमें बहुत समय लग जावेगा यह परिस्थिति दिक्कत पूर्ण जरूर है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं सरकार को जानकारी दूंगा कि परिस्थिति दिक्कत पूर्ण जरूर है मगर........

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : आप कौनसी सरकार को जानकारी देंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : विकास विभाग से भी जानकारी प्राप्त लाजमी है। और उनकी राय के आधार पर किया जा सकता है।

श्री भैरोंसिंह : आपने कहा है कि सरकार को जानकारी दूंगा।

श्री निरंजननाथ आचाय : यह सरकार का वैधानिक वाक्य बन गया था।

श्री विजयसिंह झाला : क्या यह सही है कि ऐसे नियम हैं सरकार के कि जो नानगजेटेड कर्मचारी होते हैं उनका स्थानान्तरण दूसरे जिले में नहीं कर के उनके जिले में ही किया जाय?

श्री अध्यक्ष : समिति के अधिकारी हैं, सरकारी अधिकारी नहीं है, इसलिये मन्त्री महोदय ने कहा है कि कमीशन से मालूम करेंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : मंत्री महोदय ने अभी कहा कि शिक्षा विभाग में अस्थाई शिक्षकों की संख्या ५५ है और पंचायत समितियों के शिक्षकों में अस्थाई शिक्षकों की संख्या ५५५ है। जब सरकार की यह नीति है कि शिक्षा विभाग के शिक्षकों के समान स्थान पर ही पंचायत समि-

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

तियों के शिक्षकों को लाया जाय, उनके समान वेतन शृंखला उनकी की जाय, तो फिर यह भेद भाव की नीति पंचायत समित्तियों के शिक्षकों के साथ क्यों बरती जा रही है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : जो मैंने उत्तर दिया है उसमें तो भेदभाव नहीं है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आपने बताया कि शिक्षा विभाग में अस्थाई शिक्षकों की संख्या ५५ है और पंचायत समितियों में अस्थाई शिक्षकों की संख्या ५५५ है तो पंचायत समितियों में अस्थाई शिक्षकों की संख्या इतनी ज्यादा क्यों हैं जब कि सरकार की नीति है कि पंचायत समितियों के शिक्षकों को शिक्षा विभाग के शिक्षकों के समक्ष लाया जाय ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैंने निवेदन किया न कि प्रोबेशन दो साल का होता है, उसके बाद स्थाई किये जाते हैं, इसलिये यह संख्या ज्यादा है।

प्रश्न संख्या ९३२

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द !

(अनुपस्थित)

श्री मूलचन्द !

पंचायत समितियों के अध्यापक

९३३. श्री मूलचन्द (दौसा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :

(क) क्या २ अक्टूबर, १९५९ को शिक्षा विभाग से पंचायत समितियों में आने वाले शिक्षकों को गवर्नमेंट सर्वेन्ट ही समझा जा रहा है ? अगर हां, तो उनके परिवार के बालकों की फीस माफ क्यों नहीं की जाती है ? अगर सरकारी कर्मचारी नहीं समझा जा रहा है, तो क्यों ?

(ख) पंचायत समितियों से २:१०:५९ के पूर्व अध्यापकों को, जो इन्टर या बी. ए. हो चुके हैं, उन्हें राज्य सरकार की सेवा में लेने के क्या नियम बनाये गये हैं ? इन नियमों के अनुसार किन-किन समितियों से कितने अध्यापक शिक्षा विभाग ने वापिस लिये हैं और अब कब तक तथा कितने अध्यापक और लेने हैं ? पंचायत समिति दौसा से कितने लिये गये ? अगर नहीं तो क्यों ?

(ग) क्या शिक्षा संचालक प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर ने पंचायत समितियों में २:१०:५९: के पूर्व के ट्रेन्ड मैट्रिक अध्यापकों को ट्रेन्ड ग्रेड (६०-४-८०-५ १००—५ - १३०) दि० १-१०-६० से देन के लिये समितियों से कार्यालय बीकानेर के आदेशानुसार ५ अक्टूबर, सन् ६१ से पूर्व अध्यापकों का स्टेटमेंट मंगवाया था ? क्या उन अध्यापकों को ग्रेड दे दी गई है ? अगर नहीं तो क्यों ?

उप-मंत्री शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) पंचायत तथा राजकीय नौकरियां, दोनों बिलकुल भिन्न है। अतः पंचायत समिति के अन्दर काम करने वाले अध्या-

Page No. 28

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
पकों को सरकारी नौकर नहीं समझा जाता। किन्तु पंचायत समिति के अध्यापकों के बच्चों को भी फीस को वो ही सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि सरकारी नौकरों के बच्चों को हैं।

(२) पंचायत समिति के ग्रेज्युएट अध्यापकों को विभाग की सेवा में लेने के लिये नियम बना कर भेज दिये गये हैं और इसके अनुसार बहुत से पंचायत समितिओं के ग्रेज्युएट अध्यापकों को विभाग में ले लिया गया है। बहुत से ग्रेज्युएट अध्यापकों को अस्थाई पदोन्नति भी कर दी गई है और पदोन्नति कर के उन्हें विभाग में ले लिया गया है। पंचायत समिति दौसा के किसी भी अध्यापक को शिक्षा विभाग में नहीं लिया गया है, क्यों कि वहां का कोई भी अध्यापक उन नियमों के अन्तर्गत नहीं आता था।

(३) अभी तक ऐसे अध्यापकों की लिस्ट जो कि पंचायत समितियों में काम कर रहे हैं और उनको ट्रेन्ड मैट्रिक ग्रेड नहीं दिया गया जिसके वे हकदार थे, सचालक, शिक्षा विभाग से प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होते ही आदेश जारी करने की कार्यवाही की जावेगी।

श्री मथुरेश बिहारी माथुर (बांदीकुई): आपने कहा कि पंचायत समिति के अन्दर काम करने वाले अध्यापकों को सरकारी नौकर नहीं समझा जाता तो प्रोमोशन ग्रेड वगैरह किस आधार पर देते हैं?

श्री निरन्जननाथ आचार्य: पंचायत समितियों में चूंकि उनकी सर्विसेज ट्रान्स्फर कर दी गई है अतः वे पंचायत समितियों के कर्मचारी समझे जाते हैं ज्यों ही नियमानुसार सरकारी विद्यालयों में आ जाते हैं वे सरकारी सर्विस में समझे जाते हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री मूलचन्द।

श्री मूलचन्द: क्या यह सही है कि पंचायत समितियों के अध्यापकों के बच्चों को स्कूलों में फीस देनी पड़ती है?

श्री निरंजननाथ आचार्य: वापिस पूछिये।

श्री मूलचन्द: क्या यह सही है कि पंचायत समितियों में जो जो अध्यापक हैं उनके बालकों को फीस देनी पड़ती है?

श्री जयनारायण सालोदिया: इनका यह पूछना है कि पंचायत समितियों के अध्यापकों के बच्चों को स्कूल फीस देनी पड़ती है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य: जो सुविधाएं सरकारी अध्यापकों के बच्चों को है वे ही पंचायत समितियों के अध्यापकों के बच्चों को भी हैं। आप ऐसा कोई उदाहरण बतायें जहां उनसे फीस ली जाती है तो मैं कार्यवाही करूंगा। नियमानुसार पंचायत समितियों के अध्यापकों के बच्चों से फीस नहीं ली जानी चाहिये।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): आपने फरमाया कि १:१०:६० से पंचायत समितियों के जिन टीचर्स को ट्रेन्ड मेट्रिक

(श्री भैरोंसिंह)

ग्रेड देना था उनकी लिस्ट अभी तक नहीं आई है। तो यह लिस्ट सरकार के पास नहीं आई है या डायरेक्टर के पास नहीं आई है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : सरकार के पास आने से सम्बन्ध है, डायरेक्टर के पास भी अलग-अलग रेंजेज से आने को थीं वे आ रही हैं।

श्री भैरोंसिंह : तो क्या यह समझा जाय कि आदेश का पालन किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आदेश का पालन तो हो रहा है पर संकलन का प्रयत्न किया जा रहा है। वह भी आरम्भ है। लिस्ट का प्रोसेस चल रहा है।

श्री भैरोंसिंह : लिस्ट नहीं बनी इसलिये इन्क्रीमेंट नहीं दिया यह आपने उत्तर में कहा। और अब आप कह रहे हैं कि आदेश का पालन हो रहा है तो क्या केटेगोरिकली आप कह सकते हैं कि जिनको ग्रेड इन्क्रीमेंट दिया जाना था वह उनको दिया जा रहा है, जिनकी लिस्ट नहीं आई है, उनके अलावा ?

श्री निरन्जनाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, इसकी मुझे जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : जानकारी तो इसी बात की लेनी थी।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : नहीं है. इसका मैं क्या करूं ?

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, न मालूम उप-शिक्षा मंत्रीजी को टीचर्स से क्या दुश्मनी है कि जब भी उनके मामले में प्रश्न किया जाता है तो उसको वे इस तरह टालते हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : माननीय अध्यक्ष, श्री शेखावत जी से मेरा अनन्य स्नेह है। शिक्षा संघ के अध्यक्ष हैं उनसे मेरा मतलब है। मैं उनसे बार बार अनुरोध करता रहता हूं।

श्री भैरोंसिह : मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि किससे आपका स्नेह है किससे नहीं हैं ....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : आपको मतलब कैसे नहीं है ? उनकी मार्फत ही तो आपकी जान पहिचान हुई है।

श्री भैरोंसिह : १-१०-६१ से उनको ग्रेड इन्क्रीमेंट दिया जाय। इस प्रकार के गवर्नमेंट के क्लियर कट आर्डर्स होने के बाद भी उन्हें ग्रेड इन्क्रीमेंट क्यों नहीं दिया गया ? गवर्नमेंट चाहे कि वह ६१ से आर्डर इम्प्लिमेंट होना चाहिये और आज ६४ है फिर भी वह आर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसका क्या कारण है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : इस प्रश्न की स्थिति पर मैं अभी उचित रूप से कोई जानकारी देने की स्थिति में नहीं हूं। माननीय सदस्य को इन परिस्थितियों की मैं स्वयं जानकारी ले कर दे सकता हूं ....

Page No. 30

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(अल्प विराम के अनन्तर)

लेकिन अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न अभी सरकार के विचाराधीन जरूर है।

श्री अध्यक्ष : क्या विचाराधीन है ? सरकार की आज्ञा हो गई, उसका पालन नहीं हुआ।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : ट्रेन्ड मेट्रिक ग्रेड देने का विचाराधीन हैं।

श्री भैरोंसिह : आपने अभी कहा कि लिस्ट मंगाई वह आई नहीं, इसलिये नहीं दिया गया, तो अब विचाराधीन क्या है ?

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा अभी तक ऐसे अध्यापकों की लिस्ट जो कि पंचायत समितियों में काम कर रहे हैं और उनको ट्रेन्ड मैट्रिक ग्रेड नहीं दिया गया जिसके वे हकदार थे, संचालक शिक्षा विभाग से प्राप्त नहीं हुई है।

तो कन्सीडरेशन के पॉइन्ट पर है।

श्री भैरोंसिह : जब गवर्नमेंट फाइनल डिसिजन ही नहीं ले पाई तो लिस्ट काहे को मंगाई ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : लिस्ट ग्रेड देने के लिए, अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट बात यह है कि मेरे पास इस सम्बन्ध में अभी तक पूरी जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिह : फाइनल डिसीजन ही जब गवर्नमेंट नहीं ले पाई. ..

श्री अध्यक्ष : अब कुछ नहीं पूछ सकते आप।

नेक्स्ट श्री बृजेन्द्रपाल !

करौली पावर स्टेशन

६३४ श्री बृजेन्द्रपाल (करौली) : Will the Minister for Power please state.—

(1) Is it a fact that due to non-availability of spare parts of generating sets at Karauli Power Station, these are running on the verge of collapse ?

(2) That a new 250 K. W. set has been sanctioned ?

(3) When is the new generating set likely to be commissioned and what would be the total installation cost of the new set ?

उप-मन्त्री विद्युत (श्री चन्दनमल वैद) : (१) जी नहीं।

(२) जी हां।

(३) इस वर्ष के अन्त तक लगा दिये जाने का अनुमान है। इस नये सैट को लगाने

(श्री चन्दनमल वैद)

में १,५०,०००) रु० इस वर्ष में खर्च होगा।

श्री बृजेन्द्रपाल : पहले प्रश्न के उत्तर में कहा है कि जी नहीं तो इस समय कितने जेनेरेटिंग सेट्स चालू हैं ?

श्री चंदनमल वैद : करौली के जेनेरेटिंग सैट्स की फर्म केपेसिटी १५० किलोवाट तक बिजली पैदा करने की है और आपने पूछा कि क्या वे वर्ज ऑफ कुलेप्स पर रन कर रहे हैं, इसलिए मैंने जी नहीं कहा। पर चूंकि वे वहां के लिए पर्याप्त नहीं है इसलिए जर्मनी की फर्म को दूसरे जेनेरेटर का आर्डर दिया है।

(६.०० म० पू०)

श्री बृजेन्द्रपाल : मेरा अर्ज करने का मतलब है कि फर्म कैपेसिटी १५० किलोवाट की तुलना में अब कितनी है ?

श्री चन्दनमल बैद : इस समय १५० किलोवाट है।

श्री बृजेन्द्रपाल : मैं आपकी सूचना के लिए कहना चाहूंगा कि सिर्फ एक जनरेटिंग सेट चल रहा है, तीन खराब पड़े हैं।

श्री चन्दनमल बैद : पांच जनरेटिंग सैट हैं। मैं कह नहीं सकता कि कितने खराब पड़े हैं मेरी सूचना के अनुसार एक आउट ऑफ आर्डर है, बाकी सबकी बराबर रिपेअर हो चुकी है। आज की स्थिति में एक या दो खराब हैं। पांच में से जो पावर जनरेट कर रहे हैं। हैं उनकी फर्म कैमेसिटी १५० किलो वाट है। वह पर्याप्त नहीं है, यह मैं मानता हूं। इसलिए दूसरों के आॅर्डर दिये हुए हैं।

श्री बृजेन्द्रपाल : पांच नहीं है साहब, चार है।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : पांच जनरेटिंग सैट्स की फर्म कैपेसिटी कितनी है ?

श्री चन्दनमल बैद : १५० किलावाट से ज्यादा है। लेकिन कुछ पहले के हैं, कुछ राजस्थान बनने के बाद के हैं। इस वक्त इन जनरेटिंग सैट् की फर्म कैपेसिटी १५० किलोवाट की है।

श्री फूलचंद जैन : टोटल कैपेसिटी अधिक है, लेकिन जनरेटिंग सैट्स के स्पेअर पार्ट्स न मंगाने से फर्म कैपेसिटी कम हुई है।

विद्युत मंत्री (श्री हरिश्चन्द्र) : पोजीशन यह है कि करौली में पुराने सैट्स हैं, कुछ राजस्थान सरकार और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने भेजे वह भी पुराने हैं। नये सैट्स के लिए आॅर्डर कर दिया गया है। इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि पुरानों को ठीक तरह से चलाया जाय, जो कैपेसिटी है जो firm capacity है इतनी ही पावर दे पाते हैं। यह प्रश्न विचाराधीन है। आगे चल कर कालौनी को किस तरह हाइडल से जोड़ा जाय-यह प्रश्न विचाराधीन है। नये सैट्स आयेंगे तब पुरानों की जगह लगा दिये जायेंगे।

श्री दलपतसिंह (आबूरोड) : नये जनरेटिंग सैट्स अभी तक नहीं आये ?

श्री हरिश्चंद्र : ऑर्डर हो चुका है। लेकिन कायदा यह है कि उनका इन्सपेक्शन होना जरूरी है। जहां जहां से लेते हैं वहां इन्सपेक्शन कराते हैं। वह नहीं हो पाया है इसलिए देरी हो रही है।

श्री अध्यक्ष : स्थगित प्रश्न, श्री श्रवणलाल।

स्थगित प्रश्न

(२५ व २६ फरवरी, ६४)

टीचर्स की बकाया रकम

५३. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(क) राजस्थान में किस किस जिले में टीचर्स की कितनी-कितनी और किस-किस वर्ष की और किस-किस प्रकार की रकम बकाया है ?

(ख) इस बकाया के भुगतान के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अध्यक्ष महोदय, इसकी लिस्ट मिल जाय। इसकी लिस्ट नहीं मिली है जबकि सूची मांगी गई थी तो प्रश्न कैसे पूछें।

उप-मंत्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (क) राजस्थान में जिस-जिस जिले में टीचर्स की जितनी-जितनी रकम बकाया है उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(ख) गत वित्तीय वर्ष तक करीब-करीब ५० प्रतिशत एरिअर्स की रकम का भुगतान कर दिया गया है। शेष रकम का चुकारा करने के वास्ते शिक्षा विभाग ने नियमों में संशोधन करने व स्टाफ में वृद्धि करने के प्रस्ताव को वित्त विभाग में अनुमोदनार्थ भेजा है और आशा की जाती है कि जल्दी से जल्दी एरिअर्स का निपटारा कर दिया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या सरकार इस वर्तमान स्टाफ से एरियर्स का निपटारा कर देगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वर्तमान स्टाफ से एरियर्स का निपटारा करने की आशा नहीं है, इसलिए स्टाफ बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि इसी प्रकार का ऐश्योरेन्स आपने पिछले वर्ष भी दिया था कि स्टाफ बढ़ाया जायगा ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : फाइनेन्शियल इमलीकेशन्स होने के कारण, यद्यपि सरकार ने कहा था फिर भी स्टाफ नहीं बढ़ा पाई। फिर से हमने कोशिश की है और फाइनेन्स डिपार्टमेंट से आग्रह किया है। यह सारी स्थिति को देखते हुए कुछ अधिक हमको स्टाफ दिया जाय जिसमे इस समस्या का निराकरण कर सकें ?

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : इस साल वित्तीय समस्या है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, वित्तीय समस्या तो है लेकिन शिक्षकों की समस्या और भी जटिल है इस लिए थोड़ा ध्यान अधिक देना पड़ेगा।

श्री फूलचन्द जैन (सुजानगढ़) : शिक्षकों के साथ अपनी सहानुभूति है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपकी है या नहीं लेकिन मेरी सहानुभूति है।

श्री फूलचन्द जैन : अध्यापकों की वेतन की रकम अभी तक बकाया है और आप कहते हैं कि सहानुभूति है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : कुल कितनी रकम बकाया है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह हमारे प्रयासों का द्योतक है कि पचास पर्सेन्ट एरियर्स का चुकारा किया है और पचास पर्सेन्ट चुकाने के बाद यह बराबर कोशिश की जा रही है। चुकारा जल्दी से जल्दी कर दिया जाय।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : कुल कितनी रकम बकाया है ?

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इस सूची में जिन टाइम बाउंड एरिअर्स का जिक्र किया है उसके अलावा भी शिक्षकों की बकाया रकम है-क्या यह सरकार को मालूम नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने अर्ज किया है, कई तरह की बकाया है फिक्सेशन की बकाया है....

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : यह तो है। सूची में जो ओल्ड का टोटल दिया हुआ है इसके अलावा और देना बकाया नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सूची में जो दर्ज है इसके अलावा बकाया नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : पंचायत समितियों के टीचर्स की बकाया इसमें शामिल है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : होनी चाहिए ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : होनी चाहिए का प्रश्न नहीं है। हैं या नहीं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो ३० लाख रुपये की बकाया है इसमें है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : मेरा प्रश्न है....

श्री निरंजननाथ आचार्य : है।

श्री भैरोंसिंह : पंचायत समिति के टीचर्स की बकाया इसमें शामिल नहीं है। आपने ग्रेड इन्क्रीमेंट की बात कही है, उसमें सब जगह की अलग-अलग दी है। पंचायत समिति में मैट्रिक ग्रेड देना है यह मंजूर किया है, लेकिन मैट्रिक वालों की कितनी बकाया है वह रकम इसमें शामिल नहीं है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : उसमें है--

"Or payment of arrears of T. A. Bill payments of incraments, payment due on account of fixation, payment of salary and other allied matters."

श्री भैरोंसिह : एलाइड मैटर्स में नहीं आता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कितने कितने टीचर्स को कितना-कितना देना है- यह नहीं है तो आपने एस्टीमेट कैसे लगा लिया कि गवर्नमेंट को कितना देना है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या, क्या ?

श्री भैरोंसिह : पंचायत समिति के टीचर्स की, आपके कथनानुसार, लिस्ट नहीं हैं, फिर आपने एस्टीमेट कैसे लगा लिया कि पंचायत समिति के टीचर्स को मैट्रिक ग्रेड देने, प्रमोशन देने पर फिक्सेशन देने से इतना अमाउन्ट होगा जिसका पेमेन्ट करना है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मेट्रिक ग्रेड देने से कितना बकाया है। इस स्थिति में मैं नहीं हूं कि कह सकूं। अभी तक पेमेन्ट बकाया है उसका स्टेटमेंट है। ग्रेड देने के प्रश्न से कितना बकाया रहेगा, वह इसमें नहीं है। इसकी जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिह : यह प्रश्न है कि ग्रेड का बकाया इसमें शामिल है या नहीं ?

श्री दिरंनजननाथ आचार्य : उसके सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता कि कितना बकाया हो सकता है ग्रेड का। वह है या नहीं-मुझे पता नहीं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या शिक्षा विभाग ने यह जानकारी की है कि कितने नये स्टाफ की आवश्यकता होगी ? नई पोस्ट्स की क्रियेशन की सेंक्शन मांगी है फाइनेन्स से ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं सवाल नहीं समझ पाया।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस सारे एरिअर को चुकाने के लिए कितने स्टाफ की मांग करेंगे ? पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन यह है क्या....

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस प्रश्न का उत्तर है कि शिक्षा विभाग ने सारी स्थिति का विश्लेशण करके फाइनेन्स डिपार्टमेंट को मूव किया है कि कितने स्टाफ की हमको आश्यकता होगी और क्या क्या जरूरी बातें होंगी ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : फाइनेन्स डिपार्टमेंट को मूव करने के बाद, आवश्यकता के माफिक क्रियेशन आफ पोस्ट की सेंक्शन मांगी है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं। हमने इधर से कुछ अकाउन्टेन्ट्स मांगे हैं।

श्री अध्यक्ष : क्रियेशन आफ पोस्ट्स हुई है ना ?

Page No. 35

श्री निरंजननाथ आचाय : इधर से ट्रान्सफर वगैरह होंगे।

श्री अध्यक्ष : क्रियेशन के वगैर ट्रान्सफर नहीं हो सकता। तब क्या नई पोस्ट्स की सेंक्शन मांगी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं मांगी है ?

श्री अध्यक्ष : उसके वगैर स्टाफ रखेंगे कैसे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हमने एडजस्टमेंट किया है, इधर से स्टाफ हमें दे दिया जाय अकाउन्ट्स वगैरह का डिस्पोजल करने के लिए और फाइनेन्स रूल्स हैं उनमें रिलेक्सेशन कर दिया जाय।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मंत्री महोदय समझते हैं, अकाउन्टेन्ट वगैरह मिल सकते हैं लेकिन जब तक क्रियेशन आफ पोस्ट्स नहीं करते तब तक आप नियुक्त नहीं कर सकते। टेम्प्रेरी रखने का सवाल हो तो आप वैसे ही रख सकते हैं, फाइनेन्स डिपार्टमेंट की सेंक्शन लिये बिना रख सकते हैं। आप यह समझ लें कि एरियर्स का चुकारा करने के लिए कितने स्टाफ को आवश्यकता होगी और यह भी समझ लें कि क्रियेशन आफ पोस्ट्स किसको कहते हैं और क्या प्रोसीजर फॉलो करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : कितने अध्यापकों का कितना रुपया बकाया है-?

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, अब तक जो पेमेन्ट हुआ है वह....

श्री भैरोंसिंह : पेमेन्ट नहीं, यह बताइये कितने अध्यापकों का कितना रुपया बकाया है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सवाल दुंगम जवाब दुंगम।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इसमें यह सूचना मांगी भी नहीं गई है और न यह सूचना मेरे पास है। इसमें रेंज वाइज़ और डिस्ट्रिक्ट वाइज़ सिचूएशन है। प्रत्येक रेंज में कितना रुपया बकाया है और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कितना रुपया बकाया है, यह जानकारी है।

श्री भैरोंसिंह : कितने टीचर्स का कितना टोटल अमाउन्ट बाकी है ?

विधिमन्त्री (श्री मथुरादास माथुर) : क्यों तंग करते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह मेरे पास नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : फिर टोटल कैसे बता दिया ? जब तक नम्बर आफ टीचर्स नही है....

श्री निरंजननाथ आचार्य : अलग-अलग जिले की मांगो है, वह बता दिया है उसकी जानकारी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मैं सुझाव देना चाहूंगा कि यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और साल ब साल चलता आ रहा है। इस लिए शिक्षा विभाग के द्वारा इन्फार्मल या कन्सलटेटिव कमेटी स्थापित करें जो एक

Page No. 36

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

महीने में एक दफा मीटिंग करे और सारे क्वेश्चन्स का निपटारा करायें।

श्री भैरोंसिंह : इस डिपार्टमेन्ट से कुछ नहीं होने वाला है। मैं खेद के साथ कहना चाहता हूं कि फ्राम टॉप टू बाटम, कम्प्लीटली मिनिस्टर से लेकर डाइरेक्टर तक कोई कॉम्पीटेन्ट नहीं है। इसमें ग्रुप्स बने हुए हैं और ग्रुप पोलिटिक्स चलती है। इनकी कुछ चलती नहीं है। अगर टीचर्स का भला करना है तो सदन के द्वारा गवर्नमेंट को कोई न कोई डेफीनेट आर्डर दिये जायं कि इतने समय तक खत्म करने पड़ेंगे। आप चाहे कन्सलटेटिव कमेटी बनायें या एडवाइजरी कमेटी बनायें....

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, चलती भी है....

श्री भैरोंसिंह : बिल्कुल नहीं चलती है। मजबूरी चलती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : और चलती है जब ही पचास पर्सेन्ट चुकारा कर दिया है।

श्री भैरोंसिंह : यह तो विधान सभा में क्वेश्चन्स पूछे जाने के कारण हुआ है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जो नहीं हो पाया है, इसके लिए आगे कोशिश कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : कितने समय में बकाया रकम का चुकारा हो जायेगा।

श्री निरंजननाथ आचार्य : साल भर में हम कर देंगे।

श्री भैरोंसिंह : यह बहुत ज्यादा समय है। तब तक दूसरे मंत्री आ जायेंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शासन से कितनी बार कहा जा चुका है, उसके बावजूद एक्शन नहीं हो रहा है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, आपके ऑर्डर्स के अनुसार यह चुकारा किया गया। Relaxation in the process of the rules may do so. Relaxation is being made, Sir.

Relaxation as to permit the change in cent percent office copies, which are not available, it is possible to conclude the responsibility of the claims of bills.... रेकॉर्ड्स की कमी और जितने फाइनेंस के रूल्स हैं उनको रिलैक्स कराने का प्रयत्न कर रहे हैं और स्टाफ........

श्री अध्यक्ष : वित्त मंत्री भी शायद सुन रहे हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : वित्तमंत्री ने सहयोग देने का आश्वासन दिया है, इनका सहयोग भी मिलेगा।

श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर) : अभी तक सहयोग नहीं मिल रहा था ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उनसे आपको अभी तक असहयोग मिल रहा है क्यों ?

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इस सिलसिले में फाइनेंस डिपार्टमेंट का कोई रेफरेंस नहीं हुआ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : मंत्री महोदय के पास काम की अधिकता है उसके लिए मेरी सहानुभूति है।

श्री भैरोंसिंह : काम तो है ही नहीं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपमंत्री महोदय को चाहिए कि इस समस्या को हल कम से कम ६ महीने में तो करें। नहीं तो उपमंत्री हैं किस काम के ? खूबसूरती के लिए हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : न तो उपमंत्री में खूबसूरत व्यक्तित्व है, खूबसूरती तो विरोधी नेता महोदय में है। और न मैंने कभी भी ऐसा दावा किया है जिंदगी के आरंभ से ही।

श्री मानिकचंद सुराणा : इस बारे में मन्त्री महोदय इस बात का डेफीनिट आश्वासन दें कि अगली विधान सभा की बैठक से पहले सारे कामों का निपटारा कराएंगे क्योंकि यदि इन्होंने ६ महीने का समय लिया तो सेक्रेट्री और डाइरेक्टर इनकी कोई सुनने वाले नहीं हैं। इसलिए इनको स्पेसीफिक मैन्डेट दिया जाय विधान सभा में तो शायद सेक्रेटरी और डाइरेक्टर उनकी सुन लें। इसलिए इनको डेफीनिट ऑर्डर्स दिए जायं।

श्री भैरोंसिंह : मैं निवेदन करूंगा कि डिप्टी मिनिस्टर के बजाय यदि ये दो मंत्री जो ट्रेजरी बैंच पर बैठे हैं उनकी तरफ से आश्वासन मिलेगा तो कुछ इम्प्लीमेंट होगा।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने हिम्मत बंधाई है, तभी तो उपमन्त्री ने इतना कहा है खास तौर से वित्तमन्त्री जी ने।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : जैसा मैंने निवेदन किया यहां आश्वासन देना बड़ा सरल हो जाता है, लेकिन इसके इम्प्लीमेंटेशन के प्रश्न पर मुझको दूरदर्शिता से सोचना पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह : वह तो है ही नहीं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : फिर भी साल भर मैंने मैग्ज़ीमम पीरियड लगाया है। इतना हृदय तो माननीय सदस्यों में होना चाहिए कि मैग्ज़ीमम पीरियड को मिनीमम न लें। इसलिए मैं साल भर के अन्दर-अन्दर जरूर इस काम को पूरा करूंगा और जो कुछ भी प्रगति होगी मैं नेक्स्ट सेशन में माननीय सदस्यों के समक्ष रख दूंगा और जो दिक्कतें होंगी आप खुद एप्रीशिएट करेंगे। मैं साल भर की मैग्ज़ीमम लिमिट ले रहा हूं। उससे पहले आपका जितना सहयोग होगा और जितना माननीय मंत्री, फाइनेंस डिपार्टमेंट का होगा, मैं इस काम को पूरा कराऊंगा, इसका मैं आश्वासन दिलाता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : कन्सल्टेटिव कमेटीज़ बनाने में आपको क्या ऐतराज है ? पार्लियामेंट में बनी हुई हैं तो यहां भी बनाने में क्या ऐतराज है ?

श्री अध्यक्ष : यह तो एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है, डे-टू-डे एडमिनिस्ट्रशन का। मैं समझता हूं कि कमेटी इसमें खास सफल साबित नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह : क्या कोई सीनियर मिनिस्टर एश्योरेंस दे सकते हैं इसलिए कि डिप्टी मिनिस्टर आश्वासन देने में और कम्प्लायेंस नहीं कराने में एक्स्पर्ट हैं। इसलिए कोई सीनियर मिनिस्टर दे दें तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष : वैसे कम कराते हैं लेकिन अब ज्यादा कराएंगे!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : सारा मामला सब्जेक्ट टू कन्डीशन है। उपमन्त्री महोदय ने कहा कि यदि फाइनेंस मिनिस्टर का सहयोग मिला तो। इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर कमिटमेंट दे दें कि पूरा सहयोग देंगे।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : यह भी कन्डीशन हो कि यदि साल भर में काम पूरा नहीं करा सके तो कुर्सी छोड़ देंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप इस बात के आदी हो गए हैं कि कुर्सी छोड़ दो। लेकिन तीन साल तक तो प्रश्न ही पैदा नहीं होगा। आप यहां तीन साल के बाद मिलें या न मिलें, मैं तो मिल जाऊंगा।

तहसीलों में हायर सैकेन्डरी स्कूल्स

६३३. श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) राज्य में ऐसी कितनी तहसीलें हैं जहां हायर सैकन्डरी स्कूलें नहीं हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) सरकार का उक्त तहसीलों में हायर सैकन्डरी स्कूलें खोलने का कब तक विचार है?

(३) यदि अर्थाभाव के कारण नई हायर सैकन्डरी स्कूलें खोलना सम्भव न हो तो क्या ऐसे जिलों में जहां अनुपात से ज्यादा हायर सैकन्डरी स्कूल खुल चुके हैं उनका स्थानान्तरण उपरोक्त तहसीलों में करने का सरकार का विचार है?

उपमन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) राज्य में जिन जिन तहसीलों में हायर सैकन्ड्री स्कूल्स (११वीं कक्षा तक) नहीं है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) १९६४-६५ के बजट में माध्यमिक शालाओं को हाई व हायर सैकेन्ड्री स्कूल बनाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(३) ऐसा कोई प्रोपोजल सरकार के पास नहीं है!

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने ५४ तहसीलों की ऐसी लिस्ट दी है जिनमें सीनियर हायर सैकेन्ड्री या जूनियर हायर सैकन्डरी स्कूल नहीं है। मैं यह जानना चाहूंगा

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कि इसमें आपने १२ तहसीलों की एक ऐसी लिस्ट दी है जहां न हाई स्कूल है न जूनियर हायर सैकन्डरी है न सीनियर हायर सैकेन्ड्री स्कूल है। क्या सरकार तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति से पहले इन १२ तहसीलों के लिए विशेष प्रावधान करके हाई स्कूल या हायर सैकेन्ड्री स्कूल खोलने का विचार रखती है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने जो सूची दी है वह १२ की नहीं है, १५ की है। जिनमें लिखा हुआ है कि नहीं है इसका मतलब तहसील के हैड क्वार्टर्स पर नहीं है बाकी तहसील में है। ऐसी तहसीलें जिनमें कोई हायर सैकेन्ड्री स्कूल नहीं हैं वे सिर्फ ४ हैं। ये सारी तहसीलें इन्क्लूडिंग हैडक्वार्टर्स नहीं है। आपको जो सूची दी है उसमें वे स्कूल हैं जो तहसील हैडक्वार्टर्स पर नहीं हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपसे जो प्रश्न पूछा गया वह यह है कि किन तहसीलों में जूनियर या सीनियर हायर सैकन्ड्री स्कूल नहीं हैं। सूची भी उन्हीं की मांगी गई है। आपने जो एक्सट्रेक्ट मार्क करके दिया है उसमें नहीं है। तहसील हैडक्वार्टर्स से मतलब है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैंने दोनों प्रकार की लिस्ट दी हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरे पास तो एक ही लिस्ट आई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जिन तहसीलों में हैडक्वार्टर्स पर नहीं लेकिन तहसीलों में हैं उनकी भी लिस्ट दी है और जिन तहसीलों में बिल्कुल नहीं हैं वह भी दी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह नोट है। आप देख लें : "Tehsils marked with asterisks have niether got High School, nor Junior Higher Secondary nor Sr. Higher secondary schools ..."

इसमें हैडक्वार्टर्स का कहीं रिलेशनशिप नहीं है और ऐसी तहसीलें आपकी सूची के अनुसार १५ हैं। मुझे जो आपने सूची दी है उसमें १२ हैं। १५ साल हो गए आपको अर्ज करते हुए, न हाई स्कूल न जूनियर हायर सेकेन्ड्री स्कूल है न सीनियर हायर सैकन्ड्री स्कूल है। आपके बजट में १५ करोड़ रुपए हर साल खर्च होते हैं। तो क्या विशेष प्रावधान द्वारा आप इन तहसीलों की मांगों को पूरा करेंगे।

श्री निरंजननाथ आचार्य : विशेष प्रावधान द्वारा इन तहसीलों की मांग को पूरा किया जाना चाहिए लेकिन आर्थिक संकट के कारण इस वक्त नहीं कहा जा सकता कि जिन तहसीलों में हायर सेकेन्ड्री स्कूल नहीं हैं उनमें....

श्री मानिकचंद सुराणा : हाई स्कूल भी नहीं हैं।

Page No. 40

श्री निरंजननाथ आचार्य : लेकिन जो हायर सेकेन्ड्री स्कूलों के खोलने के नियम हैं उन नियमों का यदि ये तहसीलें कम्प्लायेंस करती हैं तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री मानिकचंद सुराणा : क्या नए हाई स्कूल खोलने में सरकार इस प्राथमिकता को स्वीकार करती है कि जहां कोई भी हाई स्कूल नहीं है सबसे पहले प्राथमिकता उन तहसीलों को दी जाय ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : हाई स्कूल खोलने का सरकार का विचार नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : जूनियर हायर सेकेन्ड्री स्कूल।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह वन आफ दी सर्कम्स्टांसेज है। उनके जितने भी नियम हैं उनके साथ यह भी विचार में रखते हैं कि जिन तहसीलो में नही है....

श्री मानिकचंद सुराणा : आपकी बहस से साफ हो गया है कि आपका कोई विचार नहीं है। आपने जो सूची दी है उसके आइटम नम्बर १८ में हुरड़ा का नाम लिखा है जो गुलाबपुरा में है वहां सीनियर हायर सेकेन्ड्री स्कूल है उसके बावजूद आपने हुरड़ा का नाम शामिल कर दिया है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हुरड़ा भीलवाड़ा जिले में है। मेरा विश्वास है कि हाई स्कूल है।

श्री मानिकचंद सुराणा : गुलाबपुरा में हायर सेकेन्ड्री स्कूल है, ऐडेड है, सीनियर हायर सेकेन्ड्री स्कूल है। आप शिक्षामन्त्री हैं, आपको भीलवाड़ा जिले और उदयपुर जिले का ज्ञान नहीं है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ऐडेड है। वह एक मैंने लिस्ट दी है।

श्री मानिकचंद सुराणा : वह तो नहीं दी।

श्री निरंजननाथ आचार्य : गवर्नमेंट के इन्स्टीट्यूशन्स को दी है, एडेड की नहीं दी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्वेश्चन सिर्फ यह है कि हायर सेकेन्डरी स्कूल्स हैं या नहीं गवर्नमेन्ट की दी हैं और एडेड की नहीं दी हैं, इस बात का क्वेश्चन नहीं। यह आपने कैसे जवाब दिया ? तीन दफा यह क्वेश्चन पोस्टपोन हो चुका है पहले १८ की सूची दी अब ६४ की दे दी। सीनियर हायर सेकेन्डरी स्कूल का भी नाम आ गया लेकिन है ही नहीं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : गवर्नमेंट इन्स्टीट्यूशन्स की दी हैं। एडेड की मेरे पास है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : गवर्नमेन्ट इन्स्टीट्यूशन्स की मांग किसने की थी ? आपने जो क्वेश्चन किया गया है उसका जवाब देंगे या दूसरा देंगे।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : एडेड इन्स्टीयूट्शन्स की संख्या काफी है। आप चाहें तो मेरे पास इसकी सूची है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप तो कन्सोलिडेटेड सूची दीजिये। गवर्नमेंट और एडेड और ज्युनियर और सीनियर इसमें भी कोई डिफरेन्स नहीं है। आपको तो क्वेश्चन का जवाब देना चाहिये, कन्सोलिडेटेड लिस्ट देनी चाहिये। तीसरी योजना में भी है कि इतने हायर सेकेन्डरी स्कूल होंगे। कभी आपने गवर्नमेन्ट इन्स्टीट्यूशन्स की दे दी और कभी एडेड की दे दी। इसको महज टालने की बात है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इसको फिर पोस्टपोन कराया जाय। मंत्री महोदय को स्वयम् को जानकारी नहीं है। शिक्षा पर १५ करोड का खर्चा होता है। दरअसल हकीकत के अनुसार उनको सूची पेश करना चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हुरडा तक ही तो प्रश्न है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : मेरे पास तीन सप्लीमेन्टरीज और है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): प्रश्न दो स्पष्टतया पूछे गये हैं। (१) ऐसी तहसीलें कितनी है जहां पर हायर सैकन्डरी स्कूल कतई है ही नहीं ? (२) यदि ऐसी तहसीलें हैं जहां पर ऐसी संस्थायें कतई नहीं हैं तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में विचार करेगी कि जिन तहसीलों में ऐसी संस्थायें नहीं हैं वहां पर प्राथमिकता देकर हायर सैकेन्डरी स्कूल खुलायेगी ?

प्रश्न का उत्तर स्पष्ट नहीं दिया गया है। He is just beating about the bush of which he seems to be very much fond of...

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, जिन तहसीलों में हायर सैकेन्डरी स्कूल नहीं हैं उनकी लिस्ट मैंने गवर्नमेन्ट इन्स्टीट्यूशन्स की बुनियादी पर नजर की। जिन तहसीलों में हायर सैकन्डरी स्कूल खुले हैं on one of the considerscot उन पर विचार किया जा सकता है। जहां प्रावधान ही नहीं है वहां वह प्रश्न नहीं उठता है।

श्री अध्यक्ष : दूसरी लिस्ट है वह माननीय सदस्य को दे दें। सरकारी पक्ष से भी उत्तर पूरा नहीं हुआ। यह लिस्ट दी है। इससे ऐसा मालूम होता है कि ९४ इन्स्टीट्यूशन्स हैं, दूसरी जगह व्यवस्था नहीं है। आपकी ओर से यह कन्सोलिडेट करके बताया जाता कि इतनी नहीं है और बहुत कम है तो माननीय सदस्यों को संतोष हो जाता।

श्रीमती नगेन्द्रबाला (छबड़ा) : निश्चित रूप से संतोष होना चाहिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : तहसील के आधार पर हैडक्वार्टर पर नहीं है लेकिन एडेड है।

श्री अध्यक्ष : आप साफ बता देते तो ९४ से कम हो जाती और आपके अचीवमेन्ट्स भी दिखते कि इतनी कवर कर ली हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं चाहता था कि यह सूची भी आपको मिल जाती।

श्री अध्यक्ष : आप चाहते तो बहुत बातें हैं लेकिन होती नहीं।

प्रश्न समाप्त हुए।

श्रीमती नगेन्द्रबाला : अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहती हूं।

श्री अध्यक्ष : Order please ! (प्रश्न समाप्त हुए।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तरों के लिए कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लोगों को गृह निर्माण हेतु धनराशि

२८. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

समाज कल्याण विभाग द्वारा सन् १९५९-६० से अब तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिए किस किस जिले में कितनी कितनी धन राशि गृह निर्माण हेतु दी गई तथा उनमें से कितने मकान बन चुके हैं तथा कितने अपूर्ण हैं ?

उत्तर

सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

स्कूल भवनों के निर्माण पर खर्चा

२८१. श्री रविशंकर याज्ञनिक (पिडवाड़ा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सन् १९५९ से आज दिन तक शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कहां कहां और किन किन सालों में सरकार ने स्वयं के खर्च से कॉलिजों, हायर सेकेन्डरी, माध्यमक एवं प्राथमिक शालाओं के भवन बनवाये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) सन् १९५९ से आज दिन तक शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कहां कहां और किन-किन सालो में सरकार ने स्वयं के खर्च से कॉलेजों, हायर सेकेन्डरी, माध्यमिक एवं प्राथमिक शाला भवनों में एडिशनल कमरे बनवाये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(३) किसी शहरी अथवा ग्रामीण क्षेत्र में अपने स्वयं के खर्च से सरकार द्वारा नये कॉलिजों, हायर सेकेन्डरी, माध्यमिक एवं प्राथमिक शालाओं के भवन बनाने और मौजूदा भवनों में सरकार द्वारा स्वयं एडिशनल कमरे बनाने के आधार क्या हैं ?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

बिसाऊ-मंडरेला सड़क निर्माण के लिए दरख्वास्तें

२८२. ठाकुर श्री रघुवीरसिंह,

(ठाकुर श्री रघुबीरसिंह)

(मंडावा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि जिला झुंझुनू के ग्राम गांज्ञासर, निराधनु, अलसीसर, मलसीसर व मंडरेला की पंचायतों की दरख्वास्तें ३ वर्ष से बिसाऊ से मंडरेला तक पुख्ता सड़क तैयार किये जाने हेतु पेश हो रही हैं ?

(२) क्या यह सत्य है कि इस वर्ष झुंझनू जिले के उस विभाग में अकाल है और यातायात के साधन की कमी की वजह से पीने के पानी का प्रबन्ध करने में कठिनाई हो रही है ?

(३) यदि हां तो क्या सरकार इस समय बिसाऊ से मंडरेला तक सड़क निर्माण करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(१) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है।

(२) यातायात के साधनों में निरन्तर वृद्धि हुई है पानी के प्रश्न के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(३) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है। अर्थाभाव के कारण।

कुशलगढ़ हाई-स्कूल में कमरों का अभाव

२८३. श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कुशलगढ़ हाई स्कूल में कमरों की कमी को दूर करने के लिए वहां की जनता ने मांग की है ?

(२) क्या यह भी सही है कि इसके लिए सरकार ने जन-सहयोग की मांग की थी जिसके अनुसार जन-सहयोग के रूप में क्लब हाउस विभाग को दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब ?

(३) इसके पश्चात् कितनी राशि अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है तथा कब ? क्या यह सही है कि रकम की स्वीकृति के लिए सरकार द्वारा लोगों को आश्वासन दिया गया था ?

उत्तर

(१) कुशलगढ़ हाई स्कूल में कमरों की कमी को दूर करने के लिए वहां की जनता ने इस कार्यालय द्वारा गत दो वर्षों में कोई मांग नहीं की है।

(२) सरकार ने इसके लिए जन-सहयोग की मांग नहीं की है जनता ने क्लब हाउस कुशलगढ़ हाई स्कूल को कमरों की कमी को पूरा करने को १६-५-६० को दिया है।

(३) इसके लिए क्लब हाउस प्राप्त होने के पश्चात कोई अतिरिक्त राशि कमरों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं

श्री शिक्षा मंत्री)

की गई है न सरकार द्वारा लोगों को ऐसा आश्वासन ही दिया गया है ।

कोलोनी तथा मकानों के निर्माण पर व्यय

२८४. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला सवाई माधोपुर में सन् ५७ से ६३ तक समाज कल्याण विभाग की ओर से कितने मकान व कितनी कोलोनीज़ बनाई गई हैं और कहां कहां ?

(२) उपरोक्त कोलोनीज व मकानों के निर्माण में सरकार का कितना रुपया खर्च हुआ है और कहां पर ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(३) भविष्य में जिला सवाई माधोपुर में समाज कल्याण विभाग की ओर से कहां-कहां मकान व कोलोनीज़ बनाने का विचार है ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(२) स्वीकृत धनराशि की सूचना सदन की मेज पर रखी गई सूची में अंकित है ।

(३) जिलेवार योजनायें नहीं बनाई जाती । प्रस्ताव नियमानुसार प्राप्त होने पर उपलब्ध धनराशि को ध्यान में रखते हुए विचार किया जा सकता है ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सलूम्बर से धरियावद तक पक्की सड़क

२८५. श्री उदयलाल बर्दिया (लसाड़िया) क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) क्या उदयपुर जिले में सलूम्बर से धरियावाद तक पक्की सड़क बनाये जाने का योजना में प्रावधान है ?

(२) क्या यह सही है कि धरियावद से सलूम्बर तक सड़क पांच माह तक बराबर बन्द रहती है ?

(३) क्या यह सही है कि इस सड़क पर माईन्स वालों की सैकड़ों गाड़ियां हमेशा चलने वाली सड़क नहीं होने से बन्द रहती हैं ?

(४) क्या इस सड़क की लम्बाई केवल ३५ माइल ही है ? क्या यह भी सही है कि इतने उपयोगी रास्ते पर निरन्तर पांच छः वर्ष तक कार्य चलते रहने पर भी केवल ३ मील पक्की सड़क बन पाई है ?

(५) अब इस सड़क को कब तक पूरा कराया जावेगा ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) यह मार्ग अधिक वर्षा के समय बंद रहता है ।

(श्री सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)

(३) जी हां।

(४) जी हां। यह सड़क पार्टली मेटल्ड और पार्टली ग्रेविल रोड बनने को थी जिसमें से २१ मील ग्रेविल रोड बन चुकी है। तथा ५६ मील रोड मेटेल्ड रोड बन चुकी है।

(५) इस रोड के संपूर्ण पक्का बनने का कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

ग्रामों को बिजली

२८६. श्री चतुर्भुज उपाध्याय (चित्तौडगढ़) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या ५००० की जनसंख्या या इससे कम जनसंख्या वाले ग्रामों को बिजली देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो इस योजना का विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

जी हां। प्रति वर्ष इस प्रकार की योजना धनराशि व सामान की उपलब्धि, व आर्थिक दृष्टि से लाभप्रदता को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। १९६३-६४ की योजना की प्रतिलिपि संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ठेकेदारों की बकाया रकम

२८७. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) सार्वजनिक निर्माण विभाग में किस किस ठेकेदार की कितनी कितनी रकम किस किस प्रकार की कब २ से पड़ी है जिसका भुगतान ठेकेदार को करना है? कृपया इसकी तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) यह रकम क्यों बाकी पड़ी हुई है तथा इसमें कितनी रकम कब से डिस्प्यूटेड है?

(३) इनमें जिन रकमों का भुगतान १ वर्ष से अधिक डिले हुआ है उनके डिस्प्यूटेड केस किस किस अधिकारी के पास कब से पेन्डिंग हैं और इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं?

(४) क्या यह ठेकेदारों को तंग करने का एक तरीका है जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है? यदि हां तो इसकी रोक थाम के क्या उपाय सरकार ने निकाले हैं?

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

राजस्थान आयरन एन्ड स्टील कारपोरेशन, धौलपुर

२८८. श्री रामकिशन (वैर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) धौलपुर स्थित राजस्थान आयरन

(श्री रामकिशन)

एण्ड स्टील कॉरपोरेशन को कितने वर्षो से किस किस का कितना २ कोटा किन २ कार्यो के लिए दिया जाता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) उक्त कॉरपोरेशन ने कोटा प्राप्ति से लेकर अब तक किस किस चीज का कितना कितना उत्पादन किया है और तैयार माल को कब कब कहां कहां सप्लाई किया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) उक्त कॉरपोरेशन ने कोटा प्राप्ति की तारीख से लेकर अब तक अपने तैयार माल पर सरकार को कब कब कितना उत्पादन शुल्क जमा कराया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(१) धौलपुर स्थित राजस्थान आयरन एण्ड स्टील कॉरपोरेशन को सितम्बर १९५९ से लेकर फरवरी ६४ तक दिये गये विभिन्न कन्ट्रोल्ड वस्तुओं की सूची नम्बर (१) संलग्न है ।

(२) उक्त कारखाने द्वारा मिले हुए कन्ट्रोल के माल से जो उत्पादन किया गया है वह प्रश्न १ के उत्तर में संलग्न सूची के आखिरी कालम में वर्णित किया गया है ।

कारखाने द्वारा तैयार माल की बिक्री का ब्यौरा सन् १९५९ से अब तक सूची नम्बर (२) में दिया हुआ है ।

(३) राजस्थान में कोई उत्पादन शुल्क जमा नहीं कराया जाता अतः इसके जमा कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रक्खी गई)

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है ।

(९.२५ म० पू०)

खातेदारी अधिकतम देने विषयक याचिका का उपस्थापन

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान प्रवाह तथा लिफ्ट द्वारा सिंचित भूमि पर आरजी काश्तकारों को राजस्थान टिनेन्सी अधिनियम, १९५५ के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार दिये जाने सम्बन्धी एक याचिका का उपस्थापन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : यह याचिका समिति को भेज दी जाय ।

श्री भीखाभाई ।

श्री रामकिशन (वैर) : जो पिछले दो साल से दी हुई हैं उनका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट आई है ।

श्री रामकिशन : अब तक तो आई नहीं। एक मैंने याचिका दी थी। उसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : रिपोर्ट पेश हो चुकी है। उस समिति को आप नोटिस दीजिये।

(६.२७ म० पू०)

राणा प्रतापसागर डेम की हड़ताल के सम्बन्ध में श्रममंत्री का वक्तव्य

श्री भीखाभाई (श्रम मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस सदन में पहले भी राणा प्रतापसागर डेम की हड़ताल के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया था और उसमें मैंने यह बताया था कि वह मामला एक पंच फैसले को रेफर किया गया है। मैंने यह भी निवेदन किया था कि श्री किशोरीलालजी माथुर, चीफ इन्जीनियर, इर्रीगेशन डिपार्टमेंट राजस्थान जिन्हें माडर्न कन्स्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, रावतभाटा तथा उनके श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने उत्पादन विवादों के सिलसिले में पंच नियुक्त किया था। कम्पनी के जवाब दावे में कुछ आपत्तियां उठाने के कारण सारे कागजात श्रम विभाग को लौटा दिये हैं। श्रम विभाग ने उन आपत्तियों पर कानूनी दृष्टि से विचार कर लिया है। इस सम्बन्ध में आज मालिकों तथा मजदूरों के प्रतिनिधियों की एक मिली जुली बैठक बुलाई गयी है, जिसमें इन मुद्दों पर विचार कर उचित निर्णय लिया जावेगा। इस बैठक में चीफ इन्जीनियर राणा प्रतापसागर डेम, कोटा तथा राष्ट्रीय मजदूर संघ, राणा प्रतापसागर डेम, को भी आमन्त्रित किया गया है क्योंकि वे भी इस विवाद से सम्बन्धित हैं।

जो समझौता हुआ है और जिसके अन्तर्गत विवाद पंच फैसले को सौंपे गये हैं, वह दृरिवो के बल हैं और वापिस नहीं लिया जा सकता। कम्पनी की ओर से लिखित आश्वासन दिया गया है कि उनका पंच फैसले से मुकरने का कोई इरादा नहीं है। पंच फैसले सम्बन्धी कार्यवाही अभी जारी है और राजस्थान औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम की धारा १० जे. के अनुसार जब तक पंच फैसला धारा १७ के अनुसार राजपत्र में प्रकाशित नहीं होता तब तक के लिए पंच फैसले की कार्यवाही समाप्त नहीं की जायेगी। यदि इस दौरान में माडर्न कन्स्ट्रक्शन कम्पनी के मजदूरों द्वारा हड़ताल की गई तो वह गैर कानूनी समझी जायगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : जो आपत्तियां कम्पनी की ओर से इस सम्बन्ध में की गई जिनकी बिना पर आरबिट्रेटर ने उसको लौटा दिया और फिर उस पर लॉ डिपार्टमेन्ट की राय ली गई। वे कौन कौन से मुद्दे थे और लॉ डिपार्टमेन्ट की क्या राय रही इससे भी अवगत कराया जाय।

श्री भीखाभाई : जो माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है वह प्रश्न पंच महत्व का है। इस माने में कि यह सारा का सारा मामला पंच को, जिसको आरबिट्रेटर नियुक्त किया था, जिसकी ज्युडिशियल केपेसिटी होती है, उनको ही इस विषय में निर्णय ले लेना चाहिये और रेफरेन्स की आवश्यकता नहीं थी कि वे श्रम विभाग को भेजें। मैं समझता

(श्री भोखाभाई)

हूं कि जब एक ज्युडिशियल ऑथोरिटी बना दी गई है तो निश्चित रूपसे उनको तय करना चाहिये था लेकिन चूंकि श्रम विभाग को भेज दिया है और उसमें जो उन्होंने मुद्दे उठाये, एक तो यह था कि....

श्री अध्यक्ष : Order please !

यह तो सारा ज्युडिशियल बॉडी के सामने मामला जावेगा। They are seized of it now. जैसा कि माननीय सदस्य की बात थी, उन्होंने कहा कि उनको हटाया जा रहा है, विथड्रा किया जा रहा है। जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा कि उनको वापिस भेज दियां गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वापिस नहीं भेजा है। श्रम विभाग ने लॉ डिपार्टमेन्ट से राय लेकर अब उन मुद्दों को अपनी राय से भेजा है सिर्फ यही कह कर भेज देते कि आर्बिट्रेटर को निर्णय लेने का अधिकार है तो वह बात होती। एक मीटिंग बुलायी है तो सम्भावना है कि या तो रिविजन होगा या....

श्री अध्यक्ष : आर्बिट्रेटर ही देगा निर्णय तो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यही बता दें कि आर्बिट्रेटर पर छोड़ा है या लॉ डिपार्टमेण्ट से राय लेकर और कुछ बातों को रेफर किया गया है ?

श्री भोखाभाई : मैंने साफ कर दिया है कि वर्क्स की बात थी, फैसला नहीं हुआ, वह गलत था। वहां पर पंच मुकर्रर है। That should go to the Labour Department लेकिन जो लेबर डिपार्टमेन्ट ने राय दी है वह यही दी है कि दरअसल गलत है। कम्पनी की ओर से मुद्दे उठाये गये हैं उससे सहमत नहीं हूं। लेकिन चूंकि राष्ट्रीय मजदूर संघ की ओर से जवाबी दावे का संकेत किया गया है उनको भी बुलाया गया है ताकि उनका भी इस प्रकार का एग्रीमेन्ट कर दिया जाय।

श्री रामकिशन (वैर) : अगर उन्होंने गैर कानूनी हड़ताल की तो कोई बेजा बात नहीं होगी क्योंकि बातचीत के दौरान में कम्पनी जो मजदूरों के निवास स्थान में बिजली देती थी उनका कनेक्शन वगैरह काट दिया गया है, ऐसी मुझे सूचना मिली है। इससे मजदूरों को कम्पैल किया जा रहा है कि वे हड़ताल करें। लेकिन बातचीत चल रही है, इस बीच में अगर इस प्रकार से करते हैं तो यह आपके देखने की चीज है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जब कि आर्बीट्रेशन की प्रोसिडिंग्स चल रही है वैसी हालत में जो सुविधायें एमीनीटिज मजदूरों को मिल रही थी वे कम नहीं की जा सकतीं। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि कम्पनी की तरफ से ऐसा कदम उठाया जा रहा है कि जिससे जो सुविधाएं उनको उपलब्ध थीं उसमें कमी की जा रही है। दूसरी तरफ फ्रीवुलस ग्राउण्ड्सपर जिसको श्रम मन्त्रालय भी मानता है। एक प्रकार से उनको प्रोवोकेशन दिया जा रहा है जिससे मजदूरों में असन्तोष पैदा हो और मजदूर

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कुछ कदम उठाने को बाध्य हों डिपार्टमेंट को वे चीजें आर्बीट्रेटर को वापिस नहीं करनी चाहिए। उसी वक्त इमीजियेटली निर्णय लेकर कहना चाहिये था। मैं निवेदन करना चाहता हूं लेबर डिपार्टमेंट इस बात को देखे कि उनको जो सुविधायें प्राप्त थी उसमें किसी प्रकार की कमी न की जाय और कन्डीशन आफ सर्विसेज में किसी प्रकार की तब्दिली न की जाय। आर्बीट्रेटर सख्ती से इस बात को लागू करें।

श्री भीखाभाई : सदन में इस प्रकार की बातें कह कर भ्रम पैदा कर रहे हैं। दर असल में बिजली सुविधायें जो मजदूरों को दी जाती है उसमें कमी करने का सवाल नहीं है। यह तो इर्रीगेशन डिपार्टमेंट का अलग सवाल है। जहां तक लॉ डिपार्टमेंट का सवाल है वहां पर कोई राय नहीं ली गई आर्बीट्रेटर को अधिकार था जुडिशियल पावर्स थे वह जिस प्रकार भी चाहता निर्णय कर सकता था जब उन्होंने रेफरेन्स कर दिया तो अपनी राय जाहिर कर दी टर्म्स आफ कन्डीशन के अनुसार जब एग्रीमेंट हो गया आर्बीट्रेटर को रेफर होगया इसलिये कन्डीशन्स बदलने का प्रश्न नहीं उठता। जो डिमान्ड्स हैं उनका सारे का सारा रेकार्ड मौजूद है।

श्री रामकिशन : बिजली क्यों काट रहे है ? जो बिजली का उपभोग करते रहे हैं उनका कनेक्शन किस प्रकार से काटा जा जा रहा है ?

श्री भीखाभाई : आपकी जानकारी बिल्कुल अधूरी है और निराधार है। जो डिमान्ड्स थीं और जो उनके साथ कन्डीशन्स तय हुई थी सारी की सारी रेकार्ड में मौजूद हैं। जो भी टर्म्स ऑफ रेफरेन्स दिया गया वह बिल्कुल साफ है उसमें इधर-उधर जाने का सवाल नही है। जब कि यह सब मामला आर्बीट्रेटर को दे दिया गया है वैसी हालत में यह मामला सब-जुडिस है अगर इसके बाद भी यूनियन हड़ताल वगैरह करती है ता यह इल्लीगल है।

श्री रामकिशन : मेरी जानकारी अधूरी है, अज्ञानी हूं मूर्खतावश ही कर रहा हूं यही समझ लीजिये, लेकिन जो चीज पैदा हुई है उसका जवाब तो मन्त्री महोदय को देना चाहिये।

(६.३५ म० पू०)

शार्दूल टैक्स टाइल मिल से सम्बन्धित स्थगन,प्रस्ताव पर श्रम मन्त्री का वक्तव्य

श्री भीखाभाई (श्रम मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय; टैक्सटाइल लेबर यूनियन श्रीगंगानगर को एक हड़ताल का नोटिस देकर तारीख १३-४-६४ से हड़ताल पर जाने के लिए सूचित किया है। हड़ताल करने का कारण मालिकों की ओर से महंगाई भत्ते को महंगाई सूचक अंकों से नहीं जोड़ने का बताया गया है। इस विषय में यह स्पष्टीकरण करना आवश्यक है कि टैक्सटाइल लेबर यूनियन सादूल टैक्सटाइल के बीच में टैक्सटाइल वेज बोर्ड रिपोर्ट के अन्तर्गत दिनांक २३ सितम्बर,

(श्री भीखाभाई)

१६६० व ४ जनवरी १६६१ को एक समझौता हुआ जिसमें महंगाई भत्ते को महंगाई सूचक अंकों से जोड़ने का प्रश्न शामिल नहीं है पर इसके स्थान पर मालिक कारखाना ने मजदूरों को समझौता करते समय एक रुपया प्रतिमास महंगाई भत्ते में अधिक देने का समझौता किया। यह समझौता पार्टियों के बीच में पांच वर्ष तक लागू है।

अतः कानूनी दृष्टि से तो नोटिस की मांग पर कोई विचार नहीं किया जा सकता परन्तु नैतिक तौर पर मालिकों के प्रतिनिधि पर महंगाई भत्ते को महंगाई सूचक अंकों से जोड़ने के बारे में दबाव डालाजा रहाहै। इस सम्बन्ध में दिनांक ८ अप्रेल को मालिकों व मजदूर यूनियन के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई गई है जिसमें इस विषय पर विचार विमर्श किया जावेगा।

उक्त कारणों से स्थगन-प्रस्ताव पर विचार करना आवश्यक प्रतीत नहीं होता।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, सादूल टैक्सटाइल मिल की स्थिति यह है कि सरकार के पचास लाख शेयर्स है सादूल टैक्सटाइल मिल में है। सादूल टैक्स टाइल मिल ने आज तक एक ही वर्ष में फायदा बताया है हमेशा ही नुकसान बताया है। सीरियस ऑडिट चार्जेज उसके खिलाफ हैं जो रेकर्डेड हैं। टोटल कैपीटल आउट ले का पचास प्रतिशत लॉस दिखाया गया है। इस तरह से बहाना बनाकर मजदूरों का डिअरनेस अलाउन्स मारते आये हैं। मजदूरों को कोई समझौते की जानकारी नहीं है। उनकी रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन ने किसी प्रकार का समझौता नहीं किया है। सादूल टैक्सटाइल मिल में एक ही रिप्रेजेन्टेटिव यूनियन है। आज जब कि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में पांच रुपये की वृद्धि की है और यह आश्वासन दिया है कि जितने भी और उद्योग हैं उनमें भी यह महंगाई दिलवाने का प्रयत्न किया जायगा। ऐसी हालत में बोगस रेकार्ड तैयार करके लॉस बताना और डी० ए० नहीं देना यह एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसमें सरकार को हस्तक्षेप करके मालिकों से डी० ए० मजदूरों को दिलवाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): गवर्नमेण्ट ने इस सम्बन्ध में जो स्टेन्ड लिया है वह बहुत ही त्रुटिपूर्ण है। अध्यक्ष महोदय, गवर्नमेन्ट का यह कहना है कि आज से तीन या चार वर्ष पहले किसी यूनियन और मिल के बीच में कोई एग्रीमेन्ट हुआ उस वक्त की स्थिति के अनुसार वह ठीक हो सकता है। किन्तु आज महंगाई एक्स्ट्रा आर्डिनरी तौर से बढ़ गई है जैसा कि आज नेशनल लेबल पर कॉगनीजेन्स लिया जा रहा है गवर्नमेन्ट ने कॉगनीजेन्स लिया और अपनी इन्डस्ट्रीज पर यह लागू भी कर दिया और प्राइवेट इन्डस्ट्रीज़ पर लागू करवायेंगे यह आश्वासन भी दिया। ऐसी हालत में सामान्य तौर पर कोई एग्रीमेन्ट होता भी है तो एक्स्ट्रा आर्डिनरी सिच्युएशन के कारण महंगाई इतनी अधिक बढ़ गई है कि वह ओवर राइड करती हैं उन तमाम एग्रीमेन्ट्स को। गवर्नमेन्ट ने जो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

आश्वासन दिया है इस प्रकार से महंगाई में पांच रुपये की वृद्धि करने का यह आश्वासन प्राइवेट इन्डस्ट्रीज़ वालों से भी पूरा करवायेंगे। वैसी हालत में उसको ओवर राइड करना चाहिये। गवर्नमेन्ट की रेस्पोन्सिबिलिटी है गवर्नमेन्ट दिलवाये। यह कह कर पिन्ड नहीं छुड़ा सकते कि यह लीगली नहीं है दिलवाने की उनकी मूलतः रेस्पोन्सिबिलिटी है। इतनी महंगाई बढ़ी है उसको ध्यान में रखते हुए यह पांच रुपये की वृद्धि उनको दिलवानी चाहिये।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, १९६० से लेकर आज तक मिल का प्रोडक्शन तीस प्रतिशत हुआ है जो सब से अच्छा प्रोडक्शन है। वेज बोर्ड को रिकमन्डेशन्स जिन दिनों में लागू हुई हैं उन दिनों की हालत में और आज की हालत में बेसिक तब्दीली आगई है। प्रोडक्शन के लिहाज से भी अच्छा प्रोडक्शन हुआ है। मान्यता प्राप्त भी वहां एक ही यूनियन है और उसी यूनियन की यह मांग है। अगर मांग मन्ज़ूर नहीं होती है तो लाज़मी तौर पर हड़ताल होगी। लेबर डिपार्टमेन्ट वेज बोर्ड की रिकमन्डेशन लागू करवाने के लिये समझौते को इनीशियेटिव करती तो गलत एग्रीमेन्ट नहीं होता। जो कन्डीशन्स गलत रखी गई है उसमें लॉ डिपार्टमेन्ट की राय लेकर रखी गई है यह लेबर डिपार्टमेन्ट की गलती है। पिछले दो महीनों के अन्दर अन्दर इस एग्रीमेन्ट को एब्रोगेट करने का कानूनी नोटिस भी दिया गया है। वैसी हालत में जो स्ट्राइक होगी वह लीगल होगी। कानूनी तौर पर नोटिस सर्व कर दिया गया है। ऐसी हालत में राजस्थान के दूसरे एम्पलॉइज को पांच रुपये की वृद्धि दी गई है वहां के मजदूरों को भी लाजमी तौर पर मिलनी चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सम्मुख तथ्य उपस्थित करूं कि सारे राजस्थान में रेकॉर्ड स्ट्राइक ६४ दिन की इस मिल में हुई है।

यह सादूल टैक्सटाइल मिल अपने अकाउन्ट्स में रेगुलरली घाटा दिखाती आ रही है। पर एक्चुअल अकाउन्ट्स में ३३ पर्सेन्ट का उसका प्रोडक्शन बढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय, सरकार को राइट है सरकार के उसमें बहुत बड़े शेयर हैं वह उसके एकाउन्ट्स को चैक कर सकती है, मन्त्री महोदय उसके एकाउन्ट्स को चैक करावें। और इस बीच में चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं, मिल को फायदा हुआ है, प्रोडक्शन उसका बढ़ा है, पर फिर भी मजदूरों को एक फूटा धेला डीयरनैस का नहीं देना चाहता। नॉर्मली जो सरकार ने डिक्लेअर किया वह भी नहीं देना चाहता। किसी तरह से महंगाई देना ही नहीं चाहता। इसी मिल में मालिक के इसी तरह से रवैया रखने पर ६४ दिन की कन्टीन्यूअस हड़ताल हो चुकी है। और इस बार फिर बाकायदा नोटिस हड़ताल का दिया जा चुका है। इस मामले में मिल मालिक का केस वीक है, मजदूरों का स्टेन्ड सही है। सरकार इसमें इन्टर फीयर कर सकती है,

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

उसे करना चाहिये और मजदूरों का हक उनको दिलाया जाना चाहिये।

श्री केदारनाथ : क्या यह सही है कि इस मिल की तरफ से दूसरी बार भी कोई प्रतिनिधि आपकी बुलाई हुई कॉन्फ्रेन्स में नहीं आया।

श्री भीखाभाई : नहीं आया।

जो बातें सदस्यों ने उठाई और उनमें जो कहा गया कि सरकारके इस मिलमें शेयर्स हैं, तो यह बात अलग है।

जहां तक श्रम विभाग का सवाल है वह कानूनी ढंग से इसमें क्या कर सकता है यह प्रश्न उसके विचाराधीन है।

इस बात पर जोर दिया गया कि श्रम विभाग इसमें इन्टरफियर करे। जहां पर दो पार्टियां आपस में बैठकर फैसला करे और वह भी काफी लम्बे अर्से तक के लिये कर ले और वह भी तीन-तीन यूनियनें मिल कर करले और जो माननीय सदस्ययहां बैठेहैं वेभी उसमें हस्ताक्षर करदें उस एग्रीमेन्ट की कापियां मेरे पास मौजूद हैं, मजेदार बातें उसमें लिखी है, तो फिर सरकार उसमें कैसे हस्तक्षेप करे यह समझ में नहीं आता। ये बातें किस तरह से उन्होंने एग्रीमेन्ट में लिखीं, यह भगवान जाने। पर जो उस वक्त किया गया वह गलत किया गया। कानूनी दृष्टि से श्रम विभाग इसमें कुछ नहीं कर सकता।

हां, नैतिक दृष्टिसे श्रम विभाग निरन्तर कोशिश करता है कि जहां तक हो सके मजदूरों को महंगाई मिलनी चाहिये। मैं एग्जेक्ट वर्डिंग्ज उस एग्रीमेन्ट के पढ़ कर सुनाता हूं। उसमें माननीय केदारनाथजी के भी दस्तखत हैं। उन्होंने जो एग्रीमेंट किया है अपने हाथ काटकर दे दिये हैं यह भी कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उन्होंने लिखा है।

"Union gives up all the claims relevant to the wages, D. A.......''

अध्यक्ष महोदय, कितने व्यापक अधिकार देकर इन्होंने अपने हाथ काट दिये हैं और वहां पर जाकर यह भी लिख दिया है कि यह पांच साल तक रहेगा। फिर लिखा है क्लाज नम्बर ४ में :

Union agrrees with the enforcement of this agreement and no question will be raised with regard to the wages, D. A. workload for a period of five years with effect from 1st January......

इसका मतलब यह है कि पांच साल तक वे कोई सवाल उठा नहीं सकते चाहे वेज बोर्ड ने कुछ भी कह दिया हो। इसलिये अध्यक्ष महोदय, हमारी ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेन्स भी जो हम करते हैं उसमें भी कानूनी ढंग से दबाव नहीं डाल सकते। पर मैं मानता हूं कि जहां तक नैतिकता का सवाल है हमारी जिम्मेदारी है। हम कोशिश करेंगे। पर माननीय सदस्य जो कहते हैं हड़ताल होगी,

(श्री भीखाभाई)

तो यह गलत होगी और गैर कानूनी ढंग से होगी अगर होगी तो। और जब कानूनी ढंग से बात हमारे सामने आवेगी तो हम उसे गैर कानूनी करार देंगे। और इसके लिये वे जिम्मेदार होंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न यह है कि जो सूचना दी कि यह शर्तनामा लिख दिया गया है और इस पर माननीय सदस्य गंगानगर से आने वालों के ही हस्ताक्षर हैं। लेकिन इस मिल के मुकम्मिल मजदूरों ने मिल ने और वन टू आल लेबरर्स ने इस फैसले के खिलाफ और इन सारी अपनी मांगों के बारे में ६४ दिन की हड़ताल लगातार की थी। तो यह नहीं कहा जा सकता कि आज यह जो फैसला है वह सार्दूल टैक्सटाइल मिल के मजदूरों का है। मिल के सेक्रेटरी ने इस हड़ताल के खिलाफ अनाप-शनाप केस बनाये। सन् ६० में किये गये फैसले को कोई भी मजदूर या मजदूर संस्था इस आज की बढ़ी हुई मंहगाई के बैकग्राउन्ड में नहीं मान सकती। और मंत्री महोदय इस वाइटल पोइन्ट को बार-बार टाल रहे हैं इसकी आड़ में।

मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस मिल का मालिक और मैनेजमेन्ट राजस्थान सरकार को कुछ भी नहीं समझते। मैं आपसे इसके बारे में एक कन्क्रीट प्रूफ पूंछता हूं कि आजतक आपकी लेबर ट्रिपार्टाइट कान्फ्रेंस में या किसी भी कान्फ्रेन्स में इस मिल का मालिक या उसका कोई प्रतिनिधि आजतक कभी शामिल हुआ? आपने कितनी मीटिंगों में उसको बुलाया और कितनों में वह आया? वह अपने आपको राजस्थान का आदमी नहीं समझता। वह मजदूर और उसकी संस्थाओं की तरफ देखने वाला आदमी नहीं है। सरकारी पैसे का डटकर वह मिसएप्रोप्रियेशन करता है पर सरकार उस पर अंकुश नहीं लगा सकती। वह आपको कुछ समझता ही नहीं है।

तो ऐसी हालत में मैं सरकार से यह विनम्र प्रार्थना करूंगा कि मन्त्री महोदय मजदूरों को वाजिब मांगों को दिलावें ताकि कोई बड़ी हड़ताल इस इमर्जेन्सी के वक्त में होने से रोकी जा सके। उनकी मांगें जायज़ हैं। और मंत्री महोदय जो यह कहते हैं कि उनकी स्ट्राइक इल्लीगल होगी, वह कतई इल्लीगल नहीं है। बिलकुल लीगल नोटिस दिया है। ऐसे मिल मालिक को जो राजस्थान सरकार की हर बात की अवहेलना करता है, और जो सरकार की किसी कमेटी मे आना नहीं चहता उस आदमी को श्रम मन्त्री महोदय को कतई प्रोटेक्शन नहीं देना चाहिये और गम्भीरता से और हिम्मत से कदम उठाने चाहिये मजदूरों के हक उनको दिलाने के लिये।

सनवाड़ा में किसी भील के ऊपर हमले के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की अनुमति पर बहस

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैंने और कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने एक बहुत महत्वपूर्ण स्थगन प्रस्ताव सदन में उठाने की इजाज़त चाही

Page No. 54

(श्री भगराम चौधरी)

थी उस प्रस्ताव को सदन में उठाये जाने की इजाजत दी जावे।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव को उठाये जाने की तो आज्ञा नहीं मिली है, पर मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है कि वे इसका स्पष्टीकरण कर देंगे कि सरकार की इस बारे में क्या नीति है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): अध्यक्ष महोदय, सनवाड़ा का मसला बहुत गम्भीर है। २२ तारीख को सनवाडा में एक घटना हुई जिसमें एक गरीब भील के घर पर ३०।४० लोगों ने हमला कर दिया और उसके झोंपड़े में आग लगा दी, उसे लूट लिया। उनके खिलाफ़ कई केस फ्रेम होते हैं। डकैती के, आगजनी के, इल्लीगल डिटेन्शन के। यह २२ जून की घटना है। ४८ आदमी जूडिशियल लॉकअप में हैं। उनमें से केवल ३ आदमियों की जमानत हुई है और अब सरकार उस केस को विथड्रा करने जा रही है तो ऐसी हालत में इस केस विथड्राअल का क्या मॉरल असर गरीबों पर पड़ेगा। जालोर में ऐसी घटनाएं आम हैं। रजवाड़ाशाही और जागीरशाही का नगा नाच आज भी वहां चल रहा है। ये लोग गरीब किसानों को दबाते हैं। गरीब लोगों के घर फूंक देते हैं और फिर सरकार केस को वापिस लेने की बात सोचती है। यह बहुत गम्भीर मसला है। मन्त्री महोदय को निश्चित रूप से जवाब देना चाहिये। सारा जालोर जिला व उसके गरीब किसान यह जानना चाहते हैं कि सरकार का इस मामले में क्या रवैया है ? सरकार कुछ जवाब नहीं देना चाहती। केस विथड्रा करना चाहती है।

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री, गृह) : मैं जवाब दे रहा हूं। प्रश्न कहां हो रहा है, नहीं देना चाहते जवाब। मैं कल जवाब दे रहा हूं।

(शोरगुल)

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सनवाडा गांव में २०।२२ के आसपास ५०।६० आदमियों ने गरीब किसानों को घेर लिया.......

श्री अध्यक्ष : रायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने सारी बातें जो आप कहना चाहते हैं सदन में रख दी हैं। अब तो सरकार की ओर से जवाब इसका आना चाहिये। वे जवाब कल देने की बात कह रहे हैं।

श्री निरजननाथ आचार्य : कल मैं जवाब दे रहा हूं। क्योंकि आपने एडीशनल पॉइन्ट्स और इसमें एड किये हैं और वह पत्र आपका मुझे कल ही मिला है इसलिये मैं दोनों का उत्तर कल ही दे दूंगा।

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : इसमें अध्यक्ष महोदय, जवाब देने की और उसे कल तक डिले करने की कोई बात नहीं है।

श्री भगराज चौधरी : वही स्थिति अध्यक्ष महोदय, आज भी है जो वहां सन ४० में थी। इस बैक ग्राउण्ड में आज की घटना बड़ी भयानक है........

Page No. 55

श्री अध्यक्ष : इस सब के बारे में यहां बहस नहीं की जा सकती। एक पर्टीक्यूलर केस के बारे में जानकारी दी जा सकेगी। एक घटना के बारे में बात है वह सारा बैक ग्राउन्ड इस समय नही आवेगा।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, केस के मैरिट में भी जाने की आवश्यकता नहीं है यह मामला जमानत के मामले को लेकर सैशन कोर्ट में गया हुआ है। यहां तो एक प्रश्न का उत्तर सरकार दे दे कि कोर्ट से वह केस को विथड्रॉ कर रही है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : एडजार्नमेन्ट मोशन में कई बातें हैं, उनमें से एक तथ्य यह भी है।

श्री भैरोंसिह : अध्यक्ष महोदय, आप तो केवल इस बात का क्लैरिफिकेशन करवा दीजिये कि सरकार केस कोर्ट से विथड्रा कर रही है या नहीं ? इसमें सरकार को अभी उत्तर देने में कोई कठिनाई नहीं है उसे इसका जवाब देने में हिचक नहीं करना चाहिये। आज ही इसका जवाब दे दीजिये।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं कल ही स्टेटमेन्ट दे रहा हूं। तब सारी बातें आ जावेंगी।

श्री भैरोंसिह : आप मूल मुद्दे को इस तरह से अवॉइड मत करिये। आप तो इसका जवाब आज भी दे सकते हैं। आप केस विथड्रा कर रहे हैं या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एवोइड करने का प्रश्न नहीं है। आपका यह प्रश्न मेरे स्टेटमेन्ट के बाद पैदा होता है। तो पहले स्टेटमेन्ट मेरा आप सुन लीजिये। फिर यह प्रश्न करिये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : अध्यक्ष महोदय, अच्छी तरह से सुनाई नहीं दे रहा है।

श्री भैरोंसिह : मेरे कहने का मतलब यह है कि स्टेटमेन्ट तो फैक्ट्स के बेसिस पर होगा और हम फैक्ट्स में जाना नहीं चाहते हैं। हम एक एश्योरेंस चाहते हैं या एक इनफर्मेशन चाहते हैं कि क्या गवर्नमेन्ट ने इस प्रकार के ऑर्डर्स आई० जी० पी० के नाम भेज दिये हैं कि इस केस को विथड्रा कर लिया जाये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह मेरा स्टेटमेन्ट मान लिया जाये...

श्री अध्यक्ष : बाकी बहस इसलिए नहीं होगी की मामला अदालत में चला गया है और तथ्यों के बारे में न तो आप कहेंगे और न माननीय सदस्य ही कहेंगे सरकार की नीति के बारे में आप चाहें तो आज स्पष्टीकरण कर दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : यदि एक ही प्रश्न हो तो मैं इसके बारे में निवेदन कर दूं फिर कोई और प्रश्न नहीं उठाया जायेगा।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जो स्थगन प्रस्ताव मैंने दिया है और जो स्थिति पैदा हो गयी है उसके लिए मैं

(श्री भगराज चौधरी)

और तथ्य मन्त्री महोदय को दूंगा मैंने जो पत्र बाद में दिया है उसको मद्देनजर रखते हुए सारी स्थिति के बारे में विचार करके माननीय मन्त्री महोदय जवाब दें तो और भी अच्छा रहेगा। जालोर जिला पाकिस्तान से लगा हुआ है और वहां पर पहले के से हालत अभी भी हैं...

श्री अध्यक्ष : मैंने माननीय सदस्य से पहले ही निवेदन किया कि उसकी बहस अब नहीं होगी। आप वहां के लॉ एण्ड आर्डर के बारे में सेपरेट मोशन लाइये और फिर उस पर बहस कर सकते हैं। यहां पर समस्या केवल एक है कि इस मुकदमें में सरकार की नीति क्या उसे विथड्रा करने की है या जिन अधिकारियों ने इनवेस्टीगेशन किया है उनका ट्रान्सफर किया गया है यही एक दो मुद्दे हैं बाकी तो सारा मामला सबजुडिस है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : तो मैं निवेदन कर रहा था कि केस सरकार विथड्रा नहीं कर रही है।

श्री अध्यक्ष : और स्थानानान्तरण के बारे में ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : सरकार इस समय नहीं चाहती कि उनका स्थानान्तरण किया जाये।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय, टेलीफोन के जरिये कहा कि उस थानेदार को जल्दी से बाहर भेज दिया जाये और वहां दूसरा थानेदार पहुंच गया है।

(अश्रव्य)

श्री निरंजननाथ आचार्य : नहीं जाने दिया जा रहा है।

श्री भगराज चौधरी : लेकिन अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय कह चुके हैं। माननीय सदस्य के जो संतोष की बात थी वह मन्त्री महोदय ने कह दिया है फिर आगे बहस में नहीं जाना चाहिए।

श्री भगराज चौधरी : किस प्रकार से सरकार पुलिस के अन्दर एक अन डेमोक्रेटिक रवैया अपना रही है और डीमोरेलाइज़ करना चाहती है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, उसकी बहस हम अभी यहां नहीं कर रहे हैं।

श्री भगराज चौधरी : अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : Order Please.

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इस केस को विथड्रा करने के लिए सरकार को रिकमन्डेशन दी थी। यह जानकारी हम सदन से चाहते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : कोई रिकमन्डेशन सरकार के पास नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या सरकार ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इस बात के लिए दबाया है कि वह इस प्रकार की रिकमन्डेशन करे कि केस को विथड्रा कर लिया जाय ?

श्री अध्यक्ष : इसका प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री भगराज चौधरी : केस चलाने के काबिल नहीं था इसलिए विथड्रा कर लिया जाये पुलिस को डीमोरेलाइज़ किया गया है....

श्री मथुरादास माथुर (विधि मन्त्री) : He has replied that he has not been transferred.

श्री भगराज चौधरी : और जिस थानेदार का आपने कहा....

श्री अध्यक्ष : Order Please. मंत्री महोदय कह चुके हैं कि उसका ट्रान्सफर नहीं होगा। आप स्थान ग्रहण कर लें। अगर नहीं करेंगे तो फिर वापिस प्रश्न उठा लें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय के सम्मुख आश्वासन दिया है और सदन के सामने कहा है कि ट्रान्सफर नहीं होगा।

(९.५३ म० पू०)

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों एवं सदस्यों के परिलाभ) संशोधन विधेयक १९६४.

(वापिस लेना)

श्री मथुरादास माथुर (विधिमन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) संशोधन विधेयक संख्या १० को वापिस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को वापिस लिए जाने की आज्ञा प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

विधेयक को वापिस लिए जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मथुरादास माथुर : मैं विधेयक को वापिस लेता हूं।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों एवं सदस्यों के परिलाभ) संशोधन विधेयक, १९६४ (पुरःस्थापन)

श्री मथुरादास माथुर (विधिमन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे खास तौर से इजाजत चाहता हूं मैं दूसरा बिल इन्ट्रोड्यूस करना चाहता हूं उसकी जगह पर। आपकी आज्ञा हो तो मैं दूसरा बिल पेश कर दूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान लेजिस्लेटिव असेम्बली (आफिसर्स एण्ड मेम्बर्स इमाल्यु-

(श्री मथुरादास माथुर)

मेन्ट्स) अमेन्डमेन्ट बिल नं० २२ आफ १९६४ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री मथुरादास माथुर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह तनख्वाह बढ़ाने का प्रश्न है, रामकिशनजी बाहर जाना भूल गए।

श्री अध्यक्ष : इस पर तो बहस होगी।

श्री रामकिशन (वं र) : मुझे रास्ते में कहा था कि मिलजुल कर उठा लिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवालः हाई कमाण्ड से डिसिप्लीनरी एक्शन हो जायगा।

श्री मथुरादास माथुर : वाक आउट करें तो मुझे एतराज नहीं। लेकिन भूख हड़ताल मत करना।

श्री रामकिशन : आप अपना काम करते रहें, हम अपना काम करते रहेंगे। आगे चलकर राजीनामा हो जायगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्री।

(९.५८ म० पू०)

जोधपुर में खाद्यस्थिति के सम्बन्ध में दिये गये स्थगन प्रस्ताव सम्बन्धी वाद-विवाद

श्री भैरोंसिह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेन्ट मोशन दिया था।

श्री अध्यक्ष : जोधपुर की खाद्य स्थिति के बारे में कल बता देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा (खाद्यमन्त्री) : जोधपुर में खाद्य स्थिति के बारे में केवल यह कहना है कि यहां पर कुछ स्टॉक्सकी कमी भी आ गई थी। वह कमी कल पूरी कर दी गयी है और दूकानोंमें अनाज कल पहुंच चुका है।

श्री भैरोंसिह : कल किस समय पहुंच गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : कल दोपहर को।

श्री भैरोंसिह : परसों शाम तक तो नहीं पहुंचा था ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपकी कृपा से कल पहुंच गया।

श्री अध्यक्ष : ऐसी स्थिति फिर तो नहीं होगी ?

श्री भैरोंसिह : कितनी दुकानों में अनाज पहुंच गया। परसों तक, अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति थी कि एक दूकान में पाव भर भी अनाज नहीं था और लोग ऐसे घूम रहे थे जैसे शहर में कोई भिखारी घूम रहा हो। व्यापारियों ने आपके इस लाइसेन्स के बारे में दूकानें बन्द कर दी और जनता को खाने को अनाज नहीं था ।

श्री नाथूराम मिर्धा : पहुंच गया है।

श्री भैरोंसिह : कितना पहुंच गया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : काफी बड़ी तादाद में पहुंच गया है और उनको तकलीफ नहीं होगी।

श्री भैरोंसिह : आप स्पेसिफिक बतायें कि कितने टन पहुंचा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : स्पेसिफिक टन तो नहीं कह सकता, लेकिन काफी तादाद में पहुंच गया है।

श्री भैरोंसिह : आप थोड़ी देर में जानकारी करके बता दें। वहां पर अनाज ही नहीं है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं तादाद बता दूंगा ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, ५ दिन पहले भी इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव भेजा था उस समय भी कह दिया था कि भिजवा देंगे और जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य कहते हैं कि परसों तक अनाज नही पहुंचा था।

श्री भैरोंसिह : परसों शाम तक एक दाना अनाज का नही था।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस सदन में कोई जवाब दिया जाता है तो उसकी कोई सेंक्टिटी है या सिर्फ चुप करने के लिए कह दिया जाता है ?

श्री अध्यक्ष : कुछ दिन पहले स्थगन प्रस्ताव था उसमें यह था कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को देने के आदेश हो गये हैं उनको नहीं दिया जाये। उस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने कहा है कि कलेक्टर को कह दिया है कि उन पर रोक नहीं लगाई जाय।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं यों ही जबरदस्ती नहीं कह रहा हूं। मैं सूचना मंगाता हूं, बात करता हूं, डिफिकल्टीज़ आती हैं तब कहता हूं।

(१०.०० म० पू०)

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपने वक्तव्य दिया था कि इम्पार्टेड व्हीट को जो भी बेचेगा उसको लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद में आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर कलेक्टर ने जो कोऑपरेटिव्ज़ थीं उनका स्टॉक सीज कर लिया क्योंकि उनके पास लाइसेन्स

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

नहीं थे। कल शाम को मेरे पास टेलिफोन था कि जो स्टॉक पहली तारीख को सीज़ किया था उसको आज तक रिलीज नहीं किया गया है। इसी तरह से जोधपुर में यह कह दिया कि अनाज की सप्लाई शुरू कर दी। एक तरफ तो लाइसेन्स के करने से स्टॉक की सप्लाई नहीं दी। आपने कहा है कि ऑर्डर जारी कर दिये हैं और हकीकत यह है कि जोधपुर में अनाज की सप्लाई शुरू नहीं हुई। बीकानेर में जो स्टॉक सीज़ किया है वह कल शाम तक रिलीज नहीं किया गया है। इम्पार्टेड व्हीट जो लोग बेचते हैं उसमें लाइसन्स का प्रश्न नहीं है। इसके बारे में फौरन कलेक्टर्स को सूचित करें कि जो स्टॉक विद् होल्ड कर लिया है उसको रिलीज़ करें और वहां पर जो पुलिस बैठा दी है उसको फौरन हटाया जाय।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : माननीय, अध्यक्ष, यह समस्या सब दूर ऐसी है।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने मैंने जो कुछ कहा उसका अपने मन से अर्थ लगाया है। मैंने तो यह कहा था कि इम्पोर्टेड फूडग्रेन्स के बारे में जो लाइसेन्स लेकर कोआॅपरेटिव्ज़ अभी काम कर रही हैं उनको सिक्योरिटी के रूप में जो कि नये कानून के रूप में जमा करानी पड़ती है वह नहीं जमा करानी पड़ेगी, बाकी कानून के अन्दर जो लाइसेन्स लेना पड़ता है वह लेना पड़ेगा।

श्री मानिकचन्द सुराणा : लाइसेन्स उन्होंने ले रखा है। २-५ दिन से स्टॉक को छोड़ा नहीं है।

श्री नाथूराम मिर्धा : किस को ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : जितनी कोआॅपरेटिव्ज़ हैं उन्होंने जोधपुर में ले रखा है, बीकानेर में ले रखा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : लाइसेन्स और ले लें। सिक्योरिटी के बारे में कहा है कि कलेक्टर्स को हिदायत कर दी है कि नये तौर से डिस्ट्रीब्यूशन का कोआॅपरेटिव्ज़ और सरकारी दुकानें काम कर रही हैं उन के लिए नये लाइसेन्सिंग आर्डर के अन्दर सिक्योरिटी एमाउन्ट जमा कराने की जरूरत नहीं होगी। इतना ही किया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : क्या आप यह आदेश देंगे कलेक्टर बीकानेर को कि जो स्टॉक उन्होंने सीज़ कर रखा है इस आधार पर कि सिक्योरिटी जमा नहीं की उसको रिलीज़ करें।

श्री नाथूराम मिर्धा : वह मैंने कहा कि कलेक्टर को हम समाचार कर चुके हैं और इनको और कर देंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : सब को देने का है।

श्री नाथूराम मिर्धा : एक लेटर भेज देंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : लेटर नहीं टेलिग्राम से भेजने की चीज़ है।

Page No. 61

श्री नाथूराम मिर्धा : अच्छी बात है टेलिग्राम भिजवा देंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : जोधपुर में खाद्यान्न की कमी है और एक भी दाना नहीं रहा और माननीय मंत्री महोदय ने उसके उत्तर में कहा है कि जोधपुर में अन्न भेज दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि जोधपुर में जो अन्न भेजा है वह कहां भेजा है और किस तरह से उसके वितरण की सही व्यवस्था की गई है? इस सम्बन्ध में जानकारी देने की कृपा करेंगे!

श्री नाथूराम मिर्धा : जोधपुर सेन्ट्रल गोडाउन में अनाज गया है और जोधपुर के कलेक्टर को जितनी जरूरत थी वह भेजा गया है।

श्री भैरोंसिंह : आपके गोडाउन्स में गया या नहीं? आपने कहा है कि अनाज भेज दिया गया है तो क्या आप कह सकते हैं कि कल तक अनाज का वितरण शुरू हो गया है? कितना अनाज दिया है, कितना अनाज पर्याप्त है और पर्याप्त मात्रा में अनाज दिया है कि नहीं? वहां पर ऐसी अव्यवस्था है कि न तो दुकानों का पता लगता है और दूकानों के पास खड़े होते हैं तो अनाज नहीं है। उस स्थिति में माननीय मंत्रीजी हाउस को कॉन्फिडेन्स में लेकर बताएं कि जोधपुर की समस्या क्या है। आप टेलिफोन करके पूछ सकते हैं। दो घन्टे के बाद स्पष्टीकरण दे दें। मुझे जल्दी नहीं है, लेकिन जो कुछ कहें हाऊस के सामने वह इस तरह से कहें कि लोग यह महसूस करें कि सरकार ने सचेत होकर कार्यवाही की है।

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है तो मुझे भी पूरा इस बात का पता है जो आप कह रहे हैं। मैंने इस बारे में कलेक्टर को कॉन्टेक्ट करके इस बात का इन्तजाम किया था कि स्टॉक वहां पर तुरन्त पहुंच जाय। मेरे पास समाचार आये हैं कि वहां पर अनाज पहुंच गया है और अब बांटना शुरू किया है कि नहीं किया है उसके बारे में आगे क्या है डिटेल्स वह आप जानना चाहते हैं तो बता दूंगा।

श्री अध्यक्ष : कल और जानकारी करके बता दें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर प्रश्न है। माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि जोधपुर में अन्न भेज दिया गया है। यह तो ठीक है लेकिन भेज देने से ही काम नहीं चलता है जब तक कि वितरण की व्यवस्था नहीं हो। एक दो जगह वितरण के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है तो मेरे खयाल से वह व्यवस्था दुर्व्यवस्था की पराकाष्ठा है। और वह दो चार सेन्टर्स होंगे तो उन लोगों को मार्क डाउन करेंगे, उनको टार्गेट बनायेंगे, उनके ऊपर हमला करेंगे, औरपता नहीं क्या क्या होगा। अगर आपको व्यवस्था ही करनी है तो ५-५०-१०० जगह पर वितरण व्यवस्था करें नहीं तो यह दुर्व्यवस्था मेरी समझ के बाहर है। आपके हाथ में शक्ति है, सत्ता है आप चाहे जो करें, लेकिन सामान्य बुद्धि के अनुसार यह मेरे खयाल में कोई व्यवस्था नहीं है:

श्री नाथूराम मिर्धा : माननीय विरोधी दल के नेता तो यह दृश्य क्रियेट करवाना चाहते है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरे गुड इन्टेन्शन को इविल इन्टेन्शन से समझें तो आपका अधिकार है लेकिन मैं तो गुड इन्टेन्शन से ही कहना चाहता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : खाद्यान्न के सम्बन्ध में कुछ नीति के बारे में समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित हुए हैं और वह इस सम्बन्ध में है कि व्यापारी लोग जो लाइसेन्स नहीं ले रहे हैं तो आज एक परिस्थिति पैदा हो गई कि किसानों का धान खरीदने के लिए मंडियों में कोई व्यवस्था नहीं है। मंडियों में अनाज पड़ा हुआ है और उसको कोई खरीदने वाला नहीं है। सरकार की ओर से अभी तक कोई एजेन्सी मुकर्रर नहीं है जिससे कि वह उस अनाज को खरीदे। सरकार को चाहिए था कि इस प्रकार की खबरें जो समाचारपत्रों में गई हैं, इस सदन को भी उस सम्बन्ध में पूरी सूचना देती और सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है, क्या कार्यक्रम है, क्या एजेन्सी क्रियेट करने की उनकी व्यवस्था है, उस सम्बन्ध में पूरी स्थिति पर प्रकाश डालना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, यह परिस्थितियां हैं कि इस लाइसेंसिंग में जिस तरीके का रुख कुछ व्यापारियों ने अपनाया है. सरकार ने कुछ रियासतें दी हैं, कुछ छूट दी है, उस के मुताबिक व्यापारियों को कुछ सहयोग का रुख अपना कर लाइसेन्स लेकर और उस व्यवस्था के अनुसार काम करते और कुछ दिक्कतें थीं वे सामने आतीं, उनको दूर करने की चेष्टा होती, वह एक रुख समझ में आ सकता था, लेकिन जिस तरीके का रुख कुछ लोगों ने, कुछ बड़े बड़े व्यापारियों ने अपनाया, मालूम पड़ता है वह ऐसा मालूम पड़ता है कि वह अपना जिस प्रकार का बिलकुल फ्री ट्रेड किसी किस्म का नियन्त्रण नहीं चाहकह और जो सामान्य दिक्कतें हैं उनको ही हटाने से संतुष्ट नहीं होना चाहते, बल्कि बिल्कुल एक किस्म का फ्री ट्रेड हो, किसी तरह का कोई कन्ट्रोल, कोई रेग्युलेशन नहीं हो, इस तरीके का रुख उसमें मालूम पड़ता है। मैं समझता हूं कि सरकार को इसमें फौरन इन्टरवीन करके अपनी ऐजेन्सीज़ से काम करना चाहिए। फसल आना बाजार के अन्दर शुरू हो गया है और इसका विक्टिम बेचारा वह किसान सबसे पहले उस समय बना जब कि वह कन्ज़ूमर था, उस रूप में और अब जब कि वह प्रोडयूसर है उसके रूप में आज विक्टिम बन रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या नीति निर्धारित की है जो भी समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई हैं उसके सम्बन्ध में और इसकी विस्तृत जानकारी सरकार दे कि सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या नीति अपनाई है ? क्या सरकार ने फुडग्रेन्स के ट्रेड को अपने हाथ में लेने का पूरा निर्णय कर लिया है ? क्या उस सम्बन्ध में एजेन्सीज़ कायम की गई हैं ? जहां पर अभी तक एजेन्सीज़ नहीं है वहां पर फौरन व्यवस्था क्या सरकार करने वाली है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय उपयुक्त समझें तो कल इसके बारे में भी

(श्री अध्यक्ष)

प्रकाश डालें जो व्यवस्था की गई है सरकार की ओर से।

श्री रामकिशन (वैर) : विस्तृत जानकारी आनी चाहिए। चारों तरफ असन्तोष है।

श्री चन्द्रसिंह बर्फा (बिलाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय खाद्य मन्त्री ने बतलाया कि कलेक्टर को इत्तिला दी गई है लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि रिपोर्ट मांगी गई है तो कलेक्टर उसको लेकर बैठ जाता है। कोई तामील नहीं होती है मंत्री महोदय के आर्डर की। कलेक्टर के ऑर्डर की तामील तहसील में नहीं होती है। जो कलेक्टर जोधपुर ने ऑर्डर दिया था तो उसकी तामील बिलाड़ा तहसील में नहीं हो रही है और उनका कोटा कोऑपरेटिव्ज का उनको न देकर और नई सरकारी दुकानें खोलने के बहाने कुछ झंझटें पैदा करते हैं। पूरी रिपोर्ट लेकर मैं माननीय खाद्य मन्त्रीजी के पास आया तो उन्होंने उस पर वापिस लिखकर भेज दिया, लेकिन कल ही मेरे पास ट्रंक आया है कि वहां पर खाद्यान्न नहीं भेज रहे हैं। इस तरह से वहां पर पूरो रेट पर ५-६ कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम कर रही हैं उनकी सिक्योरिटी जमा है। वे लाइसेन्सडशुदा सोसाइटीज हैं। खाद्य मन्त्री ने कलेक्टर को लिख दिया है लेकिन तहसील वाले बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं और सरकारी दुकानों के जंजाल में फंसा कर आज तक काम नहीं किया जा रहा है। तहसील वाले वहां पर ५--६ साल से बैठे हुए हैं और तहसीलदार नया होने की बात करता है और वहां पर जो बी० डी० ओ० और नायब तहसीलदार हैं वे उन्हें गुमराह करते रहे हैं। इस प्रकार से जनता के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। माननीय खाद्य मंत्री जी कलेक्टर को आदेश दें कि जो वे आदेश दे चुके हैं उनकी पूर्णतया तामील हो और वहां पर पूरी व्यवस्था की जाय।

श्री अध्यक्ष : श्री विधि मंत्री।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। फुड लाइसेंसिंग ऑर्डर के बाद प्रदेश में जिस प्रकार की स्थित पैदा हुई है व्यापारियों ने हड़ताल कर दी है, लाइसेन्स नहीं ले रहे है, सीक्योरिटी जमा नहीं करवा रहे है, उनका सारा कारोबार बन्द है, गवर्नमेंट एडमेन्ट है कि हम हाथ में लेंगे। वह किस प्रकार लेंगे, किस प्रकार नहीं। सभी जानते है कि किसान के खेतों में अनाज पक गया है, उसको बेचने की व्यवस्था करनी है, सरकार की ओर से क्या व्यवस्था इसके लिए की जा रही है, ये सब बातें इससे सम्बन्धित हैं। सदन के लिए और मसले भी इम्पोर्टेन्ट हो सकते हैं लेकिन राजस्थान में खाद्य की समस्या को लेकर जिस प्रकार की स्थिति बनी है उससे ज्यादा इम्पोर्टेन्ट कोई दूसरो चीज़ नहीं हो सकती। इसलिये हम एक दिन का समय निर्धारित करके इस पर विचार करें तो जनता को कॉन्फीडेन्स में ला सकते हैं, जनता का भ्रम निवारण कर सकते हैं, आगे की जानकारी उनको दे सकते हैं, वरना सभी लोग अन्धेरे में रहेंगे। किस प्रकार

Page No. 64

(श्री भैरोंसिंह)

अनाज मिलेगा ? गवर्नमेन्ट अपने हाथ में लेती है तो प्रोपर डिस्ट्रिब्यूशन हो सकेगा या नहीं, गांव-गांव में अनाज पहुंच सकेगा या नहीं ? इन सब बातों पर यदि गवर्नमेन्ट कोई डिसीजन ले, उस बारे में सदन में चर्चा हो और गवर्नमेन्ट बताये तो सदन काफी सहायक हो सकता है। इसलिये मैं, अध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत सरकारी बैन्चेज़ मे निवेदन करूंगा कि आप एक दिन निर्धारित करके इस पर अच्छी तरह से विचार करिये। यह बहुत ही आवश्यक है।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी स्वीकार कर चुके हैं कि वे कल वक्तव्य देंगे, उसके बाद यदि माननीय सदस्य चाहें तो शंका समाधान के लिए पूछ सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : पहले मेम्बर्स बोलकर सारा मसला रख दें उसके बाद मंत्रीजी कुछ कहें तो एलोबोरेट होगा वरना मंत्रीजी कह देंगे, हम सुन लेंगे और हमारी शकाएं बनी रहेंगी। पब्लिक की शंकाए बनी रहेगीं। आप इसके लिए पूरे दिन का समय नहीं भी रखें तो कुछ समय ही रख दें। मामला इम्पोर्टेन्ट है, इसको इगनोर नहीं किया जा सकता। हाउस १० तारीख तक चल पायेगा, इस बीच में हम कुछ तय नहीं कर पाये तो हालत इस प्रकार की होगी कि राजस्थान के लॉ एण्ड ऑर्डर को चैलेंज कर सकती है। इस सीरियस नेस को लेकर डिबेट की जाय।

श्री हीराभाई : मैं माननीय मंत्रीजी को जानकारी आपके द्वारा देना चाहता हूं, जब कि आपने अनाज की व्यवस्था की है, बांसवाड़ा में गेहूं की व्यवस्था की है और सरकार की तरफ से दे रहे हैं लोगों को लेकिन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चितौड़गढ़ के लोगों के लिए मुख्य खाद्य मक्का है। मक्का के लिए आप क्या कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष : कल स्टेटमेन्ट देंगे उसमें आ जायगा कि वहां पर मक्का खरीदने के लिए क्या व्यवस्था है, कौन खरीदेगा, कैसे वितरण किया जायगा। कल बतायेंगे और आपकी शंका का निराकरण किया जायगा।

(विराम)

माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर।

(१०.१५ म० पू०)

राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १६६४

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान, टैक्सेशन लॉज (अमेन्डमेन्ट) बिल, १६६४ को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।
(संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार प्रस्तुत हुए:—

श्री मथुरेश बिहारी माथुर (बांदीकुई)
श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (रायसिंहनगर)
श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा)

श्री महारावल लक्ष्मणसिंह (ग्रासपुर)

(क्रमशः)

"राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६४ को मई १९६४ के अन्त तक/तीन माह के लिए/एक माह के लिए/दो माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।"

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत)
श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा)
श्री सम्पतिलाल बोहरा (मावली)
श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद)
श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर)
श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासीन्द)
श्री जोधसिंह चौहान (गिरवा)
श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा)
श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)
श्री रामकिशन (वैर)
श्री मांगीलाल (रायपुर)

(क्रमशः)

'राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६४ को एक प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन इस सप्ताह में/एक माह में/१० दिन के अन्दर अन्दर/एक सप्ताह में/दो दिन के भीतर भीतर एक सप्ताह में/एक सप्ताह के अन्दर अन्दर १५ दिन में/३ दिन में/आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में/१५ दिन में/सदन के समक्ष प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायगी)]

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय....

श्री मानिकचन्द सुराणा : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर : मैं निवेदन करना चाहता हूं पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर के जरिये कि राजस्थान टेक्सेशन लॉज अमेन्डमेन्ट बिल जो है उस पर प्रक्रिया बोलने की वही हो सकती है जो दूसरे बिलों की है और जनमत जानने के हेतु या सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिये जिन्होंने प्रस्ताव दिये हैं उन्हें बोलने की प्रायोरिटी दी जाय क्योंकि रूल्स में प्रावधान है कि बिल को सिलेक्ट कमेटी में या जनमत के लिए भेजने का प्रस्ताव किया जा सकता है। मैं समझता हूं जिन्होंने इस प्रकार के प्रस्ताव दिये हैं उन्हें उसी क्रम से बोलने का मौका दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : जो बिल सदन के समक्ष है उस पर चार माननीय सदस्यों ने यह प्रस्ताव किये हैं कि इसे जनमत के लिए प्रसारित किया जाय और ११ ने यह प्रस्ताव भेजा है कि इसे सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय। इन सारों पर बहस की व्यवस्था यह हो सकती है कि या तो विभिन्न दलों में से कुछ बोलें, क्योंकि माननीय सदस्य जानते हैं कि जो प्रोग्राम निर्धारित किया गया है उस पर नहीं चल पा रहे हैं। आज शाम तक इस विधेयक को और चार औरों को पास करना चाहिये था लेकिन तीन चार को पास नहीं कर पाये हैं इसलिए व्यवस्था यही उचित होगी कि मंत्रीजी ने प्रस्ताव रखा है और उस पर

(श्री अध्यक्ष)

प्रस्ताव आये हैं उन पर बहस आज ही समाप्त हो जाये चाहे सारे माननीय सदस्य बोल सकें या नहीं बोल सकें। कल मंत्रीजी उत्तर देंगे और क्लॉज बाइ क्लॉज डिसकस करके कल यह बिल पारित किया जायगा। अगर इस पर बहस पार्टीवाइज रखें तो हर पार्टी का दृष्टिकोण सामने आ जायगा। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि जिस प्रकार वे कर रहे हैं उस प्रकार हो तो दूसरे सदस्य रह जायेंगे। या तो समय निर्धारित किया जाय, ५ मिनिट से ज्यादा नहीं बोलें।

श्री रामकिशन : ७॥ मिनिट हरएक के लिये रख दिया जाय।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह(आसपुर): पांच सात मिनिट में क्या कहा जा सकता है, पार्टी के अनुसार समय दिया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : जिस पार्टी के नेता और दूसरे लोग ज्यादा समय लेते हैं तो उस पार्टी के दूसरे लोग नही बोलेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) अध्यक्ष महोदय, एक दिन में फाइनेन्स (एमेन्डमेन्ट) बिल और साथ में दूसरे बिल हैं उन पर कैसे विचार किया जा सकता है? इसलिये मेरा नम्र निवेदन है कि इस पर समय बढ़ाया जाय।

श्री अध्यक्ष : सारी बातें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हुई थीं कि समय किस प्रकार होगा, राय लेकर तय किया है। माननीय सदस्य चाहें तो समय ज्यादा दिया जा सकता है, पहले से ही समय ज्यादा दिया जाता हैं, एक्ट्रा सिटिंग चाहें तो इस पर भी सोच सकते हैं।

श्री मुकुट बिहारी गोयल (बयाना) : आज शाम को ५ बजे से ९ बजे तक और बैठक बुला लें।

श्री अध्यक्ष : सोच कर बात कर लें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान टेक्सेशन (अमेन्डमेन्ट,बिल १९६४, जनमत हेतु प्रसारित किया जाय यह प्रस्ताव मैं सदन के सम्मुख रखता हूं, यह बिल पुराने कानूनों में करों में संशोधन लाने हेतु सदन के सामने रखा गया है अर्थात् उन्हें अमली जामा पहनाने के लिये सदन के सामने आया है। यह बिल चार पुराने कानूनों में संशोधन करता है और उन चारों पुराने कानूनों में उन चारों पुराने टेक्स मेजर्स में बढ़ाने के लिये व्यवस्था करता है। अध्यक्ष महोदय वे कानून है (१) राजस्थान एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स एक्ट १९५३, (२) राजस्थान एन्टरटेनमेन्ट एड एडवरटाइजमेन्ट टेक्स एक्ट १९५७ ३) दि मोटर विहिकल टेक्स एक्ट, १९५१ एण्ड (४) दि राजस्थान सेल्स टेक्स एक्ट, १९५४।

अध्यक्ष महोदय, इन कानूनों को लाये जाने के संबंध में एक दूसरा जो कारण माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया वह कारण यह है कि टेक्स वसूल करने की व्यवस्था में सरलता लाई जाय। मुझे राजस्थान एग्रीकल्चर इन्कम टेक्स एक्ट और राजस्थान सेल्स टेक्स एक्ट के संबंध में कुछ निवेदन करना है।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

अन्य दो मेजर्स के संबंध में, राजस्थान एन्टरटेनमेन्ट्स और एडवरटाइजमेन्ट टेक्स एक्ट तथा मोटर विहिकल्स टेक्स एक्ट के संबंध में समय के अभाव के कारण मैं कुछ निवेदन नहीं करूंगा ।

अब, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान एग्रीकल्चर टेक्स एक्ट, १६५३ के संबंध में मैं कुछ निवेदन करूंगा । इसका ध्येय यह बताया गया है कि पुराने मामलों को अजसरे नो खोला जाय अर्थात ओल्ड केसेज को रीओपन किया जाय । जिन जिन केसेज् में टेक्स नहीं लिया गया है लेकिन उनमें टेक्स लिया जाना चाहिये था, उनको रीओपन किया जायगा । उन पर सिंहावलोकन किया जाय और उन्हें रीओपन किया जाय । अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मन्त्री से यह निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे पुराने मामले कितने हैं, इस सम्बन्ध में उन्होंने कोई उल्लेख नहीं किया है । मेरे ख्याल से इस सम्बन्ध में उनको कुछ संकेत करना परमावश्यक था । इन केसेज

(१०.२० म० पू०)

(राव श्री नारायण सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

के सम्बन्ध में राजस्थान सरकार को कितना लाभ होगा, इसका अनुमान करना, मैं मानता हूं, अत्यन्त कठिन है, किन्तु मैं समझता हूं कि आखिरकार लाभ ही होगा तो कितना होगा । यह भी सरकार को कुछ अनुमान करना चाहिए । मैं व्यक्तिगत रूप से यह अनुमान कर सकता हूं कि यह लाभ बिल्कुल नगण्य होगा । इन केसेज को रीओपन, इन केसेज की पुनरावृति करने के अन्दर, मैं समझता हूं कि सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि इसके क्या कारण हैं और सरकार की तरफ से इस सम्बन्ध में ढ़िलाई हुई है या नहीं हुई है ? मैं उसूल के सम्बन्ध में, नीति के उसूल के सम्बन्ध में यह निवेदन करूंगा कि जुरिसप्रुडेन्स का, उपाध्यक्ष महोदय, प्रोविजम है 'Delay evades eqity' और मेरे ख्याल में, इक्विटी के सम्बन्ध में असेसीज के प्रति सहानुभूतिपूर्वक सरकार विचार करे तो उचित होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, किसान अमूमन हिसाब नहीं रखते । अधिकांश रूप से किसान लोग राजस्थान में अशिक्षित हैं, किन्तु ५ पर्सेन्ट तबका या उससे भी कम तबका शिक्षित भी है, वे ऐसे ही पर्पज के लिए हैं । उनकी आय निर्धारित करने के हेतु इस रूप से, इस हद तक संतोषजनक नीति से हिसाब नहीं रख सकते और उनके द्वारा उनकी आमदनी की स्थिति सम्पूर्ण रूप से सरकार जान सके । मैं सरकार से यह पूछना चाहूंगा कि इस संबंध में इतनी देरी से व्यवस्था क्यों की गई ? आखिरकार सरकार इस सम्बन्ध में जिम्मेदार है कि टैक्स आय के अनुसार खजाने में पहुंचना चाहिए । इसकी व्यवस्था सरकार ने क्यों नहीं की ? मैं यह समझता हूं कि इसमें सरकार की कमी है, सरकार की गलती है और सरकार की गल्ती होते हुए एक किसान के ऊपर यह खमियाजा भुगताया जाय—यह मेरे ख्याल में उल्टा न्याय है । मैं समझता हूं, यह अन्याय है, उपाध्यक्ष महोदय । पुराने केसेज अगर सरकार रीओपन करती है तो इसके अन्दर अवश्यमेव हरेस होगा, किसान

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सताये जायेंगे और मैं यह तो नहीं कह सकता कि इस सम्बन्ध में माननीय वित्तमंत्री की क्या नीति है किन्तु मैं यह अनुभव करता हूं और यह स्पष्टतया कह देना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार की नीति के नाते कर्मचारी-गण सम्भवत: विरोधी पक्ष के किसानों को हेरेस करने के लिए तरह तरह के कदम उठायेंगे और इस विधेयक, इस कानून के आधार पर असेसमेंट करने के सम्बन्ध में पर्दे की ओट में तरह तरह के शिकार खेलेंगे। जो पुराने केसेज का सिंहावलोकन करने के लिए सरकार ने इस सदन से अधिकार लिये हैं, उपाध्यक्ष महोदय, वह मेरे ख्याल में असीमिति हैं, अत्यधिक हैं, अनलिमिटेड हैं और इस सिद्धान्त के ऊपर भी जो अधिकार इस सदन से गवर्नमेंट प्राप्त करना चाहती है, उसके विरुद्ध मौजूदा कानून में यह प्रावधान है कि कुछ श्रेणी के मामलात पांच वर्ष में फैसला होंगे और, उपाध्यक्ष महोदय, साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि कुछ अन्य श्रेणी के मामलात चार वर्ष के अन्दर फैसल होंगे।

अब सदन के द्वारा इन सब मामलात को एक श्रेणी में लिया जा रहा है और एक श्रेणी में लेने के पश्चात् उस सम्बन्ध में यह प्रावधान किया जा रहा है कि ६ साल तक इन मामलात की मयाद है वह बढ़ा दी जाय। मैं, उपाध्याक्ष महोदय, यह निवेदन करू कि यह मयाद बढ़ाना एक फाइनेन्स डिपार्टमेंट की नाकाबलियत का द्योतक है, this proves the inefficiency of your department, आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है कि जिसके सम्बन्ध में आप किसानों की आमदनी का कोई अनुमान कर सकें, छः वर्ष तक यह सोर्ड ऑफ डिमोक्लीस किसानों के सिर पर लटका कर रखते हैं तो मेरे खयाल में किसानों के मन में एक अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। छः वर्ष के लिए यह अनिश्चित स्थिति किसानों के लिए अगर पैदा करते हैं, तो मैं समझता हूं, यह कहीं का न्याय नहीं है। यह तो मेरी बुद्धि के अनुसार एक तरह का जुल्म है। और साथ-साथ सरकार यह लम्बी चौड़ी बात कहती है कि हम उत्पादन बढ़ायेंगे। अगर किसानों के मन के अन्दर अस्थिरता लाई हुई आप आपकी नीति के द्वारा रखते हैं तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा। यह आप स्वयं विचार कर सकते है।

किसानों की हालत, उपाध्यक्ष महोदय, सदा एक सी नहीं रहती। पैदावार और फसल, इन्द्र देव की कृपा पर अधिकांश रूप से निर्भर रहती है। तो आपको चाहिए कि हर साल या हर दूसरे साल कम से कम आप असेसमेंट कम्प्लीट करें। दूसरे अन्य देशों के अन्दर भी यही व्यवस्था है। यह पांच साल की जगह अब छः आपने कर दिया है। छः साल के बाद अगर आप असेस करेंगे, छः साल तक अगर असेसमेंट पेंडिंग रखेंगे तो किन मुद्दों पर, किस अनुमान के द्वारा आप किसानों की वास्तविक स्थिति का अनुमान लगा कर असेसमेंट छः साल के बाद करेंगे मेरी तो यह बिल्कुल समझ के बाहर है। यह कोई व्यवस्था नहीं है। यह सरकार की एक हठ-नीति है। और सरकार की इस सिद्धान्तविहीनता के सम्बन्ध में कड़ा विरोध करता हूं।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

उपाध्यक्ष महोदय, आप आंकड़े देखें, हर साल राजस्थान सरकार का इन्फलेमेशन बढ़ता है, हर साल मंहगवारी बढ़ रही है। सारे सदन में मंहगवारी की चर्चा है, सदन के बाहर सारे प्रदेश के अन्दर इस मंहगवारी से परेशान होकर लोग हा हाकार मचा रहे हैं। तो इसके साथ साथ रोज मैं यह अनुभव करता हूं कि किसान बोझ से लादे जा रहे हैं और इस कर्ज के अन्दर रह कर हर रोज गर्क होते जा रहे हैं। और कर्जदारी किसानों के ऊपर बढ़ती जा रही है। आपके पास रूरल इन्डेटेडनेस के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं है। आपके पास किसानों की क्या हालत है गावों के अन्दर इस सम्बंध में कोई जानकारी नहीं है। आपकी योजना में, मैं समझता हूं, यह बड़ी भारी कमी है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को पुरजोर रूपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप क्यों नहीं दो तीन ऐसी टीम, ऐसी टुकड़ियां बनाते हैं, जो डिवीजनवाइज इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करें। कुछ समय में सच्चे रूप से यदि आप कर्मचारियों की टीमें बनायें, यूनीवर्सिटी स्टूडेंट्स की टीमें बनायें और सारे डिवीजन के अन्दर बीस--बीस गांवों को लेकर एक क्रोस सेक्शन गांवों का करायें, एक अनुमान एक रूप रेखा निर्धारित करायें और उसके द्वारा जानकारी प्राप्त करायें कि दरअसल में किसानों की हालत खुशहाली पर जा रही है या खुशहाली पर नहीं जा रही है, वे कर्जदारी की तरफ अधिकतर जा रहे हैं या वे क्या हो रहा है? जब तक सरकार को यह मालूम नहीं हो तो किसानों के सम्बन्ध में सरकार क्या व्यवस्था करेगी, मेरी समझ के कतई बाहर है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि सरकारकी नीति 'यथा राजा तथा प्रजा'को चरितार्थ करने की रही है। आप जैसे सबको आप बनाना चाहते हैं। किसान क्या क्या दे लगान दे, सेस कर दे सरचार्ज दे, बेटरमेंट लेवी दे? उसकी भूमि के ऊपर सीलिंग सरकार ने लागू किया, उसकी आमदनी के ऊपर भी सीलिंग सरकार ने लागू किया, यह सब व्यवस्था क्या किसानों को खुशहाली की तरफ ले जा रही है? मैं समझता हूं कि यह किसानों के लिए घातक और बरबादी की योजना है। आप किसानों के श्रम को शोषित करना चाहते हैं। आपने किसानों के जीवन को इसके १७वें संशोधन के द्वारा छीनकर उनके जीवन की खुशहाली भ्रष्ट करना चाहते हैं, किसानों की आजादी, किसान जो स्वावलम्बी है उसको आप गुलाम और मजदूर बनाना चाहते हैं और उनकी आजादी को समाप्त करना चाहते हैं। इसका मैं विरोध करूंगा। एक तरफ आप यह कहते हैं कि हम उत्पादन बढ़ायेंगे और दूसरी ओर किसानों को कानून के द्वारा इस प्रकार शिकंजे में जकड़ने की कोशिश करते हैं तो ऐसे वातावरण में किसान किस प्रकार अपना उत्पादन बढ़ा सकता है? यह सरकार स्वयं विचार करे।

इन टेक्सेज की नीतिसे, इस घातक नीति से कम्पलसरी लेबर से अगर आप किसानों को लादना चाहते हैं, उनके खेत, उनके खलियान, पेड़ों पर टैक्स लगा कर उनको उनके पैसे

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

और परिवार से वंचित रखें, किसान की जमीन विश्रृंखलित आप करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि आपकी यह योजना कभी भी सफल नहीं हो सकती और उत्पादन नहीं बढ़ सकता। इस विद्रुत नीति का मैं विरोध करता हूं। यदि आप चाहते हैं कि उत्पादन बढ़े तो मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या आप में हिम्मत है कि किसानों पर केवल एग्रीकल्चर टैक्स ही लागू करें और अन्य टैक्सों से उनको मुक्त करें। अगर आप यह नहीं कर सकते तो कम से कम किसानों पर जो बोझ आपने डाला है उसको आप आधा करें, तब तो मैं यह कहूंगा कि सरकार की यह कोई नीति है और दूरदर्शिता के द्वारा कोई दूसरा कदम काम में ला रहे हैं। आप कहते हैं कि स्वतन्त्र पार्टी के पास कोई प्लान नहीं और आपके आल इन्डिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जब यहां पधारे थे तो उन्होंने भी यही कहा था कि स्वतन्त्र पार्टी के पास कोई प्लान नहीं है। हमारा यह फन्डामेन्टल प्लान है कि किसानों पर बोझ है वह कम किया जाय। कम किया जाना तो दूर रहा, इसके बजाय हम देखते हैं कि सरकार धीरे-धीरे किसानों पर टैक्स का भार बढ़ाती जा रही है।

पीने के पानी के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, सदन में निवेदन किया था कि पीने के पानी की मनुष्यों के लिए और मवेशियों के लिए बहुत कमी है इसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। मुझे इस सदन में आये हुए दो वर्ष हुए। इस सम्बन्ध में दो साल हुए, कहीं-कहीं मामूली एकाध शब्द सुनाई देता था कि पीने के पानी पर हम महत्व देते हैं। स्वतन्त्र पार्टी का प्लान मैंने निवेदन किया और पुरजोर रूप से सरकार का ध्यान आकर्षित किया तो उसके परिणाम स्वरूप मैं क्या देखता हूं कि माननीय सदस्य जो कांग्रेस बैंचेज पर बैठे थे उन्होंने भी पीने के पानी की रट शुरू कर दी और एक माननीय सदस्य के बाद दूसरे माननीय सदस्य ने लगातार बोलना शुरू किया कि पीने के पानी की व्यवस्था की जानी चाहिये इस संबन्ध में कोई मतभेद नहीं हो सकता मगर आप कहते हैं कि आपके पास कोई प्लान नहीं हैं, क्या यह प्लान आपके प्लान से विपरीत है? हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि स्वतन्त्रपार्टी के पास कोई प्लान नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, फूड कन्ट्रोल के संबंध में भी यहां पर चर्चा हुई। मैं विषयान्तर नहीं होना चाहता क्योंकि समय कम है लेकिन फिर भी यह एक महान् समस्या है इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर कुछ कहूं, आप आवश्यकता समझें तो इसका पार्शियल कन्ट्रोल किया जाय। एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के संबन्ध में भी ठीक व्यवस्था करें। मगर पार्शियल कन्ट्रोल को आप समुचित रूप से नहीं लगाते हैं और अगर इसके संबन्ध में कन्ट्रोल लगाना चाहते हैं तो मैं सरकार को विनम्र रूप से और साथ साथ पुरजोर रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि एक वेकूम क्रियेट हो रहा है। आप ऐसी व्यवस्था उत्पन्न करावें कि जिसके द्वारा आप सम्पूर्णतया कन्ट्रोल नहीं पा सकते हैं। अन्न के वितरण के

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

संबन्ध में तो आपको पहले से ही विचार करना चाहिये कि अगर आप गल्ले के व्यापारियों को कोई न कोई रूप से कायम रखते हुये दूसरी संस्थाएं भी उसके पेरेलल रूप से चलती हैं तब तो कुछ हो जावेगा। मगर यदि सरकार यह सोचे कि व्यापारी का व्यापार बिलकुल बन्द करने के बाद सरकार सुचारू रूपेण स्थिति को ठीक तरह से ला सकती है और व्यापार कर सकती है यह मैं समझता हूं कि उचित नहीं है और भूतो न भविष्यति यह नहीं हो सकता। आप फूड कन्ट्रोल करते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह आपने Wrong end of the stick हाथ मे ले रक्खी है। आपको फूड कन्ट्रोल के साथ साथ बर्थ कन्ट्रोल को भी इसके साथही साथ करना चाहिये और कदम उठाने चाहिये आप क्यों नहीं कदम उठातेहैं ? यह बर्थकन्ट्रोल हम प्रोपेगेन्डा के द्वारा प्राप्त नहीं करना चाहते। आप इसको करिये हम आपका सहयोग देंगे। इसमें कोई यह मसखरी की बात नहीं है। यह बढती हुई आबादी की एक बहुत जटिल समस्या है। तो मैं यह निवेदन करूंगा कि अन्य देशों में यह समस्या पैदा हो गई और जापान, फ्रांस आदि में भी यही समस्या थी। मगर वहां के लोगों ने इस बर्थ कन्ट्रोल पर काबू पाया। अब आज यह समस्या भारतवर्ष की समस्या बन गई है। चीन की भी समस्या है। चीन हमारे से बड़ा देश है उसकी भी जन-संख्या हमारे देश से अधिक है। यह एक जटिल समस्या भारतवर्ष को बरबादी की ओर ले जा रही है। इस पर भी काबू पाने की चेष्टा करें यह मैं सरकार से निवेदन करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह योजना ही नहीं है, अगर है तो विनाशकारी है। इस प्लान से हम सहमत हैं। मगर आपके टैक्स की नीति से हमें विरोध है। सरकार को आखिरकार सोचना चाहिये कि टैक्स की आखिर कोई हद भी होनी चाहिये आज कमर-तोड़ टैक्स सरकार लगा रही है और उसको दिनों दिन बढ़ाती ही जा रही है, मेरे खयाल से कोई लॉजिक नहीं है। यह तो आपकी महान् वैज्ञानिक नीति ऐसी हो सकती है। आप यह चाहते हैं कि कुचर-कुचर कर हमें कहीं से रुपया मिल सकता है तो उस रुपये को हम खेंचे। उपाध्यक्ष महोदय, जनतन्त्र और समाजवाद साथ-साथ नहीं चल सकते। यह स्वतन्त्र पार्टी की घोषणा है और व्यक्तिगत रूप मे मैं अनुभव करता हूं कि दोनों चीजें एक दूसरे के विपरीत हैं और ये साथ-साथ नहीं चल सकतीं। They cannot go together, they are contradictory things. There is nothing complementary about them.

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इस प्लान पर अड़ खाकर डट कर रहना चाहती है तो मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि एक पार्टी का शासन घोषित किया जाय। विधान को एब्रोगेट किया जाय तब हम समझें कि आपका असली स्वरूप सामने आया है नहीं तो आप किसानों का क्या प्लान है, आप पदारूढ़ होने के नाते पर्दे की आड़ में कितने ही शिकार खेलें, मगर मैं कहूंगा कि जनता आपको जो चाहे सो कहे लेकिन हमको भी

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

यहां कहने का अधिकार है। आखिरकार हम भी सदन में कुछ स्थान रखते हैं। हमारा भी कोई स्थान है और हम भी चाहते हैं कि सरकार को किसी न किसी तरह से हम हमारी बात को मानने के लिये कहें। यदि सरकार अपनी हठ-धर्मी से हमारी बात को पूर्णतया नहीं मानती है तो जनता के हित की बात जो स्वतन्त्र पार्टी के द्वारा कही जाय तो सरकार को कुछ फ्लेक्सेबल होना चाहिये, इतनी रिजिड नहीं होना चाहिये, हटधर्मी नही करें, यदि सरकार हमारी बातों को पूर्णतया नहीं मानती है तो चार आने भर भी माने। अगर वह भी मानती है तो सरकार के सामने जो समस्याएं हैं उन सब का नहीं तो कुछ न कुछ का तो हल निकलेगा।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): Trust begets trust.

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: And mistrust begets mistrust.

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने तो पहला मिसरा था वही कह डाला, लेकिन उसको पूरा मैं करता हूं: "Mistrust begets mistrust."

आप अगर हम में मिस्ट्रस्ट करते हैं तो हम भी आप में मिस्ट्रस्ट करते हैं।

श्री बालकृष्ण कौल: हम में ऐसी भावना है ही नहीं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं राजस्थान सेल्स टैक्स, १९५४ के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं, राजस्थाय सेल्स टैक्स, १९५४ में परिवर्तन करने का आशय सरकार ने यह बताया कि कुछ वस्तुओं के ऊपर सरकार ने कर वृद्धि की है। उन वस्तुओं में प्रमुख वस्तुएं सोना और चांदी हैं। आज इन दो वस्तुओं में से समयाभाव के कारण मैं चांदी पर ही कुछ निवेद न करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, चांदी पर सरकार ने सेल्स टैक्स १ पर्सेंट से २ पर्सेंट कर दिया है।

श्री बालकृष्ण कौल: आधा पर्सेंट।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: सुनिये।

किसानों और मध्यम श्रेणी के वर्ग पर यह जो टैक्स आपने बढ़ाया है वह दुगुना कर दिया है। किसान और मध्यम श्रेणी के वर्ग अपनी बचत को चांदी के रूप में रखना चाहते हैं। बहुत से किसानों के घरों में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि वे नोटों को अपने घर में कहीं सुरक्षित रूप में रख सकें। यह तो आपका प्लानिंग है। यह भी देखा गया है कि यदि किसी ने घर के किसी कोने में दो-चार रुपये के नोट रखे तो गायें बकरियें साथ रहती हैं कोई आश्चर्य नहीं कि बकरी गाय, उन नोटों को भी चर जाय और ऐसे भी उदाहरण मेरे पास है कि ऐसा दरअसल में हुआ है। इसलिये आपने जो यह टैक्स लगाया है चांदी पर इसका बहुत बुरा असर गरीब जनता पर पड़ेगा। जब कि पड़ौसी राज्यों में चांदी पर सेल्स टैक्स आधा पर्सेंट ही है।

(महारावल श्री लक्ष्मण सिंह)

सेल्स टैक्स १ पर्सेंटसे २पर्सेंट किया है पर पर्चेज टैक्स हाफ पर्सेंट से २ पर्सेंट किया है। इससे गरीबों के ऊपर आपने बहुत ज्यादा भार डाल दिया है और चांदी के व्यापार को पेरेलाइज कर दिया है, लेने वाला भी टैक्स दे और देने वाला भी टैक्स देवे यह दोहरा टैक्स पर्चेज टैक्स एकदम चार गुना बढ़ा देना, हाफ परसेन्टसे २ परसेन्ट करदेना यह भी क्या कोई समाजवाद की व्यवस्था है. मैं तो कहूंगा कि यह अन्धाधुन्ध की व्यवस्था है। इस टैक्स से हमारी धार्मिक भावनाओं पर भी असर पड़ता है। पूजा पाठ के अधिकांश पात्र अनादि काल से जनता चांदी के, उपयोग में लेती आई है, उसमें यदि मिश्रण हो तो यह स्वाभाविक है कि जनता की धार्मिक भावना पर भी ठेस पहुंचती है। सब धर्मों पर सरकार को समान दृष्टि रखनी चाहिए, यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो मैं समझता हूं यह बात उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार चाहती है कि उसकी आर्थिक नीति, आर्थिक स्थिति सुधरे पर वह सुधरे कैसे ? आपके पास कोई सोना नहीं है, आपकी करेंसी का मूल्य विदेशों में क्या है उसको तो सभी जानते हैं, आपकी दिवालिया स्थिति को सुधारने के लिये जनता की सम्पत्ति पर आप लीगेलाइज्ड डकैती के द्वारा डाका डालना चाहते हैं, जिसका मैं विरोध करता हूं। गत वर्ष स्वर्ण नियन्त्रण कानून पास किया गया, क्योंकि आपने कहा कि सोना चोरी छुपे आता है, सोने का तस्कर व्यापार होता है इस लिए स्वर्ण नियंत्रण कानून पास किया जाय। किन्तु उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहूंगा सरकार से कि कौनसा तस्कर व्यापार चांदी में है जो आपने चांदी पर टैक्स लगाया, टैक्स लगाया तो चार गुना टैक्स लगाया और आपने कोई कारण नही बताया। कोई न कोई कारण तो होना चाहिये सरकार के पास कि इतना टैक्स एक दम क्यों बढ़ाया। सोने-चांदी के ट्रेडर्स का, देश का एक महत्वपूर्ण तबका है। इस तबके ने देश की सुरक्षा में खजाने की आय के रूप में सरकार को सहयोग दिया है. मीनाकारी द्वारा विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में मैं समझता हूं इस तबके ने राज्यको अच्छा सहयोग दिया है फिर आप इसको क्यों बर्बाद करना चाहते हैं, यह मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आखिर वे भी इसी देश के नागरिक हैं, उनको भी इस देश में रहने का अधिकार है, जिस तरह कि दूसरों को अधिकार है। इन लोगों ने अच्छे अच्छे कार्यों के लिए पैसा दिया है, इन लोगों के दिए हुए धन से चिकित्सालय, प्याउएं, धर्मशालाएं, धार्मिक मन्दिर, शिक्षासंस्थाएं आदि अन्यान्य संस्थाएं आज भी देश में चल रही है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी तबके ने आपकी संस्था कांग्रेस को बलशाली बनाया, इसी तबके ने राजाओं का साथ छोड़ा और आपका साथ दिया और आज भी दे रहे हैं, पर आप उनके प्रति उपकार की बजाय अपकार कर रहे हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : कौनसा तबका ?

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : व्यापारी।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मन्त्री) : या सर्राफ ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सर्राफ तबका भी।

श्री मथुरादास माथुर (विधिमन्त्री) : यह तो आपके फायदे की बात कर रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह तो मत-मतान्तर की बात है। वे आपके साथ रहना चाहते हैं पर आप यह गठबन्धन क्यों तोड़ना चाहते हैं, डाइवोर्स क्यों करना चाहते हैं ?

श्री मथुरादास माथुर : हमने शादी कब की थी, ये ही घर में बड़ गये थे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : घर में बड़ गये थे तो भी यह घरबासा १७ साल का जूना हो चुका है, अब लात मार कर बाहर नहीं निकाल सकते।

श्री मथुरादास माथुर : हमारी जूनी चीज को आप अंगीकार कर लें तो हमें कोई एतराज नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप अहसानःफरामोश हैं, आप अहसान फरामोश नही हों, यह मेरा सरकार से निवेदन है।

श्री मथुरादास माथुर : आप ही मौके का फायदा लें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : हम लें या नहीं लें इस सम्बन्ध में विचार नहीं किया है।

तो यह साधारण तबका है, इस पर भी आपने इतना कर भार लगाया है, मार्जिन आॅफ प्रॉफिट इस व्यापार में कितना है इस पर भी सरकार विचार कर सकती है, आपके पास आंकड़े हैं, डेटाज हैं। उनसे आप इस नतीजे पर आ सकते हैं कि इस व्यापार में मार्जिन आॅफ प्रॉफिट कितना है और, उस हिसाब से कितना टैक्स लगाना वाजिब होगा।

शृंगार के जेवरों में जो मिश्रण होता है उसके सम्बन्ध में मेरा जो अनुभव है वह मैं बताऊंगा। किसान, मध्यम श्रेणी का वर्ग सीधा सर्राफ के पास जाकर जेवर नहीं खरीदता, वह बुलियन से सिल्ली खरीदता है, सीधा कारीगर के सुपुर्द करता है। कारीगर के पास जाता है तो आधा और मिला कर मिश्रण करके जेवर बना कर उसको वापिस देता है। उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की खरी कमाई का पैसा नष्ट-भ्रष्ट इस भ्रष्टाचार में होता है, जिसमें कि सरकार की शै है, सरकार एक तरह से हामी है। इन तरीकों से समाजवाद नहीं आ सकता भ्रष्ट अधिनायकवाद आ सकता है। भ्रष्ट अधिनायकवाद आज आता हुआ दिखाई ही नहीं दे रहा है बल्कि वह तो आ चुका है, और वह दिन प्रतिदिन वृद्धि पा रहा है, यह हम अनुभव करते हैं। आप भ्रष्टाचार को पनपाते हैं, भ्रष्टाचार को प्रश्रय देते हैं। आप में से बहुत से महानुभाव, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, १५ साल पहले उनकी क्या अवस्था थी ? पहनने के लिए उनके पास क्या व्यवस्था थी, खाने के लिए क्या व्यवस्था थी ? आज हम

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

देखते हैं कि ४०-४०, ५०-५० हजार की मोटरों में बैठते हैं। आप हमसे दुगुना तिगुना आगे बढ़ चुके हैं। मोटरें, बंगले, बगीचे, टिप-टोप फर्नीचर, अपसोलेस्ट्री जिसकी हद नहीं और बनारस के कीमखाब। मेरे ख्याल से एक यह स्थिति है कि आपही को कहना चाहिए कि क्या है और दरअसल आप क्या करते हैं आपकी प्रेक्टिस और प्रोफेशन में रात दिन का अन्तर है।

श्री बालकृष्ण कौल : किसके पास ५० हजार की मोटर है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय वित्तमन्त्री ने चमड़ों, सूत, ट्रेक्टर्स और टायर्स पर भी सेल्स टेक्स में वृद्धि की है। ग्रामोद्योग और खेती को इससे ठेस पहुंचेगी यह मैं अनुभव करता हूं। ट्रेक्टर्स, टायर्स, स्पेयर पार्ट्स और डीज़ल को भी मंहगा किया है, उस पर भी टैक्स लगाया है. जो कुछ साल पहले ६० रुपये के अन्दर एक बैल मिलता था उसकी आज कीमत २५०) रु०, २७५) रु० हो गई। एक तरफ आप कहते हैं कि उत्पादन बढ़ाए जाओ और दूसरी तरफ आप टैक्स लगाते चले जा रहे हैं। ये दोनों विरोधी बातें हैं। मैं नहीं समझता कि कैसे उत्पादन बढ़ेगा ? मैं समझता हूं यह नीति नहीं चल सकती।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : किसानों को बैलों की कीमत ज्यादा मिलती है उससे उनकी स्थिति ठीक होगी या खराब होगी ?

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : किसान तो बैल को खुद काम में लेता है। किसान को बैल ज्यादा चाहिये, एक के बजाय चार बैल चाहिए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जो चाहो करो। मैं कहता हूं किसान के लिए बहुत मुश्किल हो गया है।

सेल्स टैक्स के रिटर्न्स के सम्बन्ध में जो इसकी सिक्रेसी है, जो इसकी गोपनीयता है उस सम्बन्ध में भी मैं आपको निवेदन करूंगा। सरकार ने यह दुस्साहस किया है कि उनकी गोपनीयता को भंग किया जाय। सिद्धांतविहीनता का प्रदर्शन किया है, यह मैं अनुभव करता हूं। यह जनतंत्र और नागरिक शान के कतई विपरीत है, यह डिक्टेटोरियल पॉलसी है, इन्डीसेंट है, डिग्रेडिंग है। व्यापारी के घर का पता लेना, यह सरकार का एक ऐसा कदम है जिसका मैं विरोध करता हूं और इसकी निंदा करता हूं। इससे आप ही अपनी बेइज्जती करते हैं और लोग आपके माजने परखते हैं और देश को दूसरों की आंखों में गिराते हैं। इंग्लैंड में, फ्रांस में, स्केन्डेनेवियन कन्ट्रीज में, वेस्ट जर्मनी में, जहां समाजवाद है और जहां एक उत्तम प्रकार का समाजवाद है। चाहे जापान में हो वहां पर असेसमेंट के रिटर्न्स को महान् महत्व दिया जा रहा है। आप यहां पर अगर चीन की व्यवस्था लाना चाहते हैं आप सब को नंगा और भूखा बनाना चाहते हैं तो आप यहीं कहावत चरितार्थ करते हैं कि: "जहां नंगे सब लोग हों वहां धोबी आकर क्या करेगा ?" परमिट, कोटा, लाइ-

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सेंस देने में सरकार के पिट्ठुओं के लिए कानून की पाबंदी नहीं है, आप अपने को प्रिवलेज्ड क्लास समझते हैं, यह एक आश्चर्यजनक व्यवस्था है। इसको मेरे ख्याल से जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और सरकार को समय होते हुए चेतना चाहिए। इन कानूनों पर जनमत लिया जाय, यह मेरा प्रस्ताव है। यह केवल फोर्मल प्रस्ताव नहीं है जनमत लेने का। क्या आपमें साहस है ? क्य आप ऐसा कुछ कदम उठा सकते हैं ? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि without the people's mandate you have no business to levy these taxes post haste and in such ill concealed manner. यह जनता के प्रति आप एक धोखा कर रहे हैं, एक गद्दारी कर रहे हैं और मैं आपके द्वारा सरकार को यह निवेदन करूंगा कि इस दु:स्साहस से वे बाज आएं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सम्पतिलाल बोहरा।

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल (बयाना) : मैं पांच मिनट बोलूंगा।

श्री सम्पत्तिलाल बहोरा (मावली) : टैक्सेशन लॉज पर बहस शुरू करने से पहले मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो बजट पेश करती है, आज की परिस्थितियां बदल चुकी हैं, अंग्रेजों के जमाने में भारत सरकार जो बजट पेश करती थी, उसमें उस समय राजस्थान में या हिन्दुस्तान में कहीं पर भी सेल्स टैक्स नहीं लगता था और इसलिए उस समय यह उपयुक्त समझा गया कि बजट शाम के समय पेश हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। लेकिन जो इतनी डाइरेक्ट टैक्सेज लगी हैं, राजस्थान में खास तौर से जो डाइरेक्ट लगी हैं, उन्ही का ज्यादा असर पड़ा है और शाम को पेश होने पर सुबह से ही टैक्स लागू हो जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि यदि बजट या टैक्सेशन प्रोपोजल्स का सारा काम सुबह को ८ बजे से पहले पहले कर दिया जाय तो उससे व्यापारियों को नुकसान नहीं होगा और मेरे ख्याल से इसमें कोई आपत्ति नहीं कि बजट सुबह को पेश नहीं किया जा सके।

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज इन टेक्सेसन लॉज द्वारा व्यापारियों की, बिजनेस कॉम्युनिटी की, इन्डस्ट्रीज की, खेती की दिक्कतें बढ़ी हैं। सरकार एक तरफ कहती है कि हमें अधिक टैक्स चाहिए, अधिक साधन चाहिए और दूसरी ओर व्यापारियों को कितनी असुविधाएं हो रही हैं। जगह-जगह जो ए. सी. के आफीसेज थे उनको कम किया। डिस्ट्रिक्ट चूरू के ऑफिस को बीकानेर स्थानांतरित किया और बीकानेर सिटी, डूंगरपुर और बासवाड़ा में कम किया। जिनकी शिकायत नहीं थी सरकार ने उनको कम किया। जहां १५ लाख से अधिक टर्न-ओवर है उसके लिए सारे राजस्थान में दो ऑफिसर्स नियुक्त किए। जगह-जगह के लिए वहां असेसमेंट करवाया जाय, उनके लिए सी. फार्म की दिक्कत, डिक्लेरेशन फार्म की दिक्कत, और दूसरे जो गांवों में रहने वाले लोग हैं उनको अपने गांवों को छोड़कर जयपुर या जोधपुर जाना पड़े। इस प्रकार की असुविधाएं इस एक्ट द्वारा पैदा की गई हैं।

(श्री सम्पत्तिलाल बहोरा)

और इसमें सबसे बड़ा प्रोवीजन है जो एक नए डिप्टी कमिश्नर (एन्टी इवेजन) की नियुक्ति हुई है और उसके यहां धांधली इतनी बढ़ गई है कि जैसे कि पुलिस राज्य हो वैसे काम चल रहा है। न नियम हैं, न उप नियम हैं जहां चाहा पेश किया। व्यक्तियों की बहियां ले लीं, जिन्होंने पैसा दिया उनको छोड़ दिया। जिन्होंने पैसा नहीं दिया उनको अजमेर तक ले आए। सारी बहियें, करेन्ट बुक्स भी उनमें आ गई। यह नहीं देखते कि चालू बहियां किस प्रकार लेते हैं आखिर किसकी सेंक्शन ली है, कुछ भी नहीं। चाहे जिस व्यापारी की दूकान पर गए और उसकी बहियां उठा लीं, न रात का समय देखेंगे न दिन का समय देखेंगे। रात को दस दस बजे जाकर बहियां ले लीं। इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं यह अच्छी बात नहीं है, यह जनतन्त्र है।

इसके अतिरिक्त जो आप नया अमेंडमेंट ला रहे हैं उसमें अपने ऑफिसरों को पावर्स दी हैं कि इसको कॉग्नीजेबल ऑफेंस मानें। इन्स्पेक्टरको भी पॉवर्स दी हैकि वह कॉग्नीजेबल ऑफेंस इसको ट्रीट करे, हथकड़ियां डालकर बाजार में घुमाया जा सके। इससे क्या होगा कि इन्स्पेक्टर की जेबें भरेंगी, करप्शन बढ़ेगा। लोग इससे ज्यादा से ज्यादा हैरेस होंगे, जो छोटे-छोटे व्यापारी हैं वे परेशान होंगे। इन्स्पेक्टर किसी भी समय जाकर मकान का ताला तोड़ सकते हैं, तिजोरी तोड़ सकते हैं, किसी भी सामान को चैक कर सकते हैं इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी व्यक्ति १० हजार मन अनाज या लोहा रखता है, उससे कहा जायगा कि इसे तोलो। यह अगर तोलेगा तो शायद एक दो महीने लग जाएंगे। फिर व्यापारी क्या करेगा ? कहेगा यह १००) रु० का पत्ता लो, २००) के पत्ते लो।

(११.०० म० पू०)

इस प्रकार इस तरह के पॉवर्स देकर हम सारे के सारे आदमियों को मजबूर करेंगे कि अधिक से अधिक करप्शन में हिस्सा बटायें और देश में, हम चाहते हैं कि दो साल में करप्शन कम हो, इससे ऐसा लगता है कि दो साल में यह इतना बढ़ जायगा कि इसकी कोई रेमेडी नहीं होगी।

और इसके साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, कुछ डिप्टी कमिश्नर्स को भी असेसमेन्ट के पावर्स दिये गये हैं। वे स्वयम् जाकर असेसमेन्ट करेंगे। आपने एक अजीब तरीका निकाला है। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज इन्कम टैक्स एक्ट को लागू हुए इतने वर्ष हो गये जो असेसिंग ऑथोरिटी है वह सिर्फ इन्कम टैक्स ऑफिसर ही है। सरकार ने किसी दूसरे को पॉवर्स नहीं दी हैं। हमारे यहां असेस करने के लिए आप डिप्टी कमिश्नर को पावर दे रहे हैं और मजेदार बात तो यह है कि उस डिप्टी कमिश्नर के फैसले के खिलाफ अपील कौन सुनेगा ? उसके फैसले के खिलाफ अपील उसी की इक्वल रेंक का डिप्टी कमिश्नर सुनेगा। यह कहां का न्याय है ? किसी चीज पर डिप्टी कमिश्नर फैसला लेता है, और उसी की रेन्क का डिप्टी

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

कमिश्नर उस फैसले की अपील सुने यह आपके सेल्स टैक्स एक्ट का नमूना है।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : चोर को बचाने का एक तरीका है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : यही नहीं, सरकार पैनल्टी के बगैर जिन्दा नहीं रह सकती। सरकार ने इसको सोर्स ऑफ रेवेन्यू बना लिया है। ए. बी. सी. से लेकर एन. तक इसको कर दिया है। कहीं आपने दूनी पेनेल्टी ली है। यदि केश मीमो नहीं बना तो ५०) पैनेल्टी। जितने का बिल बना है और उससे दूनी रकम की पैनल्टी केश मीमो बनाना भूल गया तो ४०) रु० पैनल्टी की भी कोई सीमा होती है। इनकम टैक्स में भी पैनेल्टी का प्रावधान है। लेट पेमेन्ट करता है तो १ पर्सेन्ट पेनेल्टी। यह मेग्जिमम लिमिट है। Maximum should not exceed than half the tax आधा टैक्स से ज्यादा नहीं होगा। सौ रुपया टैक्स लगेगी तो ५०) रु० से अधिक पेनेल्टी नहीं लगेगी। इतनी लिमिट होगी। लेकिन आपके यहां कोई लिमिट नहीं है।

आप कहते हैं रिटर्न पेश नहीं करने के लिए पेनेल्टी लगा दी। साथ में प्रोविजन रखा है कि रिटर्न कब फाइल करेगा? जब टैक्स की रसीद होगी। जब रिटर्न फाइल नहीं कर सका तो रसीद नहीं होगी। टैक्स नहीं जमा कराने की पेनेल्टी लगेगी। दो-दो पेनेल्टी एक साथ लगाते हैं। रिटर्न तब तक पेश नहीं कर सकता जब तक कि रसीद साथ में न हो।

यहां तक कि पेनेल्टी आपने उस पर भी लगा दी है कि वे अपनी बहियें उसी स्थान पर रखेंगे जहां आपने घोषित किया है। मैं वित्तमन्त्री महोदय से, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऐसा चाहते हैं कि एक व्यापारी अपनी बहियां वहां से नहीं हटायेगा चाहे दस साल, पांच साल, बीस साल तक वहीं रहे।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदय, यह मंशा इसकी नहीं है। उसको यह डिक्लेयर करना पड़ेगा कि प्लेस ऑफ बिजनिस है वहां किताब रखनी पड़ेगी। प्लेस ऑफ बिजनिस घर बता दे, दूकान बता दे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : चोरी हो जाती है-दूकान में और सारी बहियें दूकान की जल जाती हैं।

श्री बालकृष्ण कौल : फ्रन्टियर पर तो हमारे दूकानदारों को भी आगाह कर दिया जाता है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : यह तो आपका राज्य है।

बहियें रखनी कहां चाहिये यह बात यहां तक तो बिलकुल ठीक है। लेकिन रखने पर क्यों पाबन्दी होनी चाहिये? रीजनेबल कॉज होना चाहिये। लेकिन आपने रखा है, उस स्थान पर आपकी बहियें नहीं मिलीं तो पेनेल्टी लगाई जायगी। सैल्स टैक्स में भी बहियां

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

नहीं ले जा सकता, इन्कम टैक्स में भी बहियें नहीं ले जा सकता, घर पर हिसाब बनाने के लिए भी नहीं ले जा सकता।

श्री बालकृष्ण कौल : वकीलों के दफ्तर तक ले जा सकता है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : यह नहीं है। You have not mentioned that word.

रीजनेबल कॉज़ होने पर भी नहीं हटा सकता है। आखिर कितने साल की बहियें दूकान पर अम्बार लगाये रखेगा ? दो साल पांच साल, दस साल बीस साल। कोई लिमिट तो होनी चाहिये। आप एक तरफ कहते हैं कि ज्युडिशियल अनाउन्समेन्ट होगा और उसके बाद में एक वर्ष के अन्दर अन्दर कोई भी सरकार जितने भी असेसमेंट चाहेगी खोल सकेगी। इसका मतलब यह हुआ कि आज सरकार ने यह फैसला किया कि मूंगफली पर टैक्स है और अनाउन्समेन्ट हो गया तो ५५ से सेल्स टैक्स लगा है उस वक्त मे कुल असेसमेन्ट की बहियें उस व्यक्ति से मंगायी जावेंगी। इसको रखने की क्या मंशा है ? जो प्रोविजन लाये हैं उसकी क्या मंशा है ? उसको उन्होंने ध्यान से नहीं पढ़ा है वर्ना वे इसको लाने की जरूरत ही नहीं समझते। कोई ज्युडिशियल अनाउन्समेन्ट होता है, कोई अपील करता है उसके लिए फैसला होता है। आपने यह कर दिया कि एक साल में जो भी फैसले लिए जावेंगे, राजस्थान में जितने व्यक्ति अफेक्टेड होंगे, उनके असेसमेन्ट खोले जा सकेंगे। कितने दिन से ? जिस दिन सेल्स टैक्स एक्ट लागू हुआ है उसी दिन से। यह है आपका राम राज्य।

श्री बालकृष्ण कौल : यह तो चोर-वृत्ति को रोकने का तरीका है।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आपने कहा गोटा किनारी पर यह टैक्स होगा, हाईकोर्ट ने कह दिया कि यह नहीं होगा। इसी प्रकार मूंगफली पर आपने कहा कि यह टैक्स होगा, हाईकोर्ट ने कह दिया यह फ्री है। असेसी कहता है कि इस पर टैक्स नहीं है और हाईकोर्ट कहता है टैक्स है तो क्या होगा ? होगा यह कि सारे राजस्थान के व्यापारियों की बहियों के असेसमेन्ट को खुलाया जायगा। प्रोविजन लगेगा कि तुमने टैक्स चुराया है, इतनी पेनेल्टी लगायी जायगी। वित्तमंत्री महोदय आपने उसको अच्छी तरह से पढ़ा नहीं है। उसकी जो भाषा है उसको आप पढ़ें ध्यान से तो आपको मालूम होगा कि मैं जो कह रहा हूं वही चीज है। या तो आप उसकी भाषा को ठीक करें। हाईकोर्ट में कोई केस चल रहा हो और उस कारण यह करना चाहते हैं, कोई पर्टीकुलर केस हो तो बात समझ में आ सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक टैक्स लगाने का सवाल है बहुत तरीके होते हैं लगाने और वसूल करने के। आज राजस्थान में सेल्स टैक्स दस करोड़ रुपया वसूल होता है। पहले ३ करोड़ रुपया था और बढ़ते २ यह दस करोड़ रुपया हो गया। जब टैक्स लगा तो रेट ऑफ टैक्स क्या थी और कितना बैठा ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा

यह देखना चाहिये कि कितना टैक्स लगाते हैं और कितना बैठता है । आज कितना है और कितना बैठेगा ? राजस्थान का एग्रीकल्चरल डेवलप्मेन्ट हुआ है, इन्डस्ट्रियल डेवलप्मेंट हुआ है। दो दो प्लॉन पूरे हो गये हैं। कितनी आपकी टैक्स रेवेन्यू बढ़ी है ? जहां २ रु० थी वहां ६ रुपया हो गया । जहां मेक्सिमम रेट ७ पर्सेन्ट थी वहां १० पर्सेन्ट हो गयी । आपको प्राइस इन्डेक्स बताते हैं कि प्राइस कितनी बढ़ी हैं। जो १९५५-५६ में १००)रु० कीमत थी आज उसकी १३९) रु० १४०)रु० है। ४०-५० पर्सेन्ट प्राइसेज बढ़ी है । चार करोड़ रेवेन्यू थी प्राइस बढ़ने से सिर्फ ६ करोड हो गयी है। रेट को दुगुना कर रहे हैं तो १० करोड़ के बजाय बीस करोड़ होना चाहिये। तो यह टैक्स का इवेजन हो रहा है। क्या हो रहा है ? आपकी गलत नीतियों के कारण हो रहा है। आपने जो रेट्स राजस्थान में रखी हैं उनकी कोई सिमिलियेरिटी, कोई कम्पेरिजन, किसी भी पड़ौसी प्रदेश के साथ बैठता नहीं है। राजस्थान में क्या रेट है, मध्यप्रदेश में क्या है और दिल्ली में क्या है ? यदि मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखूं तो आप हैरत में होंगे कि आज राजस्थान में इन्डस्ट्रीज़ की क्या हालत हो रही है। मैं इसको तीन भागों में डिवाइड करूंगा। इन टैक्स की रेट्स का इन्डस्ट्रीज पर क्या असर पड़ता है, जैसा हमारे विरोधी दल के नेता ने कहा। चान्दी पर टैक्स रखा है उसका नमूना बताना चाहता हूं। चान्दी पर टैक्स एक्ट में हाफ पर्सेन्ट था। इस बिल के प्रोविजन से इसको दो पर्सेन्ट कर दिया। पर्चेज टैक्स में कोई लिमिट नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि चान्दी पर दो पर्सेन्ट पर्चेज टैक्स और दो पर्सेन्ट सेल्स टेक्स लगेगा। आप कहेंगे कैसे ? मैं बताता हूं आपको यह ऐसा लगेगा। चांदी खरीदी जाती है तो वह यों ही काम में नहीं आती है। चांदी खरीदी है तो उसके जेवर बनेंगे।

राजस्थान जब बना उस समय कस्टम ड्यूटी क्या थी ? सिर्फ आठ आना। वह अब चौबीस गुना हो गई। उपाध्यक्ष महोदय, जो टैक्स राजस्थान बनने से पहले चान्दी पर था वह सौ तोले पर आठ आना था उसको चार सेंन्ट बढ़ा दिया गया .और वह अब चौबीस गुना हो गया। तो क्या आप इस तरह से चाहते हैं कि राजस्थान में चांदी की इन्डस्ट्री डेवलप हो। मैं इसके साथ ही अन्य प्रान्तों में जो टेक्स हैं वह लिस्ट बताऊं तो आपको आश्चर्य होगा। मध्यप्रदेश में बूलियन पर आज भी आधा पर्सेन्ट है पंजाब में आधा पर्सेन्ट, गुजरात में वन फोर्थ, देहली में आधा पर्सेन्ट, आंध्र में आधा पर्सेन्ट, महाराष्ट्र में आधा पर्सेन्ट, मद्रास में आधा पर्सेन्ट, आप आखिर किस प्रान्त की नकल करना चाहते हैं ? ये प्रान्त जिनका मैंने उल्लेख किया है वे आपसे अधिक आगे बढ़े हुए हैं, अधिक डेवलप्ड स्टेट्स हैं जहां आधा पर्सेन्ट टैक्स है यहां पर आप दो पर्सेन्ट टैक्स लगाते हैं इस तरह से परचेज टैक्स अलग है और सेल्स टैक्स अलग है। आप इस तरह से चाहते हैं कि सुनारों को काम मिले। जो भी व्यापारी हैं या सुनार हैं वे माल यहां न बनाकर डायरेक्ट देहली से मंगाकर बेचते हैं। इस प्रकार से

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

यहां के व्यापारी का और सुनार दोनों का काम छिन गया। यह ठीक है कि सर्राफे की जो चीज है वह रोजमर्रा की चीज नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इन्डस्ट्रीज की दृष्टि से सोचें तो हमारे यहां पेपर इन्डस्ट्री का क्या हाल है? राजस्थान में पेपर मिल नहीं है सारा पेपर यहां पर बाहर से आता है। राजस्थान का कोई भी व्यापारी एक्साइज गुड्स मेन्युफेक्चर नहीं कर सकता। पास बुक्स, लेजर्स डायरीज, वह नहीं बना सकता। देहली में इस पर टैक्स नहीं है। टैक्स है भी तो कम रेट का टैक्स है इसलिए वह वहीं से लाना पसन्द करता है। वहां पर किताबें बनाने के बाद टैक्स नहीं सारा का सारा माल टैक्स फ्री मिलता है। राजस्थान में दो पर्सेन्ट टैक्स है और छः पर्सेन्ट सेल्स टैक्स लगता है इस तरह से आठ पर्सेन्ट लगाने के बाद यहां जो मेनुफेक्चर करते हैं तो उस पर भी छः पर्सेन्ट टैक्स लगता है। दूसरे प्रान्तों में यह हाल है कि वहां व्हाइट प्रिन्ट पर कोई टैक्स नहीं है।

उत्तर प्रदेश में दो पर्सेन्ट है और राजस्थान में ६ पर्सेन्ट है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

दिल्ली में यू० पी० में दो पर्सेन्ट टैक्स है और हमारे राजस्थान में हर चीज पर ६ पर्सेन्ट टैक्स है।

अब मैं स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज का उदाहरण देना चाहता हूं वह फरनीचर से संबन्धित है। फरनीचर का यह हाल है वैसे ही राजस्थान अन डेवलप्ड स्टेट है. अब लोगों का कुछ स्टेन्डर्ड बढ़ रहा है वैसी हालत में वे फरनीचर खरीदना चाहते हैं। हमारे यहां यह हाल है इस प्रकार के फरनीचर पर १० पर्सेन्ट टैक्स है। यहां पर उत्तर प्रदेश, देहली और पंजाब से सारे का सारा फरनीचर आता है क्योंकि यहां पर इन्डस्ट्री डेवलप्ड नहीं है। राजस्थान में जहां दस पर्सेन्ट टैक्स है वहां अन्य प्रान्तों में आन्ध्र में २ परसेन्ट, आसाम में ४ पर्सेन्ट मद्रास में २ पर्सेन्ट, देहली में ५ पर्सेन्ट, और हमारे यहां है दस पर्सेन्ट क्या इस प्रकार से हमारी सरकार स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन देना चाहती है?

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं कन्ज्यूमर गुड्स की क्या हालत है, वह भी निवेदन करना चाहता हूं। मैं यह देखकर हैरान रहा। दिन प्रतिदिन काम आने वाली चीजों पर जैसे माचिस, कैरोसीन ऑइल इन पर भी जो टैक्स हमारे यहां लिया जाता है वह दूसरी स्टेट्स से बहुत ही हाई है। हमारे यहां राजस्थान में माचिस और कैरोसीन ऑइल पर सात पर्सेन्ट टैक्स है। दूसरी स्टेट्स जो हमारी पड़ौसी स्टेट्स हैं उनमें पंजाब में तो इस पर बिल्कुल ही टैक्स नहीं है, आन्ध्र में दो पर्सेन्ट, देहली में टैक्स नहीं, केरल में दो पर्सेन्ट, मद्रास और महाराष्ट्र में दो पर्सेन्ट किसी भी स्टेट में दो प्रतिशत से अधिक नहीं है अधिकतर स्टेट्स में नहीं भी है लेकिन हमारे यहां सात पर्सेन्ट माचिस और कैरोसिन ऑइल पर है। जब

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

कि पंजाब में बेस्ट बंगाल में इस प्रकार की चीज़ों पर बिल्कुल टैक्स माफ है जम्मू काश्मीर में कोई टैक्स नहीं है ।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी पार्टी में मेरे सिवाय कोई बोलनेवाला नहीं है और भी कोई अधिक बोलने वाले माननीय सदस्य नहीं है । इसलिये मेरी पार्टी का पूरा समय मुझे ही दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने अपनी पार्टी के समय से अधिक समय ले लिया है, मुझे दूसरी पार्टियों के समय को भी नियन्त्रण करना है । अतः आप ज्यादा न बोलें ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : अब में सम-अप ही कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारी राज्य सरकार की जो टैक्स लेवी करने की नीति है उससे यह साफ प्रगट होता है कि वह किस प्रकार से स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज को प्रोत्साहन देना चाहती है । यदि वास्तव में छोटे उद्योग-धन्धों को सरकार प्रोत्साहन देना चाहती है तो उनको इस प्रकार की पॉलिसी बनानी चाहिए हमारे यहां का व्यापार उन्नत हो यहां की इन्डस्ट्रीज़ बढें, इसलिए मांग करूंगा कि इसके बारे में हाई पॉवर कमिटी नियुक्त करके जांच करें कि हमारे यहां टैक्स का स्ट्रकचर किस प्रकार का हो, वह इसके बारे में जांच करे और सरकार को अपना प्रतिवेदन करे ।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि माननीय सदस्य को इस मामले का काफी एक्सपीरियेन्स है और ये टेक्सेशन के एडवोकेट भी हैं वैसी हालत में ये महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को देंगे अतः इनको कुछ समय ज्यादा भी दे दिया जाय तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

एक माननीय सदस्य : आपकी पार्टी का समय दे दीजिये ।

श्री मानिकचंद सुराणा : इसमें मेरी पार्टी का सवाल नहीं है । अधिक समय दिया जाय तो सदन को ये महत्वपूर्ण मुद्दे ठीक तरह से समझा सकेंगे ।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : वैसे भी यह टेक्निकल सब्जेक्ट है सब तो इस पर बोलने वाले नहीं है इनको ज्यादा समय मिल जाय तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पार्टी का समय समाप्त हो चुका है, अतः आप बैठ जाइये ।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा सदन के समक्ष रखना चाहता हुं, पांच मिनट का समय और दिया जाय । किसानों के टैक्स के बारे में पहले वित्तमन्त्री

(श्री सम्पत्तिलाल बोहरा)

महोदय ने घोषणा की थी कि किसानों पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसमें हम देखते हैं कि किसानों पर यह टैक्स ग्रायद हुआ है। ट्यूब-टायर जो किसानों के काम ग्राता है उस पर भी टैक्स लगाया गया है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिहनगर) : ट्यूब ग्रौर टायर कारों में काम ग्राते हैं।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : ग्रब मैं सेल्स टक्स की एबसर्डिटी की बात निवेदन करना चाहता हूँ। मावे की मिठाई पर टैक्स है; कचौड़ी, समोसे पर जो एक ग्राने में मिलता है उस पर टैक्स लागू कर दिया है। चपाती पर टैक्स है, पूरी परावठे पर नहीं, बाजरे पर टैक्स है, पूरी परावठे पर नहीं है। मिल की साड़ी पर टैक्स नहीं, लेकिन बन्धेज की जो साड़ी यहां बनती हैं उन पर दस रुपया टैक्स है। हजार रुपये की पॉवर लूम साड़ी पर टैक्स नहीं, हैन्डलूम की रेशमी साड़ी पर टैक्स है। यह ग्रापका समाजवादी राज्य का ढांचा है। दूध पर टैक्स माफ, मलाई पर टैक्स, दूध पर टैक्स माफ दही, पर माफ लेकिन छाछ पर टैक्स, मलाई पर टैक्स।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मलाई पर तो ग्रच्छा टैक्स लगाया मलाई, खाने वालों पर भी टैक्स लगेगा ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : इसके ग्रलावा सबसे इम्पोर्टेन्ट बात बता रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है वित्तमन्त्री जी जो चाहते हैं वह सेक्रेटरीज नहीं चाहते ग्रौर जो सेक्रेटरीज चाहते हैं वह वित्तमन्त्री जी नहीं चाहते। सेक्रेटरीज कुछ कहते हैं, गवर्नमेंट कुछ कहती है। वित्तमन्त्री महोदय घोषणा करते हैं एग्रीकलचर टैक्स नही लगेगा लेकिन इसको सेक्रेटरीज किस प्रकार इम्प्लीमेन्ट करते हैं उसका नमूना पेश करना चाहता हूं...

श्री परसराम मदेरणा (उप-मन्त्री, ग्राबकारी एवं कर) : जैसा गवर्नमेन्ट चाहती है वही सेक्रेटरीज इम्पलीमेन्ट करते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस बात की बड़ी खुशी है कि सेक्रेटरीज जो चाहते हैं वह ही ग्राप चाहते हैं।

श्री संपत्तिलाल बोहरा : जब राजस्थान विधानसभा में ग्रापने यह घोषणा की कि एग्रीकलचर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन फिर ग्राप किस वजह से कानून में यह लाये। ५-२-६३ को यह घोषणा की गई एग्रीकलचर पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इसमें ग्राप लाये हैं वह ग्रापकी घोषणा से विपरीत है।

उपाध्यक्ष महोदय, गत वर्ष फाइनेन्स बिल पर बोलते हुए ४-४-६३ को एक प्रस्ताव, एक सुझाव मैंने रखा था कि पचास हजार की लिमिट को बढ़ाकर एक लाख कर दिया जावे।

श्री परसराम मदेरणा : बजट के पहले घोषणा की थी।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : उसके बाद भी प्रश्न के उत्तर में फाइनेन्स मिनिस्टर ने कहा था कि नहीं लगेगा।

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : आपमें और सैक्रेटरियों में दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया होगा।

असेम्बली के फ्लोर पर हमारे वित्त मंत्री ने मेरा इस बारे में अमेन्डमेन्ट मन्जूर किया कि इसकी लिमिट एक लाख कर दी जावेगी।

मैं कार्यवाही में से सम्बद्ध उद्धरण पढ़ कर सुनाता हूं-

"श्री कौल : मैं आपको तक्लीफ देना नहीं चाहता। श्रीमान् के दो अमेन्डमेन्ट्स हैं। एक तो ५० हजार से एक लाख का; इसमें कोई आपत्ति नहीं है और जो प्रोवीजो रखा है वह भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं।

इस पर श्री उपाध्यक्ष ने कहा : "Would you like to withdraw?" मैंने कहा : "मेरा तो अमेन्डमेन्ट एक्सेप्ट हो रहा है। You have accepted the amendment which has been moved just now"

इस पर कौल साहब ने कहा, Y s'।

इस पर अध्यक्ष ने प्रश्न रखा, "जो संशोधन अभी माननीय सदस्य ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।"

यह स्वीकार होने के बाद यह फाइनेन्स बिल २६।४।६३को पास हुआ। पर पचास हजारकी जगह आज दिन तक एक लाख नहीं किया गया। आखिर यह किसकी गलती से हुआ? हाउस में आश्वासन देते हैं, बाकायदा मन्जूर करते हैं, सदन की कार्यवाही में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख है कि पचास हजार की जगह एक लाख सरकार स्वीकार करती है। यह फाइनेन्स एक्ट बनता है जो २६ अप्रैल, ६३ को पास हुआ है। गजट में प्रकाशित हुआ कि उसके सैक्शन २१ बी क्लाज २८ में कोई तरमीम नहीं की गई और पचास हजार को वैसा का वैसा ही लिख दिया गया।

इस बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत सीरियस मामला है। इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जावे और इसका स्पष्टीकरण मन्त्री दें। क्या हमारी पॉलिसी होनी चाहिए उस प्रस्ताव के बारे में भी आप विचार करें कि एक ऐसी हाई पॉवर कमेटी आप बिठा दें इस पर।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : इसका इफेक्ट क्या हुआ?

श्री सम्पत्तिलाल बोहरा : इसका इफेक्ट यह हुआ कि एक बिल किसी ने नहीं काटा और पकड़ा जावे तो उससे दुगुना टैक्स वसूल किया जा सकता है, यह प्रावधान है। एक है बीस रुपये का बिल, नहीं काटा तो ६ पर्सेन्ट से उसका होता है। १.२० पैसा पर बिल नहीं काटने पर २.४० पैसा ले लिया जावेगा। तो बीस पर चालीस की पैनल्टी भी लगा देते है। तो इस प्रकार जो छोटे से छोटा व्यापारी जो गांवों में बैठता है अगर वह भी इस तरह से २५ पचास हजार

(श्री सम्पत्तिलाल वोहरा)

की लिमिट में आ ही जाता है तो जहां उसे बचना चाहिए वहां पचास हजार की लिमिट रखने से वह भी ग्रिप में आ गया और इस तरह से उसे फाइन और डबल टैक्स का शिकार होना पड़ा। हमारी असेसिंग आँथोरिटी गांव में जाती है तो कहती है कि तुमने बिल नहीं काटा। मैं पूछता हूं कि क्या कमिश्नर के पास ऐसी कोई दूर्बीन है कि उसने वहां बैठे बैठे ही गांवों में व्यापारी की इस हरकत को देख लिया। अब जो आदमी बिल काटता है तो उनमें दो बिल, चार बिल नहीं मिले तो उस पर पेनल्टी का असर होता है और फिर इसमें होता क्या है दो हजार की पेनल्टी होती है; चलो पांच सौ में सैटलमेन्ट कर लो। पांच सौ में सैटल हो गया। आपका इन्सपेक्टर जेब भर कर ले गया और सरकार को कुछ मिला नहीं। तो क्या कोई कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर यहां बैठे ही बता सकता है कि मैंने कैश मीमो कितने काटे, कितने नहीं और अगर अफसर की शिकायत होगी तो कह देगा मैंने दो आइटम पूछे थे, मिल गये। तो इस प्रकार कितने ही गरीब लोगों को लूट लिया गया है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुराणा।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो बिल पेश किया गया है माननीय वित्त मन्त्रीजी से और उपमन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बिल आपने बहुत सोच-समझ कर, बड़ी समझदारी से पेश किया है। यहां विरोधी दल वाले अगर उसमें कोई आलोचना करते हैं तो वह आलोचना बेकार होती है, रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है।

श्री मानिकचंद सुराणा : तो सुनिये, मेरा निवेदन यह है कि जितनी बातें यहां कही गई है आप अपनी जिद् पर कायम रहते हैं। मैं निवेदन करता हूं कि इसी तरह आप इस मामले में भी अपनी जिद् पर कायम रहिये। आप अगर जिद् पर कायम रहे तो इस कांग्रेस के राज बन्टाधार होगा। हम विरोधी दल तो मिलकर भी आप के राज को अपदस्थ नहीं कर सकते थे, पर आप जो यह बिल लाये है उसके लिये मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो काम इस राज को अपदस्थ करने का हम नहीं कर सकते थे वह काम इस बिल के लाने के बाद में दो साल में निश्चित रूप में आप पूरा कर देंगे, यह मेरा निश्चित विश्वास है। मैं इसके लिये खास तौर से वित्तमन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने आखिर काश्तकारों पर भी यह टैक्स लगा ही दिया।

वित्तमन्त्री जी ने बजट के वक्त कह दिया कि काश्तकारों पर टैक्स नहीं लगाना चाहता। अभी उपमन्त्री जी कह रहे थे कि सरकार की मन्शा वही है जो सेक्रेटरीज की है और सेक्रेटरी वही करते हैं जो उनको हम आदेश देते हैं। अब यह भ्रम नहीं हो सकेगा किसी को कि काश्तकारों पर जो सैल्स टैक्स लाइसेन्स लेने का प्रावधान आपके रक्खा वह प्रावधान सरकार की बिना समझ और बिना मंजूरी

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

के सेक्रेटरीज ने रखा हो, यह भ्रम अब लोगों को नहीं रहेगा। सैक्शन २ डी, जिसमें टर्न-ओवर की डेफीनिशन की है उसमें एक प्रोविजो था पहले और उस प्रोविजो के जरिये यदि काश्तकार अपने अनाज को बेचता था, चाहे पांच हजार को लिमिट से ऊपर भी बेचता था तो लाइसेन्स लेने की आवश्यकता नहीं थी। आपके इस एक्ट की तरीफ में किसान डीलर नहीं था। पर मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि अब आप काश्तकार को भी डीलर बनाना चाहते।

कौल साहब चाहते हैं कि विभाग का लाइसेन्स लेकर किसान भी अपना माल बेचे। मैं वितमन्त्री जी से तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि विरोधी दल की पार्टियां तो इसके खिलाफ हैं, पर आप यदि वास्तव में वित्तमन्त्री हैं तो इसको डिलीट मत करना। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस पर स्टिक नहीं रहेंगे, इसे आप तो क्या आपकी छाया भी डिलीट करेगी। आपकी तरफसे इस तरह के जब जब प्रावधान हुए काश्तकारों के खिलाफ एक के बाद एक कदम आपने उठाये। आपने कह दिया जानवरों पर बिक्री टैक्स लगेगा, पर आपके पूरा जोर लगाने के बावजूद आपको इस प्रावधान को विथड्रॉ करना पड़ा। ६३ में बजट प्रावधान में सरचार्ज को ले आगे आप लैंड रेवेन्यू पर। पर इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने बगावत कर दी। फिर सैशन आया और आपको उसमें भी नीचा मुंह देखना पड़ा। सरचार्ज को मोडीफाई करना पड़ा। बहुत बड़ी रिया-यतें करनी पड़ीं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने डीलर का प्रावधान किया है काश्तकार के लिए यह प्रावधान घटिया किस्म का है, रद्दी है और वित्तमन्त्री इस रद्दी प्रावधान को बनाये रक्खें, मैं तो सिर्फ यही निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि यह तो निवेदन नही कर सकता कि इसे हटा दो। मैं तो यही कहूंगा कि इस को आप जरुर कायम रक्खो ताकि कांग्रेसी शासन के कफन मे लास्ट नेल इस काश्तकार के द्वारा ठोकी जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ लाइसेन्स बनावेंगे काश्तकार के लिए। पर बाद में वह काश्तकर आपके ग्रिप में कैसे आवेगा? तो वित्त मन्त्रीजी ने प्रावधान रखा है कि जो इन्सपेक्टर्स हैं सेल्स टैक्स के, उनको अधिकार दे दिया जावे कि वे पुलिस अफसरों के सारे पॉवर ले लें अपने पास। उसको पुलिस के पॉवर दे दिये जावेंगे। अब जो सेल्स टैक्स का इन्सपेक्टर है उसको पुलिस अफसर की मदद लेने की आवश्ककता नहीं रहेगी। अब तो कानून में प्रावधान हो गया कि कमिश्नर एक नोटि-फिकेशन जारी कर देगा कि राजस्थान के सारे इन्सपेक्टर्स को पॉवर दे दिये गये हैं कि पुलिस अफसर के सारे पॉवर उसको होंगे और वे काग्नीजेबल ऑफेन्स को यानि हिन्दी में जिसे काबिले दस्तन्दाजी है जाब्ता फौजदारी में वर्क करेंगे। नतीजा क्या होगा? आपका सेल्स-टैक्स इन्सपेक्टर गांवों में जावेगा, काश्तकार के पास जावेगा। जिनकी आय पांच हजार की नहीं है उससे भी कम की आय के लोगों को परेशान करेगा और कहेगा कि हमारा असेसमेन्ट तो पांच हजार का है, तुमने पांच

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

हजार का अनाज बेच दिया और चूंकि तुमने पांच हजार का अनाज बेच दिया है और इसका लाइसेन्स आपके पास नहीं है इसलिए आपको पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी और अगर यह पेनल्टी भुगतना न चाहें और हमारे पंजे में न आना चाहें तो सेल्स टैक्स इन्सपेक्टर को खुश करो और कौल साहब का रिट है वह आज शहरों तक ही महदूद है, वह रिट गांवों में भी चल सके, भ्रष्टाचार गांवों में भी कर सके, काश्तकारों को परेशान कर सकें, इसका प्रावधान वित्त मन्त्रीजी ने कर दिया है इसमें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनको पुलिस अफसर के पॉवर्स दिये हैं इसको भी आप जरा कायम रखिये। फिर यदि हम विधड़ा करने की कहेंगे तो समझदारी की बात होगी। इसलिए समझदारी की बात मत कीजिए। इनको पुलिस के से अधिकार बनाये रखिये और इनको शक्तिशाली बनाये रखिये। हिन्दुस्तान के इन्कमटैक्स के कमिश्नर को अधिकार नहीं हैं कि वह किसी भी केस में इनवेस्टीगेशन कर सकता है। इन्कम टैक्स में जहां लाखों का गबन हो सकता है और लाखों के टैक्स इवेड किये जा सकते हैं वहां हिन्दुस्तान के इन्कम-टैक्स के कमिश्नर को इस प्रकार के अधिकार नहीं हैं। हिन्दुस्तान की सरकार इतनी बुद्धिमान नहीं है कि उन्होंने अपने ऑफिसर्स को पॉवर्स दी हों, लेकिन राजस्थान बहुत बुद्धिमान है। वह सेल्स टैक्स ऑफिसर को ही नहीं, सैल्स टैक्स कमिश्नर को नहीं बल्कि इन्सपेक्टर ग्रेड तक के आदमियों को पुलिस ऑफिसर्स के इनवेस्टीगेशन पॉवर्स देना चाहती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन्कम टैक्स में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और कोई रेशनल जस्टीफिकेशन इसका नहीं हो सकता कि आपके सेल्स टैक्स इन्सपेक्टर्स को इस तरह के वाइड पॉवर्स दे दी जायें। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो आज यह बिल लाये हैं टैक्सेशन लॉज़ अमेन्डमेन्ट बिल, इसमें हमारे कौलसाहब कई काम करना चाहते हैं। एक तो वे यह चाहते हैं कि यदि माननीय मुख्य मन्त्री उनको होम मिनिस्टर नहीं बनायेंगे तो उनके एक्साइज़ एन्ड टैक्सेशन के नीचे एक पुलिस फोर्स खड़ी हो जायेगी और उसके जरिये जो इनवेस्टीगेशन्स पॉवर्स हैं, रेकॉर्ड्स को ज़ब्त करने के पॉवर्स हैं और व्यापारियों और काश्तकारों के यहां रेड कर सकें और उनको परेशान करके भ्रष्टाचार की जड़ों का राजस्थान में गहरा कर सकें, इस तरह का प्रावधान इसमें किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के इतिहास में और हिन्दुस्तान भर में सेल्स टैक्स के जितने भी दूसरे एक्ट्स हैं उनमें इस तरह के काले कानून का प्रावधान न तो हुआ है और न हो सकता है। सिर्फ इस तरह के प्रावधान हमारी राजस्थान सरकार और सुखाड़िया साहब और वित्त मंत्री जी हैं, यह उनके दीवालियेपन का नमूना है और राजस्थान की जनता इसको बरदाश्त करने वाली नहीं है, यह मैं मंत्रीजी से कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार सिर्फ काश्तकारों को ही बरबाद करना चाहती हो ऐसी बात नहीं है बल्कि वह यह भी चाहती है

Page No. 88

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

कि राजस्थान में कोई व्यापार न पनप सके। सेक्शन ५ (ए) में अमेन्डमेन्ट कर दिया। पहले तो ९ आइटम्स की लिस्ट थी कि इन-इन आइटम्स पर २ पर्सेन्ट पर्चेज़ टैक्स होगा और उसके अलावा यदि सरकार किसी पर पर्चेज़ टैक्स लगायेगी तो अलग से विज्ञप्ति निकालनी पड़ेगी। कहीं पर राजस्थान से बाहर कोई माल जाये उसके लिए पर्चेज़ टैक्स की व्यवस्था कर दी गयी है और उसकी सीमा बांध दी गयी है और जिन चीजों पर पर्चेज टैक्स लगता था उनकी संख्या ९ थी। अब वित्तमंत्रीजी पर्चेज़ टैक्स जितने आइटम्स पर चाहे लगा सकते हैं। उसकी कोई सीमा नहीं है। यह इसलिये किया कि सरकार को उसके लिये विज्ञप्ति जारी न करनी पड़े। हर चीज पर पर्चेज़ टैक्स की घोषणा कर दी है इस अमेन्डमेन्ट के जरिये। उपाध्यक्ष महोदय, इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा यह होगा कि राजस्थान से जो माल निर्यात होता है वह व्यापार इस प्रावधान से बरबाद हो जायेगा। राजस्थान का निर्यात व्यापार चल नहीं सकता, इस प्रकार का प्रावधान आप लाने जारहे हैं क्योंकि यदि कोई निर्यात करता है तो उसको पर्चेज़ टैक्स देना पड़ेगा और उसकी दर वही होगी जो कि सेल्स टैक्स की दर है। और आपकी जनरल लिस्ट है उसमें ६ पर्सेन्ट है तो पर्चेज़ टैक्स भी ६ पर्सेन्ट ही होगा। तो एक व्यापारी यदि हिन्दुस्तान से माल निर्यात करता है तो वह ६ पर्सेन्ट पर्चेज़ टैक्स दे और वही व्यापारी यदि बम्बई, कलकत्ता या मद्रास के व्यापारी को माल भेजता है तो २ पर्सेन्ट पर्चेज़ टैक्स दे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के दूसरे व्यापारियों को ४ पर्सेन्ट का मुनाफा हमारी सरकारने दिया है। यानी इसका सीधा मतलब यह कि हमारे यहां राजस्थान का व्यापारी हिन्दुस्तान से बाहर निर्यात न करे क्योंकि यदि वह करेगा तो उससे ६ पर्सेन्ट पर्चेज़ टैक्स लिया जायेगा और यदि बम्बई, मद्रास वगैरह के व्यापारी हमारे राजस्थान से कोई माल लेगा तो २ पर्सेन्ट पर्चेज़ टैक्स है। तो वही माल बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के व्यापारी निर्यात करें तो २ पर्सेन्ट पर्चेज़ टैक्स और वही माल राजस्थान का व्यापारी हिन्दुस्तान से निर्यात करे तो ६ पर्सेन्ट टैक्स। इस प्रकार से कौन राजस्थान के व्यापारी से माल खरीदेंगे? इससे तो बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के व्यापारियों की बन आयेगी और ४ पर्सेन्ट का मार्जिन वे सीधे-सीधे कमायेंगे।

यह तो मैंने आपको बड़े व्यापारियों की स्थिति बताई। छोटे व्यापारियों का यह होगा। छोटे व्यापारी कमीशन एजेन्टको माल भेजते और उसमें सेल नहीं होता। ऐसे बम्बई के कमीशन एजेन्ट को भी छोटे व्यापारी माल भेज दें तो पर्चेज़ टैक्स लगेगा। यह व्यवस्था राजस्थान की सरकार चाहती है कि समाप्त हो जाये। तो राजस्थान के छोटे व्यापारी भी इस तरह से सत्यानाश हो जायेंगे।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या आप यह अन्दाजा लगाते हैं कि राजस्थान का छोटा व्यापारी डाइरेक्टली सेल कर पायेगा। डाइरेक्टली सेल बड़े व्यापारी ही कर पाते हैं जिनकी पूंजी ज्यादा हो, जिनकी मारकेट के बारे में इन्फोर्मेशन

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

ज्यादा हो । छोटे व्यापारी तो कमीशन एजेन्ट्स को ही माल भेजते हैं और अच्छे भावों का इन्तजार करते हैं। तो छोटे व्यापारियों के लिए जो आपने ५ (ए) में प्रावधान किया है उससे उनका सत्यानाश हो जायेगा। हिन्दुस्तान से यदि कोई बाहर निर्यात करे तो वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उस पर उसे ६ पर्सेन्ट का सेलस टेक्ट आयेगा। इस लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल के जरिये राजस्थान के छोटे व्यापारियों के ट्रेड का सत्यानाश कर दिया गया, राजस्थान के बड़े व्यापारियों का सत्यानाश कर दिया गया। जो भी प्रावधान रखे गये हैं उसमें बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के व्यापारी ४ पर्सेन्ट का मार्जिन कमा सकेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था इस पर्चेज टेक्स के प्रावधान के द्वारा कर दी गई है। आप राजस्थान के वित्त मंत्री इसलिए नहीं बने हैं कि व्यापारियों का सत्यानाश कर दो, राजस्थान के काश्तकारों का सत्यानाश कर दो। अभी मेरे से पूर्व मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने इसका जिक्र किया था कि केरासिन ऑइल पर किसी तरह का दूसरे प्रान्तों में सेल्सटेक्स नहीं है और राजस्थान में ७ पर्सेन्ट या ६ पर्सेन्ट की दर केरोसिन ऑइल पर कायम है। इस तरह की लिस्ट बहुत लम्बी चौड़ी है कि हमारे नजदीक के प्रान्तों में सैल्स टैक्स की दरें बहुत कम हैं और हमारे यहां ज्यादा हैं। जब इस तरह की बात होती है तो नतीजा यह होता है कि वह व्यापारी हमारे यहां से माल बाहर ले जाते हैं और हमारे यहां के लोग जिनको आवश्यकता होती है वे उन प्रान्तों से जाकर माल वापिस लाते है। वहां पर तो होलसेल की नीड को पूरा करते हैं। इस बिल के जरिये हिन्दुस्तान के दूसरे प्रान्तो में यहां का ट्रेड डाइवर्ट हो जाये या राजस्थान के सीमावर्ती प्रान्तों में डाइवर्ट हो जाये, इस तरह की व्यवस्था की गयी है। मैं वित्त मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकारों को जो आप परेशान कर रहे हैं उनको जरूर करिये क्योंकि उससे वे आपके खिलाफ होंगे और आपकी गवर्नमेंट उलटेंगे। राजस्थान के व्यापारियों को आप परेशान कीजिए, इससे राजस्थान का व्यापार खत्म होगा और यह वर्ग भी आपके खिलाफ हो जायेगा। लेकिन मैं वित्त मन्त्री महोदय से इतना निवेदन करना चाहूंगा कि आपको राजस्थान की कृषि को बरबाद करने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता है और आपके प्रावधान से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह सरकार ब्रेनलैस है और वुडन हैडेड है और जो भी प्रावधान किया गया है उसमें राजस्थान के काश्तकारों का कोई ख्याल नहीं किया गया। इसका माननीय मन्त्री महोदय को ज्ञान है। यह कोई उनके सैक्रेटरी ने जानबूझकर नहीं किया है। मैं यह चार्ज नहीं लगाऊंगा कि सैक्रेटरी ने इस तरह का प्रावधान किया है। मन्त्री महोदय स्वयं समझ गये और यह उनका डाइरेक्शन था कि काश्तकारों को परेशान करो, राजस्थान के ट्रेड को दूसरे प्रोवीन्सेज़ में डाइवर्ट करो क्योंकि यहां की जनसख्या बढ़ रही है इसलिए यह आवश्यक हो गया है।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रासींद) : पर्चेज़ टेक्स काश्तकार को कैसे देना होगा ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : पर्चेज टेक्स ग्रौर सेल्स टेक्स ग्रौर लाइसेन्स को बनाये रखिये तो जो ९५ यहां पर बैठे हुए हैं उनमें से १० भी नजर नहीं ग्रायेंगे। ८५ ग्रादमी बाहर नजर ग्रायेंगे। ग्रागे ग्राप इस प्रावधान को बनाये रखिये तो मैं दावे के साथ कहता हूं। मैं इस प्रावधान की पुरजोर शब्दों में खिलाफत करता हुं।

इसके साथ-साथ उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के ग्रन्दर ऐसी कई चीजें डाली गई हैं जो ग्रॉर्डिनरी ट्रेडर को किस तरह से परेशान करती है, उसकी मैं एक सूची देकर ग्रापको बताऊ कि कैसे कैसे प्रावधान ग्रापने डाल दिये हैं। एक प्रावधान का मैं ग्रर्ज करता हूं कि एक ग्रादमी जिसकी टेक्स की लाए-बिलिटी १००) रु० बनती है उस टेक्स को यदि वह इवेड करता है,...

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

तो १००) रु० के टेक्स इवेज़न पर ग्रापके सेल्स टेक्स एक्ट में जो पेनाल्टी बनती है ग्रापके ग्रौर ग्रापके प्रावधान के ग्रनुसार वह ३,२९६) रु० होता है। १००) रु० टेक्स का इवेज़न हुग्रा ग्रौर ३,२९६) रु० की पैनाल्टी बनती है। इसकी डिटेल में जाना चाहें तो मैं बता सकता हूं। मन्त्री महोदय तो समझेंगे ही नहीं, मगर सैक्रेटरी साहब जरूर समझ लेंगे, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ग्रापकी जो क्लॉज़ पैनाल्टी की है वह यह है कि ग्रगर कोई ग्रादमी १००) रु० टेक्स का इवेज़न करता है तो सब क्लाज़ (ए) में १००) रु० की पैनाल्टी होगी, सब क्लाज़ (बी) में ५०) रु० की पैनाल्टी होगी, सब क्लॉज़(सी) (२) में १००) रु० की पैनाल्टी होगी, सब क्लॉज़ (डी) में १००) रु० की पैनाल्टी होगी, फिर (ई) में २००) रु० होगी, (एफ) में ५००) रु० होगी, जी में ५००) रु० की पैनाल्टी होगी, (एच) मे ५००) रु० की पैनाल्टी होगी, (ग्राई) में २००) रु० की पैनाल्टी होगी, (एल) में ५००) रु० की पैनाल्टी होगी, (एम) के ग्रन्दर ५००) रु० की पैनाल्टी होगी। यह ३२९६) रु० की लिस्ट है। उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्या वित्त मन्त्री जी ने कोई पर्सेन्टेज डालने की कोशिश नहीं की है कि १००) रु० टेक्स इवेड होगा तो ३००) रु० से ज्यादा की पैनाल्टी इम्पोज़ नहीं की जा सकती, २००) रु० से ज्यादा की पैनाल्टी इम्पोज नहीं की जा सकती। इस तरह का प्रोवीज़न डालने की बात सोचने के लिए मान-नीय वित्त मंत्रीजी को फुरसत नहीं है। ग्रौर यदि इस तरह की पैनाल्टी इम्पोज़ होगी तो उसके बाद क्या होगा, सारी पैनाल्टी इम्पोज़ हो जाय, यही नहीं सेल्स टेक्स इन्सपेक्टर को जैसा कि मैंने निवेदन किया इस तरह के ग्रधिकार हैं, कि वह रेकॉर्ड सीज़ कर ले। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनकम टेक्सका इन्सपेक्टर किसी की दूकान में घुस नहीं सकता। इन्सपेक्टर नहीं घुस सकता है जब तक कि मकान मालिक को ग्रौर जो एकाउन्ट्स मैन्टेन करता है उसकी पर्मीशन नहीं मिल जाय। वह एका-उन्ट्स बुक्स एग्ज़ामिन नहीं कर सकता जब तक कि इसके लिए उसको इन्कम

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

टैक्स कमिश्नर ऑथाराइज़ नहीं कर दें। इनकम टैक्स कमिश्नर ऑथोराइज़ करता है। इनकम टैक्स ऑफिसर को तब वह जाता है और बुक को सीज़ करता है और इनकम टैक्स में यह प्रावधान है कि इनकम टैक्स ऑफिसर १५ दिन से ज्यादा रेकार्ड अपने कब्जे में नहीं रख सकता। १५ दिन से ज्यादा रखे तो इनकम टैक्स कमिश्नर की उसको स्वीकृति लेनी पड़ती है। लेकिन आपके बिल के अन्दर सेल्स टैक्स ऑफिसर और इन्सपेक्टर को जब तक मर्जी में आये तब तक वह रेकॉर्ड को अपने कब्जे में बनाये रखे। इसके बाद परेशान होकर दूकानदार भेंट पूजा करे तो उनको देख ले और भेंट पूजा नहीं करे तो उनको अधिकार है कि कानून में कोई टाइम-लिमिट नहीं है तो इस से बड़ी दिक्कत रहेगी, और इस बात का नमूना है, उपाध्यक्ष महोदय, कि १०-१० महीने तक रेकॉर्ड उनके पास पड़ा रहा, ८-८ महीने हो गये, कोई सुनवाई नहीं हुई। व्यापारी जाते हैं और मारे-मारे फिरते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं वित्तमंत्री महोदय से कि व्यापारी कोई क्रिमिनल नहीं है, व्यापारी ने कोई जुर्म नहीं किया है। और आपकी सरकार ने जो दृष्टिकोण एक व्यापारी के प्रति अपनाया है वह एक दकियानूसी है। आपका दृष्टिकोण राजस्थान के व्यापारी को बढ़ावा नहीं देने का है। आम व्यापारी आपके इस रवैये से परेशान है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने इस बिल के जरिये पुलिस फोर्स क्रिएट करने की कोशिश की है। आपने इन्सपेक्टर को सीज़र के पॉवर्स दिये है। एक तरफ पेनाल्टी का प्रोवीज़न रखा है। यह प्रोवीज़न इतना गलत है और इसका ऐसा बुरा निष्कर्ष होगा कि जिसने १००) रु० का टैक्स इवेड किया है उस पर ३२,६६) रु० की पैनल्टी इम्पोज़ करने का भय होने के कारण वह इन्सपेक्टर को ५००) रु० देना पसन्द करेगा, लेकिन वह पैनल्टी इम्पोज़ नहीं करे और १००) रु० ही पैनल्टी के लगाये। वह ५००) रु० अपनी जेब में रख लेगा और कहेगा कि मैंने सरकार में आमदनी की है। इस तरह के जो प्रोवीजन्स आपने रखे हैं मैं इसका विरोध करता हूं।

इसके साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो-एक बातों की ओर और विशेष तौर से ध्यान दिलाना चाहता हूं। इन्होंने यह प्रोवीज़न रखा है कि अगर कोई जुडीशियल डिसीज़न हो जाय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, तो टैक्स लायेबिलिटी व्यापारी की आपका डिपार्टमेंट एक साल में उसका नोटिस देकर कभी भी वापिस खोल सकता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज सन् ६४ में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और सुप्रीम कोर्ट यदि यह कहे कि फलां में इतना टैक्स है तो आपका कानून पिछले १५ सालों की जितनी टैक्स लाएबिलिटी है वह सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से खुल जाती है और व्यापारी जाता है एग्जेम्पशन के कारण और हो सकता है कि हाई कोर्ट तक एक्जेम्पशन चला जाता है और हाई कोर्ट का फैसला व्यापारी के पक्ष में हो सकता है

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

और सुप्रीम कोर्ट ने इन्टरप्रिटेशन के कारण कोई दूसरा डीसीजन ले लिया है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर जो इग्नोरेन्स समाप्त होती है उसके जरिये जो सुप्रीम कोर्ट टैक्स ग्रायद करती है तो पिछले सारे सालों का टैक्स उस रेट से वसूल किया जायगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि १० साल में टैक्स लिया, आपके सैल्स टैक्स ऑफिसर ने एसेसमेंट किया है। उसने टैक्स दे दिया। उसकी अपील हुई और बाद में भी फैसला बढ़ता है हाई कोर्ट तक आगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के डिसीज़न के कारण यदि टैक्स की लायेबिलिटि खुलती है तो व्यापारियों पर सरासर अन्याय है, जुर्म है, क्यों कि जो टैक्स उसने दिया है वह सारे खरीददारों से वसूल किया है, वह खरीददार के पास दुबारा नहीं जा सकता है, न उसको दुबारा लेने का कानून में अधिकार है। इसका नतीजा यह होगा कि जितना भी एसेसमेंट रिओपन होगा उसके कारण व्यापारी परेशान हो जायेंगे, और व्यापारियों को मैं कहता हूं कि जो केपिटल है वह आपके टैक्स को चुकाने में वाइप आउट हो जायगी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक तरह तो आप व्यापारियों की १५ सालों की टैक्स लायेबिलिटी रिओपन करते हैं जुडीशियल डिसीज़न के कारण और दूसरी और धारा २३ बी में आपने बता दिया है वह यह कहती है कि यदि कोई रिफण्ड का ऑर्डर होता है तो रिफण्ड व्यापारी को नहीं मिलेगा। व्यापारी से कहा जायगा कि जिसको माल तुमने बेचा है उस खरीददार को लाओ; तो उस खरीददार को रिफण्ड मिलेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब रिफण्ड का क्वेश्चन है तो व्यापारी को जब तक वह खरीददार को न लाये तब तक नहीं मिलेगा और जब उस पर लाएबिलीटी रीओपन करने का प्रश्न है, टैक्स वसूल करने का सवाल है, तो उससे कहा जाय कि तू उस दिन से दे, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि डबल स्टैण्डर्ड सरकार का कायम नहीं रहता है, कोई रेशनल जस्टीफिकेशन नहीं है। उसको टैक्स का एजेन्ट मानते हैं। तो धारा २३ बी में उसको रिफण्ड नहीं मिलेगा क्योंकि उसने अपनी जेब से टैक्स नहीं चुकाया है। टैक्स खरीददार ने चुकाया है और ट्रेडर है वह तो एक एजेन्ट है। उसने सरकार में जमा कराया है और इसी फैसले में हाई कोर्ट से रिफण्ड होता है तो आप कहते हैं कि खरीददार को लाओ। उसी तरह से मैं निवेदन करना चाहता हूं, कि यदि आप टैक्स वसूल करना चाहते हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीज़न से पिछला टैक्स वसूल करना चाहते हो तो वह टैक्स खरीददार से वसूल करो, व्यापारी से वह टैक्स वसूल करने का आपको कोई अधिकार नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इसलिए मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि दोनों क्लाजेज़ को साथ साथ पढ़ें और इस निष्कर्ष पर आयें कि वास्तव में डबल एटेन्डर्ड एप्लाई किया गया है या नहीं ?

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

इसके साथ साथ, उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रावधान रखा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें काश्तकार को ही परेशान किया गया हो यह बात नहीं है। वित्त मन्त्री जी ने घोषणा कर दी कि कोई टैक्स नहीं लगेगा लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके इस टैक्स में एमेंडमेंट लाना पड़ा और राजस्थान में कई वस्तुओं पर टैक्स लगाया है जो आज तक एग्जेम्प्ट थीं उनको भी सूची में शामिल कर लिया है जिनके ऊपर टैक्स लिया जायगा। उसकी सूची मैं देता हूं। पहले राजस्थान के अन्दर मिल्क प्रोडक्ट्स पर टैक्स नहीं था लेकिन अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपने उसमें से दही और घी को एग्जेम्प्ट कर दिया लेकिन छाछ कहां जायगी, क्रीम कहां जायगी, मलाई कहां जायगी ? आपके बिल के अनुसार राजस्थान के काश्तकार को जो कि छाछ पर गुजारा कर रहा है उसकी उस छाछ पर भी आप इस बिल के अनुसार टैक्स लगा सकते हैं। (शेम, शेम) आज आप काश्तकार को छाछ भी नहीं पीने देंगे। वित्त मन्त्रीजी जब से सन् ६२ से वे आये हैं पेट पर पट्टी बांधने की कह रहे हैं और आज ६४ में जब वे छाछ पर टैक्स लगा रहे हैं तो उन गरीब काश्तकारों के पेट पर पट्टी बांधने से उनको संतोष हुआ होगा।

राजस्थान के काश्तकारों की छाछ पर तो आप टैक्स लगा सकते हैं लेकिन सिल्क जो पहिनते है, जो लोग रेशमी कपड़े पहिनते हैं, आज तक जिस पर कर था उनको आपने एग्जेम्प्ट कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जस्टिफिकेशन हो सकता है रेशम को एग्जेम्प्ट करने का ? डिफेक्ट्स हैं आपके नोटिफिकेशन में। भारत सरकार ने एडीशनल एक्साइज़ ड्यूटी इस पर लगा रखी है जिसका हिस्सा राजस्थान को मिलता है। मैं डिटेल में तो नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास समय कम है। लेकिन इसके जो वर्डिंग्ज है उनके अनुसार नाइलोन पर टैक्स लग सकता है। भारत सरकार सिल्क पर टैक्स ले सकती है लेकिन आपने अपने नोटिफिकेशन के जरिये, टेक्सटाइल और रेशमी कपड़े को टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया है, इस पर आप टैक्स नहीं लगाते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वह छाछ और मलाई पर टैक्स लगावे और सिल्क पर नहीं लगावे। गरीब आदमी जो बीड़ी पीते हैं उन पर भी आपने टैक्स लगा दिया है। तम्बाकू और तम्बाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगा दिया है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : इस पर कहां लगाया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : आप मानेंगे नहीं बिना नोटिफिकेशन बताये। तम्बाकू और तम्बाकू प्रोडक्ट्स पहले इससे एग्ज़ेम्पटेड थे लेकिन अब आपने जो धारा २७ बनाई है उसमें तम्बाकू प्रोडक्ट्स को भी एग्ज़ेम्प्ट नहीं रखा है। बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, सुर्खी सब पर टैक्स कायम हो गया। इस तरह से नये कर आइटम्स विधान सभा को सीधी जानकारी दिये बिना नहीं ला सकते लेकिन आपने इन्क्लूड किया है. यह सदन के विशेषाधिकारों का हनन तो है, ही लेकिन यह फेयर प्ले या फेयर गेम भी नहीं है। जो चीज आज तक कर से एग्जेम्प्ट थी उस पर आज कर रायज हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

करना चाहूंगा कि यह सारी स्थिति इस बात का संकेत करती है कि राजस्थान के लोग खतरे में है, राजस्थान के व्यापारी खतरे में हैं, राजस्थान के किसान खतरे में हैं।

वह स्वर्णकार जिनको टी० टी० कृष्णमाचारी के आने से राहत मिली थी, हमारे वित्त मन्त्रीजी नहीं चाहते कि उनको राहत मिले। जितनी सुविधा भारत सरकार ने दी थी, चांदी और सोने के जेवरों पर टैक्स लगाया है उसके बाद राजस्थान के स्वर्णकार को बरबाद कर दिया है। क्योंकि आपने राजस्थान के साधारण आदमियों के मजबूर कर दिया है कि वे दिल्ली में जाकर गहने बनायें, बुलियन पर आपने आधा पर्सेन्ट के बजाय दो पर्सेन्ट टैक्स कर दिया है। यह केवल दो पर्सेन्ट ही नहीं है बल्कि जो चांदी की सिल्ली बेचेगा तो उस पर भी टैक्स लगाया है, उसके बाद जो जेवर बनायेगा उस पर भी आपने टैक्स लगाया है। पहले यह था कि जो जेवर बनायेगा उसको १ पर्सेन्ट रियायत मिलेगी लेकिन पहले १ पर्सेन्ट रियायत मिलने की बात थी अब २ पर्सेन्ट टैक्स लगाने की बात है यानि ३ पर्सेन्ट बढ़ोतरी हो गई। जहां पहले आधा पर्सेन्ट लगता था वहां अब ३ पर्सेन्ट लगेगा इस तरह से आपने पहले से ६ गुणा टैक्स बढ़ाया है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं ५ मिनट में समाप्त कर दूंगा...........

श्री उपाध्यक्ष: ५ मिनट तो आप पहले ही ज्यादा ले चुके हैं। इस तरह से तो सारा संयम बिगड़ जायगा। जल्दी समाप्त करें।

श्री मानिकचन्द सुराणा: मैं बहुत जल्दी समाप्त कर दूंगा।

मैं सर्राफों की वकालत नहीं करता, लेकिन सर्राफ भी मरेंगे इसमे कोई शक नहीं। सर्राफ तो मरेंगे ही लेकिन राजस्थान के स्वर्णकारों को तो बचाइये। आप उनको नहीं बचाते हैं तो नतीजा यह होगा, मैं वित्त मंत्रीजी की जानकारी के लिये कहना चाहता हूं कि टैक्सेज जितने आपने लगाये है, जिस प्रकार सिनेमा की रीलों पर और एडवर्टाईज़मेंट पर पहले आपने टैक्स लगाया था और उसे वापिस लिया उसी तरह का अनुभव चांदी और सोने पर टैक्स लगाने से महसूस होगा। आपका रियलाइजेशन कम होगा और ट्रेड दिल्ली की तरफ डाइवर्ट हो सकता है। सारा ट्रेड दिल्ली चला जायगा। जिस किसी को १०० भर चांदी खरीदनी है तो उसको यहां पर ४॥) रु० ज्यादा देने पड़ेंगे इसलिये वह दिल्ली जाकर खरीदेगा और राजस्थान में आयेगा। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि फाइनेन्स मिनिस्टर साहब इसको कंसीडर करें।

आप स्वर्णकारों को और काश्तकारों को बर्बाद करते हैं लेकिन आप सबको बर्बाद करके आबाद किसको कर रहे हैं? मुझे खुशी है कि शराब के ठेकेदारों को आपने बर्बाद किया, अजमेर में आप शराब का राजकीय व्यापार करेंगे। अनाज का राजकीय व्यापार तो आपसे नहीं होगा, यह मेरा दावा है, शराब का राजकीय व्यापार आपने शुरू

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

किया है अजमेर में यह खुशी है, लेकिन शराब का राजकीय व्यापार करके हमारी सरकार संविधान के निश्चित डाइरेक्टिव को तोड़ कर शराब बंद नहीं करके शराब को बढ़ोत्तरी दे रही है, शराब को बन्द नहीं करके शराब को प्रमोशन दे रही है। समझ में नहीं आता कि सरकार किन नैतिक बातों को फोलो कर रही है। संविधान में शराब-बंदी की दुहाई दी है लेकिन आप शराब को प्रमोशन दे रहे है। आज राजस्थान की आबादी का २।। पर्सेन्ट शराब पीता है लेकिन मंत्रीजी कहते हैं कि १२ पर्सेन्ट लोगों को शराब पीना चाहिये, या तो ९।। पर्सेन्ट नये लोग शराब पीने लगें या पुराने शराब पीने वाले ९।। पर्सेन्ट ज्यादा पीयें। हमारे वित्त मंत्रीजी चाहते हैं कि शराब में लोग मस्त रहें और झूमते रहें और आपके टैक्सेशन मेजर्स की अहमियत का उनको शक नहीं हो। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी असलियत लोगों के सामने आ चुकी है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, राजस्थान की कांग्रेस सरकार के कफन पर कील लगाने का काम हम नहीं करना चाहते थे वह आप कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास (प्रासीन्द) : राजस्थान कर संशोधन विधेयक, १९६४ के संबंध में मैंने यह प्रस्ताव किया है कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाय और उस पर विचार किया जाय, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे अमेन्डमेन्ट्स रखे गये हैं जिनकी वजह से बड़ी परेशानी होगी।

सबसे प्रथम तो मैं राजस्थान एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स एक्ट के संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। राजस्थान एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स एक्ट में जो समयावधि पहले ४ साल या ५ साल की रखी गई थी उसके बजाय अब ६ साल की की गई है। इस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स के सिलसिले में बहुत से ऐसे प्रश्न आ सकते हैं जिनके खिलाफ टैक्स लगाना चाहिये या दूसरी बात होनी चाहिये। वे लोग यदि इस प्रकार के एसेसमेन्ट से बच गए हैं तो यह जो समयावधि इस सैक्शन में निर्धारित की गई है एक साल और बढ़ा कर तो उससे काश्तकारों को कठिनाई नहीं आ सकती। अॉपोजिशन दल के माननीय नेता ने यह सुझाव दिया था कि इससे काश्तकारों पर बड़ा भारी बोझ पड़ेगा और उन्होंने काश्तकारों के लिये बड़ी भारी दुहाई दी था, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि पहले के समय में जब कि उनका राज्य था उस समय किस प्रकार काश्तकारों पर बोझ था और आज लगने वाला कर भार काश्तकारों पर कितना है इन दोनों प्रश्नों का मुकाबला किया जाय तो आज के मुकाबले में पुराने समय में उनको कई गुणा ज्यादा देना पड़ता था। आज सैटलमेन्ट के बाद उनसे जो लगान लिया जाता है वह पहले से बहुत कम है। एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स तो उन काश्तकारों पर नहीं लगता है जिनकी इन्कम कम है लेकिन यह उन पर लगता है जिनकी आमदनी काफी है। इस प्रकार का टैक्सेशन आने पर

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

ज्यादा बोझ उन पर नहीं पड़ेगा। इसलिये यह अमेन्डमेन्ट उनके लिये है जो टैक्स को इवेड करने का प्रयत्न करते हैं या जिनके प्रयत्न से इस प्रकार की सुविधा हो सकती हो कि वे टैक्स इवेड कर सकें, उन पर इसका बोझ पड़ेगा। इसलिये जो समय बढ़ाया गया है वह वाकई ठीक ढ़ंग से बढ़ाया गया है क्योंकि जो लोग पहले टैक्स इवेड करने में समर्थ हो सके थे उन पर दुबारा गौर करके उनके केसेज रीओपन किये जा सकेंगे।

श्री दलपतसिंह (आबू) : अफसर १० साल तक सो रहे थे क्या सन् ६३ से ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : यह तो आप जानें कि अफसर सो रहे थे या जाग रहे थे। जिन्होंने टैक्स इवेड किया है वे बड़े बड़े जागीरदार हैं जिन्होंने वाकई उस समय टैक्स इवेड किया है और पैसे जमा नहीं कराये हैं, उनके केसेज रीओपन होंगे।

(१२.०० मध्यान्ह)

तो उसमें किसी प्रकार काश्तकारों पर भार नहीं पड़ेगा।

दूसरा जो एन्टरटेनमेंट टैक्स के सम्बन्ध में अमेंडमेंट लाया गया है। अभी सिनेमा घर के जो मालिक हैं, जिनके द्वारा अतिथियों और दूसरे बड़े बड़े लोगों को फ्री सिनेमा दिखाया जाता है और उस पर टैक्स वसूल नहीं किया जाता है, उसके सम्बन्ध में प्रावधान रखा गया है, वह वाजिब है। बहुत से सिनेमा घरों में व्यवस्था है कि बहुत से लोगों को फ्री सिनेमा देखने को मिल जाता है, जिस पर टैक्स नहीं वसूल किया जाता है–यह गैर वाजिब है क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनको टैक्स देने पर सिनेमा देखने को मिलता है और सिनेमा घर के मालिक हैं उनके अतिथि और बड़े बड़े आदमी टैक्स नहीं दे कर फ्री सिनेमा इस प्रकार से देखें। वाकई इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो संशोधन लाया गया है वह उचित है।

इसी प्रकार मोटर विहीकल्स टैक्स के सम्बन्ध में अमेंडमेंट लाया गया है। जो आदमी दस गाड़ियां पहले ज्यादा रखता था, उनको दस गाड़ियों तक छूट दी जाती है। यह गलत प्रावधान था........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): अब दस गाड़ियों के ऊपर छूट दी गई है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : दस गाड़ियों की छूट दी गई थी वह अब बन्द कर दी गई है यह उचित है और यह अमेंडमेंट लाया गया है वह ठीक है।

अब मैं सेल्स टैक्स के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। सोने और चांदी के ऊपर जो सैल्स टैक्स की दर बढ़ाई गई है, उसके लिए कहा गया है कि सोने और चांदी पर जो सैल्स टैक्स की दर बढ़ाई गई है उससे काश्तकारों के ऊपर आज वज्रपात हुआ है और यहां के सोने और चांदी के व्यापार पर असर पड़ेगा। यह बताया गया है कि बाहर की रियासतें हैं, जो प्रोविन्सेज हैं वहां आधा पर्सेन्ट टैक्स है और हमारे यहां पर दो पर्सेन्ट टैक्स है तो लोग बाहर से जेवर गढ़ा कर लायेंगे। इसलिए हमारे यहां पर उससे टैक्स का इवेजन होगा, टैक्स का नुकसान होगा। जो

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

टैक्स लगाया गया है, जो सोने और चांदी पर टैक्स लगाया गया है-उसमें मैं समझता हूं कि किसी प्रकार के टैक्स का इवेजन का प्रश्न नहीं है। सोने और चांदी के सम्बन्ध में अपोजीशन के माननीय नेता ने यहां तक कहा कि काश्तकार रुपये पैसे घरों में नहीं रख सकते, इसलिए रुपये के बजाय वे सोने और चांदी रखते हैं। यह प्रबन्ध है कि काश्तकार अपना रुपया पैसा बैंकों में जमा कर दें। इसलिए यह कहना कि इस बिना पर सोने और चांदी पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, यह बात उचित नहीं लगती।

पर्चेज टैक्स का जहां तक सम्बन्ध है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां के व्यापारी जो बाहर अपना सामान ले जाना चाहते हैं और सैल्स टैक्स को इवेड करना चाहते हैं, उन लोगों को गिरफ्त में लाने के लिए और उनसे टैक्स वसूल करने के लिए पर्चेज टैक्स लगाया गया है। मेरा यह सुझाव है कि पर्चेज टैक्स उन्हीं लोगों पर लगना चाहिए जो व्यापार करते हैं, यह काश्तकारों पर नहीं लगना चाहिए जो अपनी पैदावार दूसरे स्थानों पर भेजना चाहते हैं। ऐसी बहुत सी नजीरें मिलेंगी कि राजस्थान के इर्द गिर्द की मंडियों में जाकर राजस्थान के काश्तकार सामान बेचते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि पर्चेज टैक्स उन काश्तकारों पर नहीं लगना चाहिए जो अपनी पैदावार बाहर की मंडियों में ले जाकर बेचें और उससे पैसा प्राप्त करें। लेकिन यह पर्चेज टैक्स उन लोगों से लिया जाना चाहिए, जो कि व्यापार करते हैं और यहां सैल्स टैक्स को इवेड करने के लिए बाहर ले जाकर माल बेचते हैं। इस प्रकार का प्रावधान होने से यहां के काश्तकारों पर भी पर्चेज टैक्स लागू हो जायगा। इसलिए मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं कि इस प्रकार का टैक्स काश्तकारों के ऊपर न लगा कर व्यापारियों के ऊपर लगाना चाहिये जो यहां सैल्स टैक्स को इवेड करके दूसरी जगह सामान बेचते हैं। इसके सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि काश्तकार अपना सामान दूसरी मंडियों में ले जाकर बेचना चाहें तो वह तहसीलदार, पंचायत समिति, विकास अधिकारी या दूसरे अधिकारियों से इस प्रकार का सर्टीफिकेट प्राप्त कर लें कि यह काश्तकार हमारे यहां का है और अपना सामान उस स्थान पर ले जाकर बेचना चाहता है, इसलिए इन काश्तकारों से पर्चेज टैक्स वसूल नहीं किया जाना चाहिए।

दूसरा मेरा अर्ज करना यह है कि टायर, ट्रेक्टर और डीज़ल पर सैल्स टैक्स लगाया गया है, इसके सम्बन्ध में कहा कि इसमें भारी बोझ काश्तकारों पर पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ६६ पर्सेन्ट काश्तकार इस प्रकार के हैं जिनका टायर, ट्रेक्टर और डीज़ल से कोई ताल्लुक नहीं पड़ता। इसलिए इस प्रकार का टैक्स लगने से उन पर कोई खास असर नहीं होता।

दूसरा इस प्रकार का प्रावधान रखा गया है कि जो असेसमेंट किया जाता है उसमें गोपनीयता नहीं रखी जायगी। जो भी आदमी इसके सम्बन्ध में दरख्वास्त देगा, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को और किसी चीज की सर्टीफाइड कापी लेना चाहेगा, वह दी जायगी, यह प्रावधान रखा गया है। यह इम्पो-

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

टेन्ट प्रावधान है। बहुत से लोग झूंठा हिसाब रखते हैं, डुप्लीकेट हिसाब पेश कर देते हैं उससे वास्तव में गवर्नमेंट की आय में असर होता है। वे जो टैक्स इवेड करते हैं. इस बात से बचने के लिए आम पब्लिक को अवसर दिया गया है कि जो आदमी फाल्स हिसाब पेश करे उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति कार्यवाही करा सकता है। इसलिए इसमें कोई गोपनीयता का प्रश्न पैदा नहीं होता।

एक बात कही गई है कि हमारे यहां पर बहुत से इन्सपेक्टर्स हैं एक्साइज़ और टैक्सेशन के, उनको इस प्रकार का अधिकार दे दिया है कि कहीं पर जाकर किसी आदमी का हिसाब देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं और तलाशी ले सकते हैं-यह बहुत बड़ी इस प्रकार की बात होगी कि जिससे करप्शन फैलेगा और वह अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेंगे। जहां तक टैक्स के इवेजन को रोकना है और टैक्स को पूरी तरह वसूल करना है तो इसमें इस प्रकार का अधिकार अधिकारियों को देना पड़ेगा। जबकि पुलिस के सब-इन्सपेक्टर को यह अधिकार है कि वह किसी जगह भी सर्च ले सकता है, लोगों को गिरफ्तार कर सकता है और चालान कर सकता है तो मैं समझता हूं कि एक्साइज एण्ड टैक्सेशन के इन्सपेक्टर्स को यह अधिकार दिया जाय-इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह भी कहा गया कि छोटे-छोटे ऑफिसर्स को अधिकार देने से वे हमारे व्यापारियों को हेरेस करेंगे और व्यापारियों के सामने तरह-तरह की परेशानियां उत्पन्न होंगी। जहां तक आम जनता का प्रश्न है, पुलिस सब-इन्सपेक्टर को यह अधिकार होता है कि वह किसी को गिरफ्तार कर सकता है, पकड़ सकता है तो इस सम्बन्ध में यह दुहाई देना कि वह व्यापारियों को पकड़ लेंगे, उनको हेरेस करेंगे, मैं समझता हूं यह न्यायसंगत नहीं है। जब इस प्रकार के अधिकार दूसरे डिपार्टमेंट के और पुलिस डिपार्टमेंट के सब-इन्सपेक्टर को हैं तो जो इन्सपेक्टर उनके मुकाबले का आदमी है और अधिकारी है, एक्साइज़ एण्ड टैक्सेशन के अधिकारी हैं उनको इस प्रकार का अधिकार क्यों न दें?

पैनल्टी के सम्बन्ध में एक निवेदन है कि बहुत से व्यापारी भाई हैं जो टैक्स को इवेड करने के लिए और टैक्स से अपने को बचाने के लिए कैश-मीमो नहीं काटते हैं और सही हिसाब नहीं रखते हैं। इसलिए जो हर क्लास में पैनल्टी का प्रोवीज़न रखा गया है-यह उचित है। अभी अभी श्री माणिकचन्द सुराणा ने एक हिसाब के आंकड़े प्रस्तुत किये थे कि १२० रुपये के टैक्स का इवेजन करते हैं तो ३२०० रुपये पैनल्टी लगेंगे। मैं कहता हूं कि जो टैक्स इवेड करता है उस पर ३२०० रुपये पैनल्टी के लेंगे तो भी अनुचित नहीं होगा। मैं समझता हूं कि जितनी ज्यादा हेवी पैनल्टी होगी, जितना ज्यादा सख्त होकर काम करेंगे उतना ही टैक्स का इवेजन कम कर सकेंगे।

इसी प्रकार से जुडिशियल प्रोनाउन्समेन्ट से अफेक्टेड होंगे, उनका केस ओपन होगा-उसके सम्बन्ध में अमेन्डमेन्ट लाया गया है-वह उचित है, क्योंकि जिन टैक्सेज के बारे में किसी जगह अपील हो, रेफरेन्स हो, किसी

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

प्रकार की बात हो और उसके सम्बन्ध में जुडिशियल प्रोनाउन्समेंट हो जाता है, एक बात तय होती है तो जितने केसेज ओपन होंगे उनमें जो टैक्स चाहेंगे वह लेंगे । जो टैक्स वसूल होगा वह वसूल करना बिल्कुल न्याय-संगत है । इस तरीके से जो टैक्स लिया गया है वह व्यापारी को दे दिया जाय, और जो लेंगे वह उनसे लिया जायगा जिसने सामान खरीदा है । यह ठीक रहता है क्योंकि जो टैक्स रिफन्ड किये जाने का ऑर्डर है उसमें जिन्होंने वसूल किया है उनको देने का कोई प्रोवीज़न नहीं होता है । जैसे मैं कोई सामान खरीदता हूं और टैक्स व्यापारी वसूल करता है और उसको रिफन्ड करने के ऑर्डर हो जाते हैं तो वह व्यापारी को किस प्रकार से मिलेगा ? वह तो खरीददार को ही मिलना चाहिये । इसलिए इसमें किसी प्रकार से यह न्यायोचित नहीं होगा कि वह पैसा व्यापारी को मिले ।

इसके अतिरिक्त एक मेरा यह निवेदन है कि जो किसान ५ हजार तक का गल्ला बेचने हैं उनको पहले लाइसैन्स नहीं लेना पड़ता था । अब ऐसा मालूम पड़ता है कि उनको भी डीलर्स की डेफिनिशन में रखा जावेगा और वे भी डीलर्स की डेफिनिशन में आ जावेंगे । मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है कि उनको भी इसके लिए लाइसेन्स लेना पड़े, क्योंकि वे स्वयं अनाज पैदा करते हैं और पांच हजार से ऊपर भी बेचते हैं उनको लाइसेन्स को जरूरत नहीं रहती है क्योंकि वे काश्तकारों की डेफिनिशन में आते हैं और चूंकि वे काश्तकारों की तारीफ में आते हैं उनको डीलर्स की तारीफ में नहीं लिया जा सकता । इसलिए इसको हटाना चाहिए जिससे काश्तकारों पर इसका किसी प्रकार का असर न पड़े इसके अलावा अभी और भी कई बातें कही गई । दूध पर टैक्स नहीं पर मलाई और छाछ पर आप टैक्स लेंगे । आपने दही को छोड़ा है । छाछ तो मैं समझता हूं कि बहुत कम स्थान पर बिकती होगी । यह तो सिर्फ कहने की बात है कि छाछ पर भी टैक्स लगेगा ।

तम्बाकू की जितनी भी प्रोडक्शन है उन पर टैक्स लगेगा जैसे बीड़ी और सिगरेट पर लगेगा तो मैं कहूंगा कि इसमें कोई अनुचित नहीं किया गया है । इससे शरीर को नुकसान होता है और इसलिए इसके पीने वालों को टैक्स भी ज्यादा रखें तो मैं समझता हूं कि इससे किसी प्रकार की हानि नहीं रहती । इसलिये मेरा सुझाव है कि इस एक्ट के संबंध में जो काश्तकार दूसरी मंडियों में स्वयं जा कर नाज बेचते हैं उससे इस प्रकार का टैक्स वसूल नहीं होना चाहिये ।

दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि ५ हजार से ज्यादा की पैदावार खुद करते हैं उनको लाइसैन्स लेने की आवश्यकता नहीं रहती है, इस बात की ओर मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हुआ निवेदन करूंगा कि इन बातों पर ध्यान दिया जाय ।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री उपाध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय, कौल साहब का यह टैक्सेशन लॉ सदन के सामने उपस्थित है और जैसी राजस्थान की जो स्थिति आपने दारू नीति से पैदा करने के बाद यह टैक्सों की ला रखी है इसमें गम गारत करने की काफी गुंजायश पैदा कर दी है। सारे राजस्थान में एक दफा मदिरा का दरिया बहा कर बराबर दारू संबन्धी नीति के आदेश के बाद दूसरी तबदीली करके दारू के विकास को १२ प्रतिशत बढ़ा कर राजस्थान के अधिक लोगों पर बोतलें लगा कर उनके दिमाग में चक्कर पैदा करके यह किसानों के लिये अनाज बेचने पर टैक्स, तेल पर टैक्स, अनाज पर ठैक्स, अनाज के मुख्या आइटम्स-बाजरा, मक्का और सरसों पर टैक्स ऐसी स्थिति वे उत्पन्न कर देते हैं जिससे आदमी गमगीन हो तो उस समय वह आदमी मदिरा को लहर में जो दुःख और गम उसको टैक्सों के द्वारा पैदा हो गया है भूल जावें। वह पैक पी कर अपने गमों को भूला दे। इसके लिए आपने एक दफा गारन्टी सिस्टम के द्वारा कॉन्ट्रेक्ट सिस्टम को समाप्त किया और इस बात का दावा किया कि शराब की निकासी बढ़ेगी ही, उसके साथ-साथ आपने यह भी बताया था कि इल्लिसिट लिकर निकालना भी खत्म हो जायगा। गारन्टी सिस्टम से मदिरा का विकास-बढ़ा। इतना ही नहीं वह बाहर दूसरे प्रान्तों में व दूसरे पड़ौसी देशों में स्विच ओवर किया गया और आपने उनको छूट दे दी कि मनमाने टैक्स लगा कर बेचें। एक दूसरा आपने यह कर दिया कि शराब के लिए राजकीय व्यापार घोषित कर दिया। अनाज को राजकीय व्यापार सरकार घोषित करे या न करे, अनाज में प्रोफिट के मार्जिन को तय करे या न करे, अनाज के गोदामों को कब्जे में लेने के सम्बन्ध में सरकार कोई मजबूत कदम उठाये या न उठाये, अनाज की बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के लिए सरकार बैंकों को क्रेडिट देने के संबन्ध में चेक लगाये या न लगाये, मोनोपोली पर कोई ब्रेक लगाये या न लगाये, लेकिन राज्य सरकार का यह धन्धा माननीय वित्त मंत्री ने अवश्य शुरू कर दिया। लोगों को खाने को मिले या न मिले, उसकी उनको चिन्ता नहीं, क्योंकि आपने बाजरा पर और मक्का पर टैक्स लगाये हैं, अगर इन सारी चिन्ताओं से कोई गमगीन हो तो दो पेग पी ले और भूल जाओ सब उसके दुःखों को।

उपाध्यक्ष महोदय, फिर शराब में किस तरह पर मिलावट शुरू की गई, और इससे ठेकेदार की चांदी होने लगी है। पानी मिला कर और केमिकल्स मिला कर और एसिड हाईड्रो-क्लोराइड्स मिला कर शराब लोगों को बेची जाती है। ऐसी स्थिति पर राज्य में उत्पन्न हुई एक स्थिति और दूसरी ओर एडवरटाइजमेंट टैक्स जिसके सम्बन्ध में ब्लेज एण्ड को की एजेम्पल में सदन के सामने रखूगा। ब्लेज एन्ड को की दारू जो एडवरटाइजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन से चलती है, कांग्रेस अधिवेशन के समय कांग्रेस को १५ हजार का चन्दा देकर कांग्रेस को ओब्लाइज किया....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : Point of Order, Sir, इस सम्बन्ध में

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

सरकार की तरफ से बार बार इन्कार किया जा चुका है, फिर भी ग्राप इसको प्रेस करते हैं। अगर इसके लिए ग्रापके पास कोई सुबत हो तो सदन की मेज पर रखा जावे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एडवरटाइजमेन्ट टैक्स कम्पनीयां देती, कम्पनियां कोई गरीब या लुच्चे लोग नहीं थे धनी लोग थे। अगर उन पर एडवरटाइजमेंट टैक्स लग जाता तो उससे उनको कोई हर्ज नहीं होता। एडवर--टाइजमेंट निकालने वाली कोई फर्म या कम्पनी टटपूंजिये नहीं होते। मगर उन्होंने कॉसपी--रेसी की ग्रौर उन्होंने सारे सिनेमा हाउसेज को एडवरटाइजमेंट देने बन्द कर दिये, इसी-लिए कि सरकार उनके ग्रिप में ग्रा जाए। सिवाय इसके कोई ग्राशय नहीं था कि सरकार उनके चक्कर में ग्रा जाए ग्रौर टैक्स का वापिस ले ले ग्रौर एन्टर्टेनमेंट टैक्स में परि-वर्तन किया। मेरे समझ में नहीं ग्राया कि एन्टरटेनमेंट टैक्स क्यों नहीं ग्राप लागू करते ? ग्रापको चाहिए कि जिस प्रोपोर्शन में यह टैक्स थर्ड क्लास में लगता है उसी के ग्रनुसार बॉक्स में बैठने वालों पर लगाते। ग्राज मजदूर को ४ ग्राना एन्टरटेनमेंट देना पड़ता है। ग्राप एन्टरटेनमेंट टैक्स बढ़ाइये। मैं मानता हूं कि बहुत से प्रान्तों में एन्टर्टेनमेंट टैक्स सेन्ट-पर्सेन्ट है या ८० पर्सेन्ट है। यहां पर भी एन्टर्टे-नमेंट में क्लॉसेज के ग्रनुसार ग्रेडेशन होना चाहिये। ग्राप मजदूरों को मदिरा पान करा-येंगे जिनको खाने को नहीं मिलता है। ग्राप उनकी ग्रादत डालते हैं कि वे मदिरा पान करें। ग्राप यह चाहते हैं कि ग्रापका मजदूर जो दिन भर श्रम से हारा हुग्रा है सिनेमा हॉल में जाता है ग्रौर जिन्दगी की थकान को दूर करना चाहता है तो उससे ग्राप टैक्स लेते हैं तो मैं यह कहूंगा कि हाई क्लास पर जितना एन्टर्टेनमेंट टैक्स लगे उसी प्रोपोर्शन में उसके उपर भी टैक्स लगे। ग्राप उसके डबल, ट्रीबल करें ऊपर की क्लॉसेज के लिये, तो भी मैं समझता हूं कि सदन के किसी भी माननीय सदस्य को एतराज नहीं होगा, लेकिन ग्राप लोग्रर क्लास वालों परही एन्टर्टेनमेंट टैक्स लगा रहे हैं। मै यह कहूंगा कि जब तक ग्राप इस नीति में परिवर्तन नहीं करेंगे समाजवाद नहीं ग्रा सकता। ग्रापको चाहिये कि उन लोवर क्लास वालों को कुछ राहत दें। मगर ग्राप उनको मदिरा की लहर में मद मस्त करना चाहते हैं, मदिरा की लहर में मदहोश देखना चाहते हैं।

ग्रनाज पर टैक्स है. सैल्स टैक्स है। इससे ग्रापने ३ करोड़ रुपये वसूल किये ग्रौर इस टैक्स से १०।। करोड़ ग्रनाज की कीमतों मैं बढ़ता है। जो ग्रनाज १६) रु० मन था वह ३१) रु० मन हो गया, जो मक्का २०) रु० मन बिकती थी वह भी मंहगी हो गयी, ग्रौर जो बाजरा १०) रु० मन बिकता था वह भी २०) रु० मन हो गया। ग्रापने फिर यह टैक्स लगाया है इससे सारी की सारी ग्रॉयल मिलें बरबाद हो गई। ग्राज भरतपुर, ग्रलवर ग्रौर गंगानगर की ग्रॉयल मिलों के मस्टर्ड सीड नहीं ग्रौर ग्रापने उस पर २ पर्सेन्ट टैक्स लागू किया है। इस स्थिति में एक बात ग्रौर हो गई कि शीत लहर ग्रा गई।

Page No. 102

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

आपका ज्ञान है कि एक शीत लहर आई। भगवान को दोष दिया आपने। लेकिन शीत लहर से सरसों की, चने की जो फसल थी वह बिल्कुल तबाह हो गई। फ्रॉस्ट रेज़िस्टेन्स इनमें बहुत कम है। अगर लीस्ट फ्रॉस्ट रेज़िस्टेन्स कोई थी तो वह मस्टर्ड सीड थी। सरसों और चने की फसल बिल्कुल नष्ट हो गई। गेहूं की फसल को इतना नुकसान नहीं पहुंचा। तो इस समय कभी शीत लहर की दुहाई देकर बहुत सी चीजों को छिपाने की कोशिश की। कभी अकाल का कह कर बहुत सी चीजों पर पर्दा डालना चाहा। सरसों आज भरतपुर में नहीं, अलवर में नहीं, गंगानगर में नहीं। भरतपुर, अलवर में करीब १०० ऑइल मिल्स चलती हैं। गंगानगर में १५० ऑइल मिल्स चलती हैं। पड़ौसी राज्यों से सरसों लाते हैं तो २ पर्सेन्ट तो आपको टैक्स दें, २ पर्सेन्ट पड़ौसी राज्यों को टैक्स दें तो फिर ऐसा कीजिये कि लगवा दीजिये ऑइल मिल्स के ताले और ऑइल मिल्स का धंधा राजस्थान में खत्म कर दीजिये और फिर लगा दीजिये मस्टर्ड सीड पर टैक्स। यह क्या तमाशा है? पिछले साल वापिस ले लिया और आज कह दिया कि भगवान हमसे नाराज हो गया। आप भी हमसे नाराज हो गये।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप भगवान को कब से मानने लग गये?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : भगवान को जो मानने वाले हैं, मैं तो उनका खाका खींच रहा हूं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप तो मानते ही नहीं भगवान को।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं तो आपको भगवान मानता हूं....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : (दोनों हाथों को अभय मुद्रा मे ऊपर उठा कर) आशीर्वाद! आशीर्वाद!

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो हुक्मरान उधर बैठे हुए हैं उन्हीं को जनता भगवान मानती है। आपका कोई और भगवान होगा और वह आपसे रूठ गया होगा, पर जनता के तो आप ही भगवान हैं और आप उससे रूठ गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके सामने ये टैक्सेशन पेश किये फिर एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स एक्ट की दफा ५४ में सरकार ने कुछ तरमीम की है बाई स्लेब सिस्टम ३०,००० रु. की इन्कम से एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स सरकार ने लागू किया था। आज सरकार को टैक्स इवेजन के बाद भान होने लगा कि इसे कुरेदा जा सकता है। तो जिन्होंने टैक्स इवेजन किया आज सरकार उनके लिये ६ साल तक का अधिकार लेती है कि टैक्स इवेजन जिन लोगों ने किया उनको ६ साल तक टटोला जा सकता है। इसमें मुझे कोई एतराज नहीं कि उन्हें टटोला जाय, कुरेदा जाय। पर बड़ी मज़ाक है कि एक तरफ तो सरकार सीलिंग की पॉलिसी को इससे ठुकराती है, एक तरफ ३० एकड़ सीलिंग में रखने की बात करती है और दूसरी तरफ ३ हजार की आमदनियों में, खेती की आमदनियों में टैक्स इवेजन हुआ

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

है उसको कुरेदने की कोशिश करती है तो इससे हमें सरकार की नीति पर शक होता है। पहले ५००, फिर ३००, फिर १५०, इसके बाद ५० और अन्त में ३० एकड़ पर सीलिंग लागू किया गया और दूसरी तरफ एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स के रिवाइवल का रखा कि ३ हजार की आमदनी पर टैक्स लगाने के लिए सरकार फिक्रमन्द हो रही है। सरकार ने सीलिंग की बात की, बसेज के नेशनेलाइजेशन की बात की। हाईकोर्ट में मामला गया स्टे ऑर्डर हुआ। सीलिंग के लिए कमेटी अपोइन्ट की गई। १९५४ मे रिपोर्ट पेश हुई। फिर कानून पास हुआ, रूल्स डिस्कस हुए। फिर सरकार की तरफ से घोषणा हुई कि सीलिंग स्टेजेज के ऊपर लगायी जायगी। आज स्टे ऑर्डर हो गया। मैं निश्चित रूप से कहता हूं, मैंने देखा है उन गंगानगर की बड़ी बड़ी जागीरदारियों के मालिकों को मन्त्रियों की कोठियों के चक्कर काटते हुए, पत्र प्रतिनिधियों से बातें करते हुए, चांदी के सिक्कों को खनखनाते हुए, और उन्होंने लोगों के सामने दावा किया है कि सीलिंग के कानून में वे रियायत लेकर ही रहेंगे। उधर गंगानगर की कांग्रेस पार्टी ने मुख्य मंत्री को साफ कहा, वहां के कांग्रेस वर्कर्स ने कहा कि यदि सीलिंग के कानून में रियायत की गई तो कांग्रेस के पट्टों को जला देंगे। पर एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स की धारा ५४ में जो परिवर्तन की घोषणा की जा रही है उसमें ऐसा लगता है कि सरकार सीलिंग के कानून में रियायत देना चाहती है। १९६० से पहले के जितने सैल्स हैं राजस्थान केनाल एरिया में और भाखरा एरिया में, उनको लीगेलाइज़ कर दिया....

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री) : माननीय सदस्य तशरीह करें कि कैसे एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स से फायदा होने जा रहा है और सीलिंग से क्या सम्बन्ध है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अभी मैं आंकड़े पेश कर दूंगा।

श्री बालकृष्ण कौल : ५८ के बाद एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स लग नहीं रहा है। ५९ से अबोलिश्ड है। तो हम कुछ बढ़ा तो नहीं रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : बढ़ा नही रहे हैं, पर एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स में इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। मैं कहता हूं कि एप्रेहेन्सन है आज इस बात का। आपको आज सूझी है एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स को छेड़ने की। एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स को १९५९ में सस्पेन्ड कर दिया है पर आप १९६४ में जागते हैं और एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स में अमेंडमेंट लाते हैं। एक के बाद दूसरी घटनाएं होती जा रही हैं जो एप्रेहेन्सन को पक्का करती चली जा रही हैं। सीलिंग में सेल्स डीड १९६० तक के थे; उनको इन्क्लूड कर दिया, पर्चेजेज़ को रेगुलराइज़ कर दिया अब एग्रीकल्चर इन्कम टैक्स को छेड़ा गया। इससे एप्रीहेन्शन होता है। अगर आपकी मंशा ठीक है तो ३० एकड़ तक के सीलिंग को बड़ी मजबूती से

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

पकड़िये, ३० एकड़ तक बड़ी मजबूती से सीलिंग करिये। पर केपिटा धरती को देखें? राजस्थान के आंकड़ों से देखें, पर केपिटा धरती के सारे हिन्दुस्तान के आंकड़ों को देखें तो ज्यादा लोगों को धरती देने के लिये सीलिंग के आधार पर और भी गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा।

श्री बालकृष्ण कौल : श्रीमान् इसमें कुछ लेकुना हैं उनको दुरुस्त करने के लिये ऐसा किया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, चांदी सोने पर, बुलियन टैक्स लगाया है, उसके सम्बन्ध में मैं अब कुछ बातें कहना चाहता हूं। मुझे इसमें एतराज नहीं कि बुलियन पर टैक्स लगाया जाय। बुलियन पर जो टैक्स लगाया है उसको मैं समाजवादी टैक्स कह सकता हूं, पर आपने जेवरों पर भी टैक्स लगाया है, दोनों का टैक्स मिलाकर ४-५ पर्सेन्ट हो जाता है। यह किसी तरह उचित नहीं कहा जा सकता। स्वर्णकारों की करुण कहानी मैं नहीं दोहराना चाहता। स्वर्णकार जिन अपने कोमल चतुर हाथों से मंगलसूत्र बनाया करते थे, सरकार ने उनको भैंसों के लिये लोन दिया है, कि वे डेरी फार्म खोलें, वे कोमल हाथ जिनसे वे बारीक कारीगरी का काम करते थे, चूड़ियां बनाते थे, उन हाथों में आपने हल पकड़ा दिया। मुझे कुछ स्वर्णकार मिले, उन्होंने कहा कि उनकी कोआॅपरेटिव सोसायटी को तीन थनों की एक भैंस लोन में मिली है, तो अब २०० स्वर्णकार जो बारीक जेवर बनाते रहे अब तक, वे अब तीन थनों वाली भैंस के तीन थनों में से दूध निकालेंगे। आपने यह दुर्गति, यह हालत इन स्वर्णकारों की कर दी। मैं कौल साहब से भी प्रार्थना करूंगा कि आप भी स्वर्णकारों को इस ३ थनों की भैंस को दुहने में मदद करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : आपने देखा है क्या उस भैंस को?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैंने खुद देखा है, आप चाहेंगे तो मैं उसका फोटोग्राफ भिजवा दूंगा। आप एन्लार्ज करवा कर अपने कमरे में टांग लें। आप आज बुलियन पर टैक्स लगाते हैं, क्या आपने उनकी सहायता की है? क्या आपने उनको रोजगार दिया है? क्या आपने उनको सर्विसेज के अंदर फेसिलिटीज दी हैं?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

राजस्थान के सारे स्वर्णकारों को, भारत वर्ष के सारे स्वर्णकारों को आपने दुर्भाग्य--पूर्ण बना दिया है और आज इस जेवरात पर टैक्स लगाकर आप उनको बिल्कुल चौपट करना चाहते हैं, आप उनकी जिंदगी को खत्म करना चाहते हैं। एक आंकड़ा मैं आपके सामने पेश करूं। ८ मार्च, १९६३ तक जहां नंदकिशोर शर्राफ के पास ६० हजार की बिक्री होती थी आज वहां पर ५-६ सौ की होती है। लोग क्या करें? कौल साहब के ठेके ले लें या उन लोगों ने लाल और पीली थोड़े ही पी रखी है या वे आपकी अधर कार्पीकर जी रहे हैं। वे दिल्ली जाएंगे,

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

बम्बई जाएंगे, वहां से बुलियन खरीदेंगे और राजस्थान के स्वर्णकार बिल्कुल चौपट हो जाएंगे। उनका कोई धंधा राजस्थान में नहीं रह जायगा।

श्री बालकृष्ण कौल : जेवरात तो नहीं बन जाएंगे ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्यों बन जाएंगे ? जो बुलियन दिल्ली के अंदर खरीदेगा, जो बम्बई के अंदर खरीदेगा, कलकत्ता में खरीदेगा, वहीं आॅर्नामेंट्स बन जाएंगे, उनके बनाने पर आपका एक्स्ट्रा टैक्स है, वह आपको और टैक्स राजस्थान में क्यों देगा ? वह बने बनाए आॅर्नामेंट्स राजस्थान के अंदर लाएगा। उनका इतना दिमाग खराब नहीं कि बुलियन पर टैक्स दे और आॅर्नामेंट्स पर भी टैक्स दे। उनके साथ साथ जो राजस्थान की बहुत सारी कॉमोडिटीज हैं जिन पर आपने सेल्स टैक्स और लगाया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

१९६३–६४ के बजट में ही बहुत बड़ा बेर्डन टैक्सेज का सारे भारतवर्ष में लागू हुआ। वह एक्साइज ड्यूटी जो सन् १९५१-५२ के अंदर ५९ करोड़ थी वह आज १९६२-६३ और १९६३-६४ में ६९० करोड़ हो चुकी है। तेल पर, रफ कपड़े पर और सारी जिंदगी में काम आने वाली कॉमोडिटीज पर आपने टैक्स लगाया है। १० पर्सेन्ट टैक्सेज का इम्पैक्ट तो भारत सरकार का हो चुका है और फिर राजस्थान सरकार ने केरोसीन आॅइल, रफ क्लॉथ पर, इन सब पर टैक्सेशन लगा दिया है।

श्री बालकृष्ण कौल : राजस्थान में किस जगह है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : जो केरोसीन आॅइल का बोतल पर ८ नए पैसे का टैक्स है....

श्री बालकृष्ण कौल : आप तो कपड़े की बात कर रहे थे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : एक्साइज की।

श्री बालकृष्ण कौल : मालूम होता है कि जो हमारी पॉलिसी है एक्साइज की, उसका असर बहुत जोर से आप पर हो गया जो आप इतने नामों से भी वाकिफ थे लाल पीली....

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल (बयाना) : आप भी झूम रहे हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मुझ पर असर तो रात को होता है। लेकिन आप तो दिन के अंदर झूमते नजर आते हैं।

तो मैं कह रहा था कि एक्साइज का इम्पैक्ट आलरेडी काफी है और अब झूम कर कौल साहब ने अब राजस्थान के अंदर और कॉमोडिटीज को इस टैक्स के अंदर इन्क्लूड कर लिया है। साड़ी को इसमें से निकाल दिया जाय और रफ कपड़े को इन्क्लूड कर दिया जाय, यह नीति आपकी है। आप बड़ा फ़क्र करते हैं। मैं आपको एक शेर

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

अर्ज करना चाहता हूं और जरा उस शेर पर गौर फरमाएं । जब मैं कौल साहब से मिला, और लोग कौल साहब से मिले, आपने कहा मैं कतई नहीं पीता तो मैंने आपके लिए शेर तैयार करके जोड़ा है:-

"वह जो पीते नहीं थे शराब, एक दिन धो के पी गये फर्श मैखाने का ।" आखिर के अंदर और शेर बता दूं:--

"वादों में कट गई कुछ, वादों में कट जाएगी,

आंख भर आएगी, मेरी वफा याद आएगी ।"

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : टैक्स बिल पर जो बहस चल रही है, उस पर मैं सरकार के सामने कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जैसा कि पहले वित्त मंत्री महोदय ने वायदा किया था कि इस बिक्री कर को हम इस तरह से लेने की सुविधा प्रोवाइड करेंगे जिससे हैरेसमेंट कम हो। लेकिन आज जो सुधार इसके अन्दर किए जा रहे हैं, उनको और कॉम्प्लीकेटेड बनाया जा रहा है जिससे कि हैरेसमेंट की मात्रा में और बढ़ोतरी हो। सवाल यह है कि हम टैक्स पूरा वसूल नहीं कर पाते। व्यवहारिक बात पर जाने के बजाय जो भी सजेशन्स आए उन सजेशन्स को एक्सेप्ट करते चले जाएं तो मैं अदब के साथ अर्ज करूं कि उससे उलझने वाली स्थिति पैदा होती है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि अगर निश्चित रूप से पूरा टैक्स आ सकता है। मैं मानता हूं कि आपने बढ़ोतरी दिखाई, आपने जो टैक्स लगाए हैं उस बात को मैं नहीं कहता। यह बात मैंने पहले बजट के वक्त भी कही थी। आपने जो अपने कर्जे चुकाने के लिए फिगर्स दी और दिक्कतें बताई और टैक्स लगाने का जो इन्सीडेन्स है उसका जो एक्सटेन्शन करना चाहते हैं, उससे आप इन नतीजे पर पहुंचे हैं कि आपने टैक्स कम लगाया है। मैं आपके डिपार्टमेन्ट के कैल्क्युलेशन्स में नहीं गया।

इसके साथ मैं बिक्री कर के बारे में आपके वायदों की याद दिला दूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पहले भी मैंने जोर दिया है कि आप बिक्री कर के मामले में हैरेसमेंट को रोकें। टैक्स ज्यादा वसूल हो ऐसी व्यवस्था करें और इसके लिए मैंने सही बात कह दी थी कि मोटरों का टैक्स तो जनता से लिया गया, पैसेन्जर टैक्स जनता से ले लिया लेकिन एक्सचेकर के पास पैसा नहीं आया, वह टैक्स सरकार के पास जमा नहीं कराया गया। आपने कानून की बात करली। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप राजस्थान युनिवर्सिटी का ऑर्डिनेन्स निकाल सकते हैं तो आप उन पैसे वालों से जिन्होंने जनता का पैसा अपने पास रख छोड़ा है, वह जनता का पैसा वसूल करने के लिए आप ऑर्डिनेन्स नहीं निकाल सकते।

आप ऑर्डिनेन्स निकाल सकते हैं इस बात के लिए कि बोर्ड से फैसला होगा किसी आदमी के लिए, लेकिन इस सदन ने टैक्स की इजाजत दी हो और उसमें वसूली के लिए कोई कानूनी दिक्कत आयी हो तो आप यह बहाने बनाते कि टैक्स नहीं वसूल कर सकते

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

थे। उस वक्त ऑर्डिनेन्स नहीं निकाल सकते थे? बार-बार सदन यह कहता है कि टैक्स पहले वसूल करें। जितने भी व्यापारी हैं जिनको टैक्स देने का अधिकार है, आपके लाइसेन्स हैं, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि आप पूरी तरह से कानूनी ढ़ंग से टैक्स लें। वे लोग आपकी रहनुमाई पर न रहें और आप ईमानदार को पकड़ लें और बेईमान को आप छोड़ दें। सदन उसको नहीं मान सकता चाहे मोटर वाले हों, चाहे कोई हों पेसेन्जर टिकिट्स पर पेसेन्जर टैक्स का टिकिट लगा कर दें और उसका पैसा पहले हमसे लिया जाय। मैं अपने अनुभव से कहता हूं, कई माननीय सदस्यों ने कहा, उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी यह अनुमान होगा, कोई चीज लेने जाते हैं तो व्यापारी जब कैश मीमो मांगने जाते हैं तो सैल्स टैक्स की बात करता है, नहीं तो वह हमें बेईमान बनाता है। सैल्स टैक्स नहीं लगाया है, लेजाओ। मेरे जैसा आदमी तो कह देता है कि सैल्स टैक्स लगाओ। तो आपको यह अनुभव होगा कि सैल्स टैक्स खुद व्यापारी खाना चाहता है इसलिए मेहरबानी दिखाता है। इसलिए आज करोड़ों रुपया टैक्स की चोरी हो रही है। मैं यह नहीं कहता कि यह केवल पैसेन्जर टैक्स के लिए ही हो। मैं कहता हूं कि बिक्री कर जो भी वसूल हो, बिक्री कर बेचने वाला पहले ले। पहले टिकिट खरीद ले और कैश मीमो पर वह लगा दे। मैंने कोई चीज अगर ली है और उसका सैल्स टैक्स लिया है या नहीं इसका अच्छी तरह से चैक हो सकता है। जब मीमो पर टैक्स लगा हुआ है तो चैक हो सकता है। दो सौ, तीन सौ जिसका जैसा वर्क आउट है उस दुकानदार को आप टिकिट दे दीजिये। लेकिन आप इस को एन्फोर्स नहीं कर सकते।

आप इकोनोमी नहीं कर सकते। चेयरमैन इकोनोमी कमेटी के क्या बने हैं कि जिन लोगों को एब्जोर्ब करना था उनके बजाय कितनों को ही आपने नौकर रखा है। आप नौकर रखते चले जाते हैं, इसको आप और कॉम्प्लीकेटेड करते चले जाते हैं उसको आप कोई मितव्ययता दिखाने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं तो आपको सिम्पल बात कहता हूं-एक खरीदने वाला और दूसरा बेचने वाला। यदि बेचने वाला सैल्स टैक्स की कोई चोरी करता है तो उसको आसानी से रस्ते चलते पकड़ सकते हैं। जिस प्रकार चुंगी की चोरी करने वाले को पकड़ते हैं। किसी व्यक्ति ने सामान खरीदा हो और आपका आदमी खड़ा हो और व्यापारी ने सैल्स टैक्स की चोरी की हो तो आप उसको पकड़ सकते हैं। उसने कैश मीमो दिया है या नहीं? इसलिए मैं सदन के अन्दर आपसे मांग करता हूं कि आप पहले ही उनको टिकिट इश्यू कर दीजिये जो कि उन कैश मोमीज पर लगा दें।

आपने पुलिस का अधिकार मांगा है। जनता का पहले से ही पुलिस से पेट भरा हुआ है। पुलिस स्टेशन पर जो अधिकार पुलिस को है वही अधिकार आपके डिपार्टमेंट को दे दिया जाय आप यह चाहते हैं। ले लीजिये। हम हिचकिचाते नहीं हैं। चाहे आप सारी इन्स्टीट्यूशन्स के इन्चार्ज बन जाइये। लेकिन ईस्ट इन्डिया कम्पनी और मीर कासिम का राज एक साथ चले यह बात नहीं चलनी चाहिये। एक तरह से गड़बड़

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

होती है। इसलिए उन चीजों को उस तरीके से नहीं देखना चाहिये। आप कहते हैं कि मकान में आवाज दी, नहीं मिला तो किवाड़ तोड़ दो। आप तोड़ें तो विश्वास हो सकता है, रीजनेबल हो सकता है लेकिन बुरे आदमी जनता को परेशान करेंगे। आपने पहले कमिश्नर को माना है कि उसकी इजाजत से होना चाहिये लेकिन आप नीचे के तबके को कसते चले जा रहे हैं। उसको सेल्स टैक्स के जंजाल में फंसाते चले जा रहे हैं और आप उस वर्ग को छूट दे रहे हैं जो वर्ग आपका एजेन्ट है। आप उसको ईमानदार बनाने में नाकामयाब हैं। इसके कारण ईमानदार व्यापारी गर्क में जा रहे हैं और बेईमान व्यापारी को खुली छूट हैं और आपके ईमानदार जो अफसर हैं वे गर्क में जा रहे हैं और जो बेईमान हैं वे आराम में हैं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह आपकी एक नई सूझ जो आपने लीगेलिटी के नाम पर धीरे से रख दी, माननीय उपाध्यक्ष, मैं उसको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। "यह साबित करने का भार कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया विक्रय या क्रय इस अधिनियम के अधीन करारोप्य नहीं है उस व्यक्ति पर होगा" आप साबित नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि यह कर लगेगा। यह तो उसको साबित करना पड़ेगा, जो जुरिस्प्रुडेन्स की किताबें हैं जानकारी की बात है, एक्युज्ड के लिए पहले प्रोसिक्युशन को तय करना पड़ता है। आप उल्टी नदी बहाने चले है। आप इसके नाम पर हेरेसमेन्ट बढ़ायेंगे जब कि आपने एलान किया है कि मेरी तरफ से कोशिश करूंगा कि हैरेसमेन्ट न हो, लेकिन इस प्रकार के प्रावधान रखने से हैरेसमेन्ट बढ़ेगा और उलझनें बढ़ेंगी।

इसके बाद कोई भी लॉ लॉ डिपार्टमेन्ट ने बताया है, लेकिन जो कोई लॉ के प्रति फेथ रखता है, जो मनुष्य के फन्डामेन्टल्स हैं, जब से दुनिया में न्याय शुरू हुआ है, उन सब के यह खिलाफ है। कोई सुबूत आपके पास नहीं। साबित करना है तो भी एक्यूज्ड को। इस पर सारा सदन एक राय होगा कि आप चाहे जिसको पकड़ लें और कहें कि अब तो तुम ही इसको साबित करो। आप करो उसको साबित कि तुम्हारे ऊपर यह चीज है। हाथ तो मेरा उठेगा आपकी तरफ फिर भी।

एक ओर है आपके सामने। माल भी जब्त किया जा सकता है। पेज ११ सेक्शन २२ के भाग ६ : "ऐसे किसी भी प्राधिकारी या व्यक्ति को, ऐसे किसी भी माल को अधिग्रहण और जब्त करने की शक्ति होगी...." कौन से अधिकारी को होगी? कोई भी जब्त कर लेगा। सवाल यह है कि आप इस प्रकार के स्वीपिंग अधिकार न रखें। दरवाजा न खोले तो किवाड़ तोड़ दें, माल जब्त कर लें। यह कौनसा शासन है? कौन सी डेमोक्रेसी है जिसमें इस प्रकार के स्वीपिंग अधिकार फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट को दिये जा सकते हैं? आप मनुष्य की मनुष्यता को मानिये। आप सब को ही बेईमान मानते हैं तो खुद का रिफ्लेक्शन जनता में दिखाना होगा। जहां पांच आदमी बैठते हैं, वहां पर परमेश्वर का वास होता

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

है। आप न्याय की बात करिये । हम भी अन्याय में भागी बनते हैं। आप जस्टिस कीजिये।

जब मैं आपकी कृपायें दिखाना चाहता हूं--खादी बोर्ड के ऊपर आपकी क्या क्या कृपा है। मैं आपको बहुत अदब के साथ निवेदन करूंगा। आपको यदि करप्शन को रोकना है तो आपको इस पर टैक्स लगाना चाहिए। ३ लाख ३६ हजार बोर्ड पर आप खर्च करते हैं वह हमारे पास से कराते हैं। दाल और चावलों की खिचड़ी तो आप बनाते हैं और उसमें नमक आप हमारे से डलवाना चाहते हैं। इसी तरह की आपकी प्रवृत्ति रही तो हम नमक डालने से इन्कार कर देंगे। आपने देखा होगा यहां पर आजकल खादी प्रदर्शनी चल रही है। वहां यह है कि अपने हाथ से कता हुआ सूत ले आओ तो उस सूत से वे वस्त्र तैयार करके मुफ्त में आपको दे देंगे इस तरह से कितना पैसा इसके प्रेसीडेन्ट ने और मंत्री ने साफ किया है। मजदूरी क्या देते हैं यह आपने देखा है? आज नया काम ऊपर से शुरू हुआ है। सूत लाओ चाहे मिल का ही हो कह दो कि यह अम्बर चरखे का काता है तो मुफ्त में बना कर कपड़ा दे देंगे। आप इस पर टैक्स नहीं लगाते। लगावें कैसे? इससे तो पकड़ में आ जावें। कर किसी पर लगाते हैं तो वह बेईमानी को चैक करता है। सैल्स टैक्स के फीगर्स से इनकम टैक्स वाले भी पकड़ लेते हैं। इसी तरह से पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने कहा, हिन्दुस्तान पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने कहा--२९ करोड़ रूपया अब नहीं मिलेगा। यह खादी बोर्ड के बारे में फेक्ट्स हैं। हम खद्दर पहनने वाले कभी इस प्रकार की इमदाद नहीं चाहते। आप कर लगाते हैं तो हम कर का पैसा देकर भी खादी पहनेंगे। आप यदि खादी पर टैक्स नहीं लगाते हैं तो आपको अधिकार नहीं कि आप दूसरों पर टैक्स लगावें। आप लगाइये खादी पर भी टैक्स हम ज्यादा पैसा देंगे। सैल्स टैक्स देंगे पहनने वाले देंगे। कोई गाय बांध दी हैं। मैं जानना चाहता हूं अम्बर चर्खे के नाम से बेईमानी होती है। मिल का सूत लाकर कहते हैं कि यह अम्बर चर्खे का सूत है आप इस प्रकार बेईमान बनाने की कृपा मत करिये। अम्बर चरखे का सूत कात कर आपको दें तो आप कपड़ा मुफ्त बना कर देते हैं, बस इस प्रकार की कृपा मत करिये। इस तरह की प्रवृत्तियों से तो यह खादी बदनाम हुई है, कांग्रेस बदनाम हुई है। आप कांग्रेस को बदनामी से बचाना चाहते हैं तो इस प्रकार की कृपा करना बन्द करिये। आप इस चीज को रखिये, कोई भी पार्टी हो सब मेजोरिटी से आपके सुझाव को पास करेंगे। इसके पीछे बड़े नेता का नाम लिया जाता है। गान्धीजी ने रांडों को चर्खा चलाने के लिए कहा था....

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : गांधीजी की रांडें कौनसी हैं?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आप ऊपर से आये हैं क्या?

श्री भैरोंसिंह : आपने फाइनेन्स मिनिस्टर के लिये कहा है क्या?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : संस्कृत में आप समझते नहीं, देशी भाषा में समझते नहीं, तो मैं आपको अंग्रेजी में बताऊं-विडोज की तरह है जो चर्खा चला कर अपना पेट पालती हैं....

श्री भैरोंसिंह : गान्धीजी की विडोज कौनसी हैं ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : गांधीजी ने आजादी के लिये चर्खे से काम लेने की बात कही थी, उसके बाद हाल क्या होता है-२९ करोड़ रुपया सरकार इसको मदद दे रही है........

श्रीउपाध्यक्ष : Why does the Hon. Member take note of other interruptions ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : If I don't take note, there will be chaos. He will speak his own things and I will speak my own things and you will be in a fix.

श्री भैरोंसिंह : You have created that chaos.

श्री उपाध्यक्ष : No aspersions on the Chair.

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : No aspersions, Sir.

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी भाषा चलने लगी तो हालत क्या होने लगेगी ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं यह कहना चाहता हूं, इस सिलसिले के अन्दर रेशम का नाम ले लिया, हैन्डलूम का नाम ले लिया यह कौनसी मेहरबानी करने का तरीका अपनाया गया है। आप इनको सबसिडी क्यों दे रहे हैं ? कोऑपरेटिव के जरिये अगर बनाते हैं तो मेरी समझ में आ सकती है। इस तरह से खादी को सबसिडी देने से कांग्रेस पार्टी नहीं बढ़ती है। आपने जो इस प्रकार से सबसिडी के रूप में रुपया दिया, उससे आपने उन लोगों को जो ईमानदार थे, उनको बेईमान बनाया। जो आदमी इज्जतदार थे वे आज करप्ट हो गये। केवल आपके द्वारा दिये हुए पैसे इसके जिम्मेदार हैं। सबसिडी और सुविधायें जो खादी बोर्ड को आपके द्वारा दी गई चाहे वह खुशामद के लिये दी हो उनको करप्ट कर दिया है जो ईमानदार थे। आपने ये नये नये तरीके निकाले हैं-दाल चावल मिला दिये और खिचड़ी पका लो और उस पर हम सब से नमक डलवाते हैं। आपको यह पाप खा जायगा। आपकी टैक्स में इस प्रकार की मनमानी नहीं। चलेगी वित्त मंत्रीजी चाहे कर आप इस पर नोमीनल ही लगाइये ताकि सरकार के आदमी जाकर वहां पर चैक कर लें, वहां पर जाकर यह देख लें कि उनसे आखिर कितना टैक्स लिया जाय। आप चाहे धेला टैक्स ही लगाइये लेकिन आपको लगाना चाहिये। आप बिल्कुल छूट नहीं दे सकते। कांग्रेस को बचाने के लिये ही लगाइये, अवश्य लगाइये। इसमें विरोधियों की बात नहीं है। इससे खादी पहनने वालों की आस्थाओं की रक्षा होगी उनका आत्म हनन नहीं होने वाला है। यह खद्दर एक ऐसी चीज है जिस पर टैक्स लगाना चाहिये ताकि मालूम

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

हो आपको कि इन्होंने क्या क्या काम किये हैं, कितना बचा है। गवर्नमेंट ऑफ इण्डिया तक यह बात पहुंचायी जाय। सूत जो कात लाओ उनको मुफ्त में कपड़ा बनाकर देने की बात है वह छोड़िये। उसमें सरकार मजदूरी देगी वाह रे राम-राज ! यह खूब आया ! ! मिल का सूत ले आओ; कह दो कि अम्बर चर्खे द्वारा काता हुआ है। घुंडिया जमा करा दो, कपड़ा बना हुआ ले जाओ, वाह रे खादी खूब पहनो। आपने यह खूब टका सेर खाजा और टका सेर भाजी कर दी। यह कौनसी सरकार है जो खद्दर के साथ इस प्रकार का बर्ताव कर रही है ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में एक मिसाल देकर अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। यहां पर यह कहा गया कि पानी मिलाते हैं इसलिये शराब के बारे में कुछ कहना चाहिये। आपकी घोषणा के बाद कि हम गारन्टी सिस्टम चालू करेंगे जितना शराब बिका था उसके तीन साल के आंकड़ों को निकाल कर फिक्स्ड मिनिमम गारन्टी करेंगे। उसके बाद क्या होता है गारन्टी वालों को सुविधा दी जाती है। ६ दुकानें यहां पर नीलाम होती हैं। ६ दूकानों की आमदनी लगाई गई। दूसरी जगह मनमानी दूकानें खोलने की इजाजत दी गई....

श्री परसराम मदेरणा (उपमंत्री, आबकारी एवं कर) : इस बिल से क्या मतलब है इन बातों का ?

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : आपको क्यों दर्द हो, रहा है जवाब तो आपको देना नहीं है, जवाब तो मंत्री महोदय देंगे। मेरा रखने का हक है। जहां तक टैक्सेज से आमदनी प्राप्त करने का सवाल है ये बातें मैं रख सकता हूं। मैं आपको कहना चाहता हूं कोटा, अजमेर, जयपुर इन सब के अन्दर एक दफा अखबारों में जोर से निकला-कमेटी निर्धारित कर देगी जिस कीमत पर चाहे बेचेगी। सदन को इस पर गौर करना चाहिये, यह तबका इसके जरिये अन्डर वर्ल्ड चलता है। खुशामद चलती है। जिस तबके से हिकारत रखते हैं उस तबके से डील करना है। स्टेन्डर्ड ऑफ लिविंग गिरता है, जैसे व्यक्तियों के साथ डील करना होता है। आपके गारन्टी सिस्टम के अनुसार एक आदमी से आप डील करते हैं। उस आदमी ने कहा कि गारन्टी सिस्टम की ढाई लाख रुपये की जमानत मैं नहीं दे सकता। उसका नाम ले सकता हूं उसको आपने रियायत दे दी कि छः महिने तक आप जमा करा सकते हैं।

(१.०० म० प०)

तो जो लोग बेकार रहते उनसे ढाई लाख वसूल करके जमा करते। कांग्रेस में बातें हुई, जगह जगह हुई कि ठेले पर, साइकिल पर शराब बिक रही है और इसके बाद हमको मालूम नहीं कि कब कीमतें डिकन्ट्रोल कर दी गई। फिर कीमतें कन्ट्रोल की गई। कन्ट्रोल ढीला किया गया, फिर कन्ट्रोल किया गया। इसके बाद क्या होता है, यह सोचने की बात है।

इसके बाद गारन्टी सिस्टम नहीं चलता हालांकि गफूर नामक आदमी आपको एक

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

लाख रुपया फण्ड में देने को तैयार था। आपने ओपन बिड करवा दी। लेकिन इसमें क्या करते हैं? इसको मोनोपोलाइज करते हैं। उस रहमतअली को दे दिया जाता है। अब क्या होता है, सिस्टम फिर बदल दिया जाता है।

टेन्डर पर आये आप और टेन्डर का भी मखौल। बेसिक फण्डामेन्टल टेन्डर का जो है उसकी आपने खिल्ली उड़ा दी।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी तो पांच मिनट और लूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, टेन्डर का मतलब होता है ओपन कम्पीटीशन हो। पर कम्पीटीशन तो करना नहीं। यहां भी अपने गुर्गो को तरजीह देनी थी। आपने क्या किया? दो तरह के टेन्डर निकाल दिये। दस दूकानों का टेन्डर अलग अलग भी दे दो और इकट्ठा भी दे दो। इकट्ठा अगर आप मांगते हैं, तो एक एक की मांगने की क्या जरूरत पड़ी? पर अपने गुर्गों को बचाने के लिये आपने ये टेन्डर इस तरह से मांगे और फिर आपने इसकी जमानत क्या रखी--३॥ लाख रुपया। मैं दावा करके यह कहता हूं कि इन आपके तौर तरीकों से टेण्डर की स्प्रिट का पूरा पूरा हनन हुआ। खून किया इसका और टेन्डर किसको करना था--३॥ लाख रुपया रख कर जो आवे। अब चार लाख रुपया कौन दे सकता था? वही जो आपका चहीता दे सकता था, औरों की क्या मजाल थी और कौन था यह रहमतअली, वही आदमी जिसके पास २॥ लाख रुपया नहीं था, सरकार को उसकी तरफ बकाया देने के लिए, और जिसके लिए उसने सरकार को अर्जी दी कि उसे इसके लिए छः महीने का टाइम और दिया जावे।

श्री बालकृष्ण कौल : मेरे पास कोई इस किस्म की अर्जी नहीं आई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह बिलकुल सही वाकया है।

श्री बालकृष्ण कौल : मेरे पास कोई अर्जी नहीं आई इस तरह की। यह बिलकुल गलत बात है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उसकी गारन्टी थी, इम्प्रेस्ट मनी थी उसको ६ महीने का रिलेक्सेशन किया या नहीं?

श्री बालकृष्ण कौल : मेरे पास इस तरह की कोइ इत्तला नहीं कि टाइम दिया गया छः महीने का।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मुझे मजबूर कर रहे हैं आप आपकी व्यवस्था के खिलाफ में कुछ कहने के लिए। मैं इसे आपकी बेईमानी कहने के बजाय अफ़सरों की बेईमानी कहूंगा फिर।

श्री उपाध्यक्ष : आप किसी की बेईमानी न कहें।

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

मैं अफसरों की इज्जत को बचाना चहता हूं, जिनकी रेपुटेशन बची हुई थी आज दिन तक, यह कह कर मन्त्री महोदय ने उनकी रेपुटेशन पर हाथ धर दिया है। मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका।

अब उसने चार लाख रुपया दे दिया। जहां उसके पास ढ़ाई लाख का प्रबन्ध नहीं था और इसको टेन्डर दिया गया इनका। और किसी का टेन्डर ही नहीं आने दिया ऐसी शर्त रखी। आपने ऐसी सरकम्सटेन्सेज पैदा कर दी कि कोई टेन्डर दूसरा दे न सके। आप तो एक पर्टीकूलर आदमी को तीन साल के लिए मोनोपोली दे रहे हैं। मैं खाली जयपुर की ही बात कहता हूं। आपने गफूर को यह दिया। आप करप्शन को करप्शन से दबाने की कोशिश करते है।

मैं सदन को आगाह करता हूं कि यह अन्डर ग्राउन्ड शराब पिलाने वाले, मजदूर की, मजदूरों की मजबूरी का फायदा उठा कर गरीब मुफलिस को इस मजबूरी में शराब के बदले पानी दे दो तो यह कुछ नहीं कह सके। बेइज्जत गुमराह इस समाज का शिकार गरीब और निरीह प्राणी ? यह गरीब मुफलिसी का शिकार आदमी, अगर आपको बात करे तो मुंह नही लगाओ, उस पर खुला अत्याचार है इनका। यह लूट-खसोट और अत्याचार उनका और उनके गुर्गो का जो मोनोपोली रखते हैं। कहां तक चलाओगे आप यह अत्याचार की चक्की ?

आज दस-दस दूकानें और ले ली एक के बजाय। मजबूर जो रट हो गया, समाज से गिर गया उसको लूटने का आपने मिलकर अपने गुर्गो से मिल कर एक शिकंजा बनाया जिसकी परिभाषा इस टेन्डर में की गई। रेट भी मुकर्रर आपने नहीं की। मनमानी रेट उस गरीब गुमराह, मुफलिस पर पीने की आदत से मजबूर उसकी मजबूरी का पूरा पूरा फायदा उठाने की खुली छूट का लाइसेन्स आपने अपने गुर्गो को दे दिया। मनमानी रेट लेने की छूट दे दी। मैं पूछता हूं एक ऐसी चीज जिसकी रेट फिक्स होनी चाहिये थी, आपने छूट क्यों दे दो ? वह उस मजबूर की गर्दन काटेगा निश्चित रूप से काटेगा। वह काट सकता है आसानी से। तो इस तरह से आप कौन हैं डिकन्ट्रोल करने वाले, प्राइस को ? आपकी कैबिनेट का फैसला है आपने उसको तुड़ाया है अपने गुर्गो से, उनको फायदा देने के लिये, और जिसके अन्दर आपने रखा है कोई कीमत नहीं होगी टेन्डर की।

चार लाख की शर्त--कौन दूसरा पूरी कर सकता था ? आपने अपनी दूकान, अपने गुर्गो की अजमेर में खोली। यहां खोली आपने, नेशनलाइजेशन के साथ दुश्मनी की। आपने जिनको ठेका दिया है उनसे जो आप वसूल कर रहे हैं मुनाफे के साथ और आप अपनी कॉन्स्टीच्युएन्सी में गरीबों की, मुफलिसों की हत्या कर रहे हैं। उनकी हत्या करेंगे, पर अपने गुर्गो को जरूर ऊपर उठावेंगे। हिम्मत नहीं करते आंख खोल कर देखने की। आप अपने गलत कारनामों के लिए प्रोटेक्शन चाहते हैं। सही तथ्य आप सदन मे छिपाते हैं। मैं इसे निश्चित रूप से चोरी और लूट मानता हूं। नहीं है तो सारे

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

तथ्य आप खुले रूप में सदन के और जनता के सामने रख दें।

आज सदन के नेता ने एक सही एटीट्यूड लिया। जब कोई अहम मसला उठा तो इन्क्वायरी करा ली। इन्क्वायरी की हिम्मत करते हैं, मैं इसके लिए सरकार को मुबारकबाद देता हूं। गुड़ के नाम से आपने इन्क्वायरी की बात मानी, आखिर गुड़ का नाम तो लिया गुड़ का नाम तो निकला। तो मैं यह और चाहता हूं कि जो कमेटी भैरोंसिंह जी की बात पर बनाने की बात कही है, जो आपने रेजिग्नेशन की बात कही है, उसका कोई नतीजा १० तारीख के पहले निकल जावे तब तक इन्क्वायरी आप खत्म करा कर सदन को जानकारी दे दें। यह इन्क्वायरी इस तरह से टालते रहने से काम नहीं चलेगा, जनता सब देख रही है. वह बहुत अच्छी तरह से सबका इन्साफ करना जानती है।

इतना ही कह कर मैं अपना कथन समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : आज जो संशोधन विधेयक सदन में उपस्थित है और जो कर लगाने की नीति सरकार की है, वह बिल हमारे सामने है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब कभी भी फाइनेन्स के बारे में इस सदन में अपने विचार रखता हूं तो मैं हर समय यह कहता हूं कि यह सरकार इससे बिलकुल अनभिज्ञ है कि राज्य में व्यपार किस तरह से चलाया जाना चाहिये, उसका सन्तुलन किस तरह का होना चाहिये। बिलकुल अनभिज्ञ सरकार है इस मामले में और जो विधेयक हमारे सामने है उसको पढ़ने के बाद तो मुझे सिर्फ इतना ही अहसास नहीं हुआ, बल्कि इसके साथ एक बात की और जानकारी हुई है कि इस सरकार के अन्दर जो इस तरह के बिल बनाने वाले, जो भाषा इसकी लिखने वाले या जो सेंस उससे निकलता है जो वे लिखते है वे, वे हैं जो कांग्रेस की सरकार को सत्ता पर देखना पसन्द नहीं करते। ये वे लोग हैं जो आज की सरकार को चलने देना पसन्द नहीं करते और ऐसे निकम्मे बिल, सरकार के माथे पर कलंक का टीका लगाने वाले, सरकार को जनता की नजरों में किसान, मजदूर और सामान्य लोगों की नजरों में गिराने वाले बिल तैयार करके सरकार के लोगों के नाम से सदन के सामने और जनता के सामने पेश करते हैं और जिससे विरोधियों के ही हाथ मजबूत वे करते हैं एक तरह से। आज इन लोगों में वही दिमाग काम कर रहा है, जो अंग्रेजी नौकरशाही के वक्त उन लोगों का था। आज इस बात की पुष्टि इस विधेयक को देखने से होती है। आज जितने हमारे चुने हुए ट्रेजरी बेंचों पर बैठने वाले सज्जन हैं, जो अपने अपने विभागों के अध्यक्ष हैं. वे राज नहीं चलाते। उनका कानून बनाने, उसका ड्राफ्टिंग करने आदि में कोई हिस्सा नहीं है, बल्कि वे लोग जो राजा महाराजाओं के जमाने से लेकर आज दिन तक शासन में बैठे हुए हैं वे ही आज भी राज चलाते हैं,

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

ग्रौर उसी दिमाग से चलाते हैं वे ही उस दिमाग से ड्राफ्टिंग करते हैं । उनके दिमागों में वही पुरानी बदबू भरी है। वे उसको जनता पर लादने की कोशिश करते हैं।

मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय से, उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत कहना चाहता हूं बिलकुल स्पष्ट शब्दों में कि जो वे ग्राज इस बिल के द्वारा अपने उन नौकरों ग्रौर अफसरों के लिये जिस तरह के अधिकार ग्रौर शक्तियां इस सैल्स टैक्स के अफसरों ग्रौर नौकरों के लिये चाहते हैं ग्रौर जिन शक्तियों को देने का प्रावधान आपने इस बिल में किया है, अगर उनका प्रयोग वे करेंगे तो क्या हालत हो सकती है ? हमें इसका अहसास करना चाहिये ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ बातें जो इसके अन्दर कही गई हैं उनके बारे में कहूंगा। एक बात यह कही गयी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर जो टैक्स लगता था, जो यहां पर टैक्स पहले ५६-६० में समाप्त हो गया, उस टैक्स को वसूल करने में सरकार के हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब ने अपने भाषण में यह कहा कि मेरे जितने भी कर्मचारी इस विभाग के अन्दर हैं वह बहुत ही अच्छे हैं ग्रौर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से काम किया है। अगर उसकी पुष्टि होती तो ग्राज जो संशोधन इस कानून में रखा गया है, अगर वह काबिले तारीफ होते हैं ग्रौर काबिल ग्रॉफिसर होते तो ५ साल की मियाद ६ साल की नहीं की जाती । उसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं । जो कर ६० में समाप्त हो गया ग्रौर जिसकी अवधि ४ साल की थी उसके असेसमेंट में अगर गलती हुई है, कोई वसूली में सरकार ने गलती की है ग्रौर उसकी मियाद ४ साल हुग्रा करती थी ग्रौर जो कि ६३-६४ में समाप्त हो रही है उसको दो साल तक सरकार के हाथ में रखने का ग्राज इस संशोधन बिल के ग्राधार पर इन्होंने माना है । वह यह बताता है कि ग्राज के सरकार के जितने भी अधिकारी चाहे असेसमेन्ट करनेवाले हों या टैक्सको वसूल करने वाले हों वह इतने नाकाबिल हैं कि जो खामियां रह गई थी उनको पूरा नहीं कर सके ग्रौर दो साल ग्रौर बढ़ाने की मांग करना, उन लोगों को फिर से तंग करना चाहते हैं, यह भ्रष्टाचार बढ़ाने के अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। इसलिए मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि ४ साल में जो काम नहीं कर सके उसके लिए दो साल की मियाद बढ़ाने की बात इसमें मांगी है— यह कहां तक बुद्धिमानी की बात है ? ४ साल तक जो गलतियां हुई उनको सही नहीं कर पाये तो अब कोई अधिकार नहीं है कि हम फिर से २ साल की मियाद ग्रौर दें ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जितने भी विधेयक हमारे सामने ग्राये हैं ग्राज की सरकार की नीति बतलाती है कि यह सरकार हर समय यह कहती है ग्रौर बड़ी शान के साथ कहती है कि हम तो हमारे राज्य में समाजवादी समाज कायम करेंगे, डेमोक्रेटिक सोशियलिज्म की बात करते हैं, आप ही बतायें क्या इस एक्ट के अन्दर कहीं आपने यह बताया है कि समाजवादी समाज

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

किस आधार पर आप कायम करेंगे ? जितनी भी सख्ती की गई है उन लोगों के ऊपर की गई है जो कि खेती का काम करते हैं। छोटे-छोटे गांवों में जो छोटे-छोटे व्यापारी हैं उनके व्यापार को खत्म करने के लिए इसमें प्रॉवीजन रखा है और सरकार कोटा की नाइलोन फेक्टरी को छूट देती है और कहती है कि २ न० पै० प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली देंगे और अगर वहां से माल बाहर एक्सपोर्ट होता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगायेंगे। क्योंकि ३ दिन पहले ही कोटा जाकर आये हैं। वहां पर कितनी आवभगत और ऐशोआराम वहां पर सेठों ने कराये हैं। छोटे व्यापारी और काश्तकार इनको ऐशोआराम के लिए सारी सामग्री उपलब्ध नहीं करा सकते जो कि बड़े सेठ कराते हैं। जो बड़े सेठ हैं उनको तो सरकार लाखों और करोड़ों रुपये व्यापार करने के लिए उधार देती है....

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : आवभगत तो किसान भी करते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उस तरह से नहीं करते जिस तरह से कि सेठ करते हैं। वहां उनको खूब तो मिष्ठान्न मिलते हैं और खूब आवभगत होती है जैसा मैंने अभी दो दिन पहले कोटा में नजारा देखा। तो मैं कहना चाहता हूं कि जो पहले छूट थी कि एक किसान अपने खेत में कोई चीज पैदा करता है उसको वह बेचता है तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। उस क्लॉज़ को आपने हटा दिया। जब कि कोटा में बनी हुई चीज को बिना टैक्स के एक्सपोर्ट करने देते हैं और उनको दूसरी दूसरी तरह की सुविधायें देते हैं तो इस किसान ने क्या बुरा किया ? जो भिन्डी पैदा करता है, मिर्च पैदा करता है, फल फूल पैदा करता है और राजस्थान का नाम सारे देश में ऊंचा करता है, उसको आप टैक्स लगाने के लिए मजबूर करो उससे टैक्स वसूली की बात करो और इन बड़े-बड़े सेठों के यहां माल मिष्ठान्न खाओ और हमारे मुख्य मंत्रीजी के वहां होते हुए, हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर के वहां पर होते हुए, इन्डस्ट्रीज मिनिस्टर के वहां होते हुए हमारे डी० सी० एम० के मालिक यह कहें कि सरकार की इन्डस्ट्रियल पॉलिसी अच्छी नहीं है उसमें परिवर्तन करने की जरूरत है, उसमें सेठों को ज्यादा से ज्यादा फायदा देने की जरूरत है, उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधायें देने की जरूरत है। यह बात उन्होंने कही और यह भी कहा कि श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया तो हमारे परिवार के हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ हमारी सरकार का पूंजीपतियों के साथ इस तरह का व्यवहार और दूसरी तरफ हमारे जो काश्तकार और छोटे व्यापारी हैं उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार यह ठीक नहीं है।

मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, प्रतापसागर डैम पर जाकर देखा है। एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि हम बड़े-बड़े बांध बना रहे हैं और वहां इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जायेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी अर्ज करना चाहता हूं कि अगर आपने प्रतापसागर डैम पर जाकर नहीं देखा है तो आप वहां जरूर जाइये और इस बात को

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

देखिये कि वहां पर जितने काम करने वाले मजदूर हैं वह किस तरह की हालत में रहते हैं। उनके रहने के लिए पक्के मकान नहीं हैं और टीनों के पक्के मकान भी उनके रहने के लिए नहीं हैं। जो आज हिन्दुस्तान के अन्दर इतना बड़ा काम कर रहे हैं जिनके ऊपर आप अपनी सरकार को टिकाये रखना चाहते हैं उनको जाकर देखो कि घास-फूस की झोंपड़ी में पड़े हुए हैं--वह १५ हजार मजदूर जो कि पंजाब से आ कर राजस्थान में मजदूरी कर रहे हैं सौराष्ट्र से आकर राजस्थान में मजदूरी कर रहे हैं, महाराष्ट्र से आकर मजदूरी कर रहे हैं, आन्ध्र से आकर राजस्थान में मजदूरी कर रहे हैं और वह इसलिए कर रहे हैं कि आपके यहां पर बिजली का कारखाना प्रतापसागर डैम से चले और मैं अर्ज करना चाहता हूं कि क्या उस डैम के बनने के बाद जो विद्युत् शक्ति पैदा होगी क्या १ पर्सेन्ट भी बेनीफिट भी उन १५ हजार मजदूरों को मिलेगा ? उनको कुछ नहीं मिलने वाला है। यह बेनीफिट तो उनको मिलेगा जो हमारे मंत्री बैठे हुए हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनके साथ मिलने वाले और उनके दोस्त पूंजीपतियों को ज्यादा लाभ इसका मिलेगा। उनको कन्सेशन पर बिजली दी जायेगी। उनको दी जायेगी जिनके यहां हमारे कौल सहाब पधारे हैं। कोटा के अन्दर, उपाध्यक्ष महोदय मुझे दुःख है कि राजा हरिश्चन्द्रजी के गुणगान कर दिये, मोहनलालजी सुखाड़िया के गुणगान कर दिये गये और उन्होंने फाइनेन्स मिनिस्टर साहब का नाम तक नहीं लिया....

श्री जयनारायण साल दिय (निवाई): माला भी नहीं पहनाई कौल साहब को।

श्री बालकृष्ण कौल (वित्त मंत्री): आपको खुशी होनी चाहिए।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : हमको दुःख है कि हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को उन सारी चीजों से अनभिज्ञ रखा जाता है जो माननीय मुख्य मंत्रीजी अपने अधिकारी से पूंजीपतियों को देते हैं, उनसे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को ना-जानकारी रख दी जाती है।

कौल साहब इस राजस्थान के वित्त मन्त्री है यह भी उन लोगों को मालूम नहीं हैं। इसलिए वहां पर बैठे हुए दो आदमियों का गुणगान हो जाय और फाइनेन्स मिनिस्टर के लिए एक शब्द भी न कहा जाय, तो मैं यह कहता हूं कि इस तरह की बात जो सरकार करने जा रही है तो हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से पूछना चाहता हूं कि आपने एक इसमें प्रोवीजन रखा है....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): जहां अपनी पगड़ी उछालते हैं उसी को मैखाना कहते हैं।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : आपको मैखाना बहुत याद आता है, रात दिन डूबे रहते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पंडितजी आपका इससे क्या ताल्लुक है? आप भी सरूर ले रहे हैं क्या ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो आप इस धारा ५ के अन्दर यह कहना चाहते हैं कि जिस व्यापारी की बिक्री ५ हजार से ज्यादा होगी उसको वह लाइसेन्स लेना पड़ेगा और उसको रिटर्न भरना पड़ेगा और उसका हिसाब-किताब सरकार को बताना पड़ेगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा मालूम पड़ता है कि कौल साहब ने इसके ड्राफ्टिंग को पढ़ा नहीं है और पढ़ा होगा तो समझे नहीं और समझे हैं तो उनको हिम्मत नहीं हुई उन लोगों के खिलाफ कहने की जिन्होंने यह ड्राफ्टिंग किया है। अगर ओरीजिनल बिक्री कर या सेल्स टैक्स एक्ट जो हमारे राजस्थान का है उसको अगर देखा जाय तो हमारे इन्हीं मन्त्री महोदय ने गये साल में बड़े जोश के साथ में यह कहा था कि मैं छोटे-छोटे व्यापारियों को छूट दे रहा हूं कि उनको हिसाब-किताब नहीं रखना पड़ेगा, इनको लाइसेन्स नहीं लेना पड़ेगा, और १५,०००) रु० तक की बिक्री के ऊपर हीं इनको कुछ लेना पड़ेगा, और अब इसमें ५ हज़ार कर दिया है।

श्री बालकृष्ण कौल : मैंने यह नहीं कहा था कि लाइसेन्स नहीं लेना पड़ेगा। मैंने यह कहा था कि रिटर्न का जो एसेसमेंट का है वह नहीं करना पड़ेगा। वह अभी भी कहता हूं कि वह काम चल रहा है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : इसमें जो लिखा है वह मैं पढ़कर सुना दूं–"नाज और दालों को छोड़ कर जो कारोबार करता है वह किसी वस्तु का हो जिसमें उसके द्वारा खरीदा गया समूचे सामान का समग्र क्रय मूल्य १५,०००) रु० से अधिक नहीं हो उसके बारे में इस धारा के अन्तर्गत कोई आरोपित नहीं किया जायेगा और १५०००) रु० से ज्यादा होगा तो रिटर्न वगैरह हिसाब-किताब सबको देना पड़ेगा।" आपने यह क्लॉज इसके अन्दर रखकर जो १५,०००) रु० की छूट दी थी उसको आपने विदड्रा किया है। इसका मतलब यह है कि छोटे-छोटे गांवों के व्यापारी व्यापार नहीं कर सकते, और चांदी सोने के व्यापारी व्यापार नहीं कर सकते, अनाज के व्यापारी व्यापार नहीं कर सकते, छोटे व्यापारी किसी भी तरह का व्यापार करना चाहें वह व्यापार नहीं कर सकते, इसलिये कि रिटर्न नही भर सकता।

श्री बालकृष्ण कौल : उपाध्यक्ष महोदया मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि इन दो के प्रोवीजो को और पढ़ लें।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : पढ़ने का क्या काम है आप ही बता दें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैंने पढ़ा है आप समझने की कोशिश करें। आप सिर्फ इसके अन्दर खुल जाते हैं। इसका नतीजा क्या होता है उसको आप नहीं देखते और जो नतीजा होता है वह मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इतने अनभिज्ञ रहते हैं कि मनोरंजन कर आपने लगाया। इस हाउस ने आपसे कहा....

श्री बालकृष्ण कौल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एमेंडमेंट की बात मत करिये, नतीजे की बात करें तो मैं सुनूंगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : नतीजे की बात करता हूं। आपको सुना कर कहना चाहता हूं। मनोरंजन कर जिन चीजों पर आप लगाते हैं वह इतना ज्यादा है कि जो कुछ मिलता था वह भी नहीं मिलेगा, जैसे स्लाइड के प्रदर्शन पर आपने टैक्स लगाया है, जैसे छोटे व्यापारियों की जितनी भी फिल्म्स आती हैं उसके प्रदर्शन पर टैक्स लगाया और जिसको आपको खत्म करना पड़ा, उसको कम करना पड़ा, उसके नतीजे जो हुए वह कहना चाहता हूं कि आप समझते नहीं हैं और जोश आता है कि लगा दो और फिर भ्रष्टाचार उसमें लाकर आप उसमें कम करने की बात करते हैं यह बिल्कुल निकम्मी चीज है, प्रजातन्त्र के लिए जिसको समझने की जरूरत है। और मैं, इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा फिर फाइनेन्स मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि कहीं रात को पार्टी मीटिंग में आपके ऊपर प्रहार न हो। हमारे गिरधारीलालजी जो आसींद से आने वाले माननीय सदस्य हैं वे आकर बोल गये और इनकी तारीफ की, जब मैं आसींद के लोगों को सुनाऊंगा तो उनकी हवा खिसक जायगी।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : आपकी हवा तो चल रही है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मेरी हवा तो इतनी तेज है कि आप सब को खिसका कर रख दे और तीन साल तक जब तक इस हाउस में रहूंगा आप जैसों की गिन गिन कर एक एक आदमी की हवा खिसकाऊंगा, यह मैं कहना चाहता हूं।

तो मैं आपसे यह कह रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि एक बात इसके अन्दर जो बाईसवीं क्लॉज़ रखी है उसमें यह प्रस्ताव किया गया है इनके जो अफसर है वह बही-खाता जब्त कर सकते हैं। दूकान के अन्दर जो चीजें रखी हैं उनको जब्त कर सकते हैं, उनके ट्रान्सपोर्ट के ऊपर नियन्त्रण कर सकते हैं। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपसे पूछना चाहता हूं कि यह कौन सा कानून है कि जो जुर्म करता है उसको बिना नोटिस दिये उसको सजा दे दे? इसमें कहीं यह नहीं लिखा है कि अगर उन्होंने किसी कानून में कोई गलती की होगी तो नोटिस दिया जायगा और अगर उस नोटिसका पालन नहीं करेंगे तब जाकर उनको गिरफ्तार किया जायगा, तब जाकर सारे सामान को सीज़ किया जायगा, तब उनको जब्त किया जायगा। यह कहीं नहीं लिखा है। इसमें सिर्फ यह लिखा है कि अगर अधिकारी महसूस करें तो उन सारी चीजों को उठा कर ले जायेंगे, डिग्री लायेंगे और जब्त कर लेंगे। मैं यह साफ कहना चाहता हूं, कौल साहब, आप कितने दिनों के बाद वापिस असेम्बली में आये हैं, लेकिन यह विपक्ष महादेव जो १५-१५ साल से यहां जमे हुए हैं उनकी कुर्सियों पर क्यों कुल्हाड़ी चलाते हैं ऐसे कानून बना कर? उनकी कुर्सियों को क्यों हिलाना चाहते हैं? आप अपने साथ इनको क्यों मिटाना चाहते हैं इस तरह कानून बना कर? तो कौल साहब से कहना चाहता हूं कि आपका सम्बन्ध चाहे किसान से न हो, आपका सम्बन्ध चाहे व्यापारी से न हो, आपका सम्बन्ध चाहे मजदूर से न हो, आपका

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

सम्बन्ध चाहे मध्यमवर्ग के लोगोंसे न रहा हो, मैं कहना चाहता हूं कि आप इस डेमोक्रेटिक स्टेट के अन्दर डेमोक्रेटिक सोशियलिज्म लाने वाली पार्टी के वित्त मन्त्री महोदय हैं। दूसरों पर इस बात की जिम्मेदारी हो या न हो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बराबर जब कभी भी पैसे का सवाल आता है, हमारी स्टेट के फाइनेन्स का सवाल आता है तो मैं वित्त मन्त्री महोदय को हमेशा संबोधित करके कहता रहा हूं कि इस देश में आर्थिक असमानता मिटाने की जिम्मेदारी अगर किसी पर है तो वह फाइनेन्स मिनिस्टर पर है। स्टेट के अन्दर जो व्यर्थ का खर्चा होता है उसकी जिम्मेदारी हमारी वित्त मन्त्री पर होती है। जितने कानून बनाते हैं फाइनेन्स के मामलों के, उसकी जिम्मेदारी फाइनेन्स मिनिस्टर की है। फिर भी जवाब देते वक्त जहां पैसों के मामलों में कहा गया, तनख्वाहों के मामलों में कहा गया उसका जवाब दिया तो आप इस हाउस के बाहर निकल गये तो कहीं अड़ंग-बड़ंग बेकार सी मेरी बातों का वह जवाब न दे दें। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि वे सारी बातें इस तरह की हैं जिन पर पुन: विचार करना चाहिए और सारे के सारे विधेयक को प्रवर समिति में भेजना चाहिए। जो व्यापार-माइन्डेड आदमी हैं, चाहे उस तरफ के हों या इस तरफ के हों वह यह समझते हैं कि एक चीज जिसके ऊपर कि सेल्स टैक्स ६ पर्सेन्ट है जयपुर में और उसी चीज पर सेल्स टैक्स दिल्ली के अन्दर आठ आना है तो उनके व्यापार पर क्या असर पड़ेगा, यह फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को समझना चाहिए। और भी एक नहीं कितनी ही चीजें हैं उसका अगर मैं आपको बताऊं तो....

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडेल) : वह कौन सी चीजें हैं ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : फाइनेन्स मिनिस्टिर साहब को शायद यह नहीं मालूम....

श्री बालकृष्ण कौल : प्लास्टिक ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : प्लास्टिक नहीं। उस पर और ज्यादा टैक्स लगा दें। उससे आपको एतराज होगा क्योंकि डी० सी० एम० के द्वारा प्लास्टिक रॉ मेटेरियल पैदा किया जा रहा है, जिनको आपने छूट दी है। आप क्या प्लास्टिक की बात करते हैं ? उनसे आपने दोस्ती कर रखी है जो प्लास्टिक के लिए रॉ-मेटेरियल पैदा कर रहे हैं। उसने आपने समझौता कर रखा है। उनको करोड़ों रुपये की जमानत आपने दी है, लाखों रुपया उधार दिया है, कन्सेशन रेट के ऊपर बिजली दी है और आप प्लास्टिक की बात करते हैं। कौन से स्टेज पर खड़े होकर आप बात करने की हिम्मत करते है और भ्रष्टाचार का एक एक खड्डा खोद रखा है, फिर करते हैं प्लास्टिक की बात।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा : बहुत से प्लास्टिक पर लगाया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : ऐसी चीजें जो कि जनरल मर्चेन्ट की हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : समय समाप्त हो रहा है। सरकारी पक्ष का जवाब कल होगा और सदन की बैठक कल प्रातःकाल ८ बजे शुरू होगी।

(तदनन्तर सदन की बैठक म०प० १-३० बजे बुधवार, दिनांक ८ अप्रेल, १९६४ के म०पू० ८ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

संक्षिप्त—विवरण

(मंगलवार, दिनांक ७ अप्रेल, १९६४)

स्कम्भ

(१) तारांकित प्रश्नों के शीर्षक

सपोटरा-कुड़गांव सड़क पर पुल निर्माण कार्य।

प्रतापगढ़-रतलाम रूट की बसें।

फतह मेमोरियल सराय, उदयपुर।

बम्बोरा हायर सेकन्डरी स्कूल भवन का निर्माण कार्य।

तहसील अनूपगढ़ तथा पुगल क्षेत्र में सज्जी का ठेका।

लोस्ट प्रोपर्टी का माल।

सीमेंट की व्यवस्था-जिला जालौर।

महिला आश्रमों तथा नारी निकेतनों में आश्रित महिलाओं पर व्यय।

बस रूट की स्वीकृति होने के बावजूद बसों का नहीं चलना।

डामर की पक्की सड़क।

छात्र-वृत्तियां।

निर्वाचन सूचियों का प्रकाशन।

स्कम्भ

डग-भवानी मंडी सड़क पर पुलियाओं का निर्माण।

टी. डी. सी कोर्स के लिए निर्धारित आयु।

ही-टैक-प्रशीशन ग्लास लिमिटेड, धौलपुर।

उदयपुर जिले के अस्थाई अध्यापक।

पंचायत समितियों के अध्यापक।

करौली पॉवर स्टेशन।

कपूर, पीपरमेंट, हाथी दांत तथा अन्य कैमिकल्स के कोटे का वितरण।

मिड़ल स्कूल, बामनवास।

हिन्दुमल कोट—श्री गंगानगर रेल्वे लाइन।

लघु उद्योग योजना, मावली क्षेत्र।

स्थगित प्रश्न

२५-२-६४ और २६-२-६४
टीचर्स की बकाया रकम।

२४-३-६४ और ३१-३-६४

तहसीलों में हायर सेकन्डरी स्कूल।

छमाही परीक्षा—गर्ल्स स्कूल, हिन्डौन

(२) अतारांकित प्रश्नों के शीर्षक ८३

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लोगों को गृह निर्माण हेतु धन-राशि।

स्कूल भवनों के निर्माण पर खर्चा।

बिसाऊ-मंडरेला सड़क निर्माण के लिए दरख्वास्तें।

कुशलगढ़ हाई स्कूल में कमरों का अभाव।

कॉलोनीज़ तथा मकानों के निर्माण पर व्यय।

सलूम्बर से धरियावद तक पक्की सड़क।

ग्रामों को बिजली।

ठेकेदारों की बकाया रकम।

राजस्थान आयर्न एण्ड स्टील कॉरपोरेशन, धौलपुर।

(३) याचिका का उपस्थापन ९२

श्री भीमसेन, सदस्य विधान सभा ने राजस्थान नहर प्रवाह तथा लिफ्ट द्वारा सिंचित भूमि पर आरजी काश्तकारों को राजस्थान टीनेन्सी अधिनियम, १९५५ के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार दिये जाने सम्बन्धी याचिका का उपस्थापन किया।

(४) मन्त्री द्वारा वक्तव्य

श्री भीखा भाई श्रम मन्त्री ने—

(१) राणा प्रतापसागर बांध के मजदूरों की समस्या, एवं ९३

(२) शार्दूल टैक्सटाइल मिल्स के कुछ मजदूरों को हटा दिये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य दिये। ९८

(५) स्थगन-प्रस्ताव ११६

जोधपुर में सरकारी अनाज की दूकानों में अनाज अपर्याप्त मात्रा में होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री भैरोंसिंह के स्थगन-प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई।

खाद्य मन्त्री दिनांक ८ अप्रेल, १९६४ को एक वक्तव्य देंगे।

(६) विधायी कार्य

(क) वापस लिया गया विधेयक ११४

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों एवं सदस्यों के परिलाभ) संशोधन विधेयक, १९६४ (विधेयक संख्या १०, १९६४), सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् वापस ले लिया गया।

(ख) पुरःस्थापित विधेयक ११४

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों

स्कम्भ

एवं सदस्यों के परिलाभ) संशोधन विधेयक, १९६४ (विधेयक संख्या २२, १९६४) सभा की आज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् पुरःस्थापित किया गया।

विचारार्थ लिया गया विधेयक

राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६४ १२८

श्री बालकृष्ण कौल, प्रभारी मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि उपरोक्त विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

स्कम्भ

विधेयक को जनमत हेतु प्रसारित करने तथा उसे प्रवर समिति को सुपुर्द किये जाने के संशोधन प्रस्ताव भी प्रस्तुत किए गये व उस पर विचार-विमर्श हुआ।

बुधवार दिनांक ८ अप्रेल, १९६४ की कार्य–सूची

राजस्थान करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६४ (अग्रेतर वाद-विवाद, खण्डशः विचार—विमर्श एवं पारित)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या ९२२ का उत्तर देखिये)

महिला सदन एवं आश्रय गृह सम्बन्धित जानकारी की सूची

क्र०सं० का होम शेल्टर का नाम	वर्तमान में आवासनियों की संख्या	गत ५ वर्षों में भर्ती की गई आवासनियों की संख्या	रोजगार पर लगाई गई आवासनियों की संख्या	शादी की गई आवासनियों की संख्या	व्यय का १९९२-९३
१ २	३	४	५	६	७
१–महिला सदन, जयपुर	९१	४५९	३०	१३	४८,३०३
२–उत्तर रक्षा गृह, अजमेर	५७	३२८	१४	१५	४३,०४४
३–जिला आश्रय गृह, जयपुर	१७	१७५	–	–	८७३
४–जिला आश्रय गृह, जोधपुर	४	८३	४	५	८,६१३
५–जिला आश्रय गृह, उदयपुर	८	९७	१०	–	१०,०१८
६–जिला आश्रय गृह, कोटा	१३	१९५	–	–	६,९९९
७–जिला आश्रय गृह धौलपुर	२५	१२८	२	–	९,८०६
कुलः–	२१५	१४५६	६०	३३	१,२७,३५६

परिशिष्ट

(कृपया स्थगित तारांकित प्रश्न

Statement Showing The Progress of Time

S.No.	Inspectorate	Amount of Arrear due on a/c of Fixation in UPS.	Amounts of Arrears due on a/c of Fixation in R.P.S.	Payment of Arrears of Increment.
1.	2	3	4	5
1.	Jaipur	37,590.64	27,842.78	—
2.	Alwar	—	—	—
3.	Jhunjhunu	—	—	—
4.	Karauli	—	—	—
5.	Bharatpur	—	25,950.00	—
6.	Ajmer	—	—	—
7.	Sikar	—	—	—
8.	DY.I.G.S., Jaipur.	8,130.67	—	—
9.	DY.I.G.S., Ajmer	—	—	—
10.	Bhilwara	3,637.36	4 503.36	2,430.28
11.	Kota.	—	—	—
12.	Banswara	—	—	—
13.	Jhalawar	—	1,407.54	—
14.	Chittorgarh	2,241.00	1,222.00	1,915.00

२

संख्या ५३ का उत्तर देखिए)

Barred Arrear Cases of The Range, Jaipur.

Payments of Arrears of T.A. Bills.	Payment of Arrears of Leave Salary & other allied matters	TOTAL	Total Amount paid during 1963-64.
6	7	8	9
3,652.84	1,58,481.33	2,27,567.59	1,43,085.32
1,072.66	11,979.68	13,052.34	74,680.00
3,568.00	3,470.08	7,038.08	Figures not received.
4,858.11	56,039.68	60,897.97	—do—
4,386.00	46,646.39	76,982.39	—do—
512.00	85,596.00	86,108.00	27,453.00
	4,908.74	4,908.74	Figures not received.
339.00	14,621.95	23,091.62	32,974.95
404.00	13,829.90	14,233.00	35,632.00
969,79	4 371.42	15,912.21	7237.58
—	24,891.00	24,891.00	452.00
—	28,195.00	26,195.00	3,515.00
203.27	13,603.63	15,304.44	699.41
381.00	13,925.00	19,684.00	8,457.00

1	2	3	4	5
15.	DY.I.G.S., Kota.	—	2 600.00	3,100.C0
16.	I.O.S. Jodhpur.	1.712.00	2,385.34	13,082.67
17.	Pali.	10,286 63	19,751.26	22,458.73
18.	Nagaur	619.75	1,514.42	—
19.	Sirohi	345.00	—	3,496.42
20.	Barmer	925.65	5 764.28	1,263.00
21.	Bikaner	—	212.96	2,366.64
22.	Churu	Included in R. P. S.	11,179.74	—
23.	Ganganagar	6,269.53	6,856.21	3,596.38
24.	DY.I.G S., Jodhpur.	2,333.53	5 244.28	3,298.61
25.	DY.IG.S., Bikaner.	—	—	—
26.	DY.I.G.S. & I.C.G., Udaipur.	—	—	—
	Total—	28,370.45	62,731.39	57,007.73
	Grand Total—	74,591.76	1,16,524.17	57,007.73

परिशिष्ट

6	7	8	9
90.00	12,921.93	18,711.93	6,615.51
—	1,490.11	18.670.12	6.714 61
6.058.99	24.846.50	83,402.11	9,894.65
126.16	6.679.81	8,940.13	38,350.64
70.00	679.10	5,090.52	Nil.
1571.01	3,672.67	13,196.61	Nil.
1,505.12	1,933.73	6,018.45	Nil.
—	—	11,179.74	Nil.
—	12,015.16	28,737.28	9,450.38
219.71	11,040.65	22,136.78	3,246.99
—	—	—	14,431.96
—	62,207.14	62,207.14	21,595.55
11.195.04	2,20,472.85	3 80,277.46	1,30,661 28
29,937.68	6,16,015.88	8,94,157.19	4,44,486.55

परिशिष्ट ३

(समयभाव के कारण प्रश्न समय में न लिए जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

कपूर, पीपरमेन्ट, हाथी दांत तथा अन्य केमिकल्स के कोटे का वितरण

६३५. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकार व उसकी एजेन्सी द्वारा राज्य सरकार को कुल कितना कोटा कपूर, पीपरमेन्ट, हाथी दांत व अन्य केमिकल्स का मिला तथा किस किस का वितरण किस प्रकार किया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(२) इसके वितरण के लिए सरकार ने क्या आधार निर्धारित किया है ? क्या जो आधार निर्धारित है उस पर अमल किया गया है ? यदि नहीं, तो किन किन मामलों में ?

सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

मिड़िल स्कूल, बामनवास

६३६. श्री भरतलाल (मलारना चौर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

१. मिड़िल स्कूल, बामनवास, जिला सवाई माधोपुर कितना पुराना मिड़िल स्कूल है ?

२. क्या यह सही है कि बामनवास में हायर सेकन्डरी के लिये स्कूल भवननवाब दिया गया है।

३. बामनवास मिड़िल व प्राईमरी दोनों को मिला कर छात्र संख्या कितनी है और उसमें शिड्यूल्ड कास्ट व ट्राईब्स के छात्रों का क्या पर्सेन्टेज है ?

४. क्या सरकार इसको हायर सैकिन्डरी स्कूलमें अपग्रेड करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

१. यह माध्यमिक शाला १६४५ से चालू है।

२. यह सही नहीं है केवल ५ कमरे २५×२० के तैयार हो गये और विकास अधिकारी के पत्र के अनुसार ४ कमरे जून तक तैयार हो जायेंगे।

३. बामनवास मिड़िल स्कूल व प्राइमरी कक्षाओं की छात्र संख्या ३८१ है, जिसमें से १८२ छात्र शिड्यूल्ड कास्ट व ट्राइब्स के हैं जो कि करीब ४८ प्रतिशत के होते हैं।

४. यदि अन्य शर्तों के साथ भवन की आवश्यक सुभीता प्राप्त हो जाती है तो अगले सत्र में खोले जाने वाले प्रस्तावों के साथ इस पर भी विचार कर उपयुक्त निर्णय ले लिया जायगा।

हिन्दुमल कोट-श्री गंगानगर रेल्वे लाईन

६३७. श्री जोर्वासिह चौहान(गिरवा) क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

१. क्या यह सही है कि हिन्दुमल कोट से

श्री गंगानगर तक रेल्वे लाइन बनाने की योजना के संबंध में भारत के रेल्वे मंत्रालय ने जब १९६१ में निर्णय लिया था उस समय यह शर्त रखी गई थी कि इस रेल्वे लाइन के लिये मिट्टी का कार्य, स्टेशन, प्लेटफॉर्म व स्टाफ के क्वार्टर्स राजस्थान की ओर से बनाये जायेंगे ?

२. क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार द्वारा इसके लिये कोई कार्य नहीं किये जाने के कारण रेल्वे बोर्ड ने इस रेल्वे लाइन के कार्य को चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रखा है ?

३. क्या सरकार इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र प्रारम्भ करने का विचार रखती है ताकि बीकानेर और गंगानगर क्षेत्र के अकाल ग्रस्त लोगों को इससे राहत पहुंच सके ?

४. क्या सरकार इस संबंध में भारत सरकार से भी शीघ्र कार्य प्रारम्भ करने का अनुरोध करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(३) जी हां।

(४) जी हां।

लघु उद्योग योजना—मावली क्षेत्र

९३८. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

१ क्या पंचायत समिति-मावली क्षेत्र में कोई लघु उद्योग प्रारम्भ करने की योजना है ?

२ पंचायत समिति, मावलीकी औद्योगिक प्रगति के लिये क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

उत्तर

सर्वेक्षण हो चुके हैं और अगर कोई उद्योग लगाना चाहें तो नियमानुसार राहत दी जायगी।

स्थगित प्रश्न

(३१—३—६४)

छमाही परीक्षा गर्ल्स स्कूल, हिण्डौन

९९९. श्री श्रवणलाल (हिण्डौन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सच है कि सन् १९६३ में हिण्डौन गर्ल्स स्कूल में ली गई छमाही परीक्षा में जो पेपर दिये गये थे उनमें पूरे वर्ष की पढ़ाई के प्रश्न पूछे गये थे जिस कारण लड़कियां अधिक संख्या में फेल हुई ?

(२) क्या यह भी सच है कि कुछ पेपर कम हो जाने के कारण टाईप करके दिये गये थे ?

(३) यदि हां, तो सरकार इसके लिए उत्तरदायी कर्मचारियों व अध्यापकों के बारे में क्या उदम उठा रही है ?

उत्तर

१. यह सच नहीं हैकि हिन्डौन गर्ल्सस्कूल

में छः माही परोक्षा में समस्त विषयों के प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा के दिये गये थे । हां, संस्कृत विषय का पेपर अवश्य वार्षिक परीक्षा का दिया गया था और वह भी गर्ल्स स्कूल की वार्षिक परीक्षा का नहीं था बल्कि निरीक्षक शिक्षणालय, करौली व उप-निरीक्षका कन्या शालायें, कोटा द्वारा, विद्युत परीक्षा कमेटी ने वार्षिक परीक्षा हेतु दिया गया था और प्रधानाध्यापिका ने उक्त प्रश्न पत्र को लिफाफे में बंद करके रख दिया था ।

२. यह भी सच नहीं है, क्योंकि प्रश्न पत्र निरीक्षक शिक्षणालय करौली व उप-निरीक्षका कन्या शालायें कोटा द्वारा नियुक्त प्रबन्ध कमेटी द्वारा ही भेजे जाते थे और परीक्षा के समय उनको साइक्लोस्टाइल्ड करा लिया जाता था । ऐसा ही छःमाही परीक्षा में प्रधानाध्यापिका द्वारा कराया गया ।

३. प्रश्न ही नहीं उठता । क्योंकि प्रधानाध्यापिका ने केवल वार्षिक परीक्षा का केवल संस्कृत विषय प्रश्न पत्र वितरित किया था और यह उसकी शाला का नहीं था । इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता क्योंकि वार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र नये कोर्स में से किया गया था ।

———

* शुद्धि-पत्र

(मंगलवार, ७ अप्रेल, १९६४)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्धि	शुद्धि
१	२	३	४
१	१०	शक्ति विभाग	शक्ति-विभाग
४०	१२	श्री सतीशचन	श्री सतीशचन्द्र
४५	१२	श्री लक्षमण प्रसाद	श्री लक्ष्मणप्रसाद
,,	१५	भवानी मण्डी	भवानीमण्डी
४८	२	प्रशोशन	प्रेसोशन
,,	८	दनका कार्य	दन का कार्य
५२	४ व १०	श्री भैरोंसिह	श्री भैरोंसिंह
६६	४	श्री सतोशचंद्र	श्री सतीशचन्द्र
,,	७ व ११	आचाय	आचार्य
६८	प्रथम	श्री दिरंनजन नाथ	श्री निरंजननाथ
८३	शीर्षक	अतारांकित	तारांकित
८५	शीर्ष	रघुबीरसिंह)	रघुवीरसिंह)
९०	अन्तिम से ५-४	कारपोरेशन	कॉर्पोरेशन
९२	१०	अधिकतम देने	अधिकार देने
९३	शीर्षक	राणाप्रतापसागर डेम की हड़ताल	याचिका का उपस्थापन
९५	,,	राणाप्रताप डेम की	राणा प्रतापसागर डेम में
९७	,,	शार्दूल टैक्सटाइल मिल	राणा प्रताप सागर डेम में हड़ताल

१	२	३	४
६८	१६	स्थगन, प्रस्ताव	स्थगन-प्रस्ताव
१०५-१०६	शीर्षक	सनवाड़ा में– स्थगन	शार्दूल टैक्सटाइल मिल-७ अप्रेल, १६६४-श्रम मन्त्री का वक्तव्य
१०८,११० व ११२	"	स्थगन	स्थगन-प्रस्ताव
१०८	१८	श्री निरजननाथ	श्री निरंजननाथ
१:३	शीर्षक	रा० वि० सभा (परिलाभ	स्थगन-प्रस्ताव
११४	"	संशोधन विधेयक, १६६४	विधेयक की वापसी
११५-१६	"	जोधपुर में...... विवाद	विधान सभा (अधिकारियों एवं सदस्यों को परिलाभ) ७ अप्रेल, १६६४ विधेयक, १६६४
११७	"	स्थिति ७	स्थिति-७
१२७	"	राज०........विधेयक	जोधपुर की खाद्य स्थिति-७अप्रेल, १६६४- पर वाद-विवाद
१२८	८	श्री अध्क्षय	श्री अध्यक्ष
"	११	जायगा । कल	जायगा, कल
१२६	१७	विश्नोई	विश्नोई
१३७,२१३	शीर्षक	राज० शरारोपण	राज० करारोपण
१६५	अन्तिम से ६-५	मलाई, खाने वालों····लगेगा ?	मलाई खाने वालों····लगेगा।
१६८,२२३	शीर्षक	राज० रोपण	राज० करारोपण
२३४	"	(सशोधन विधेयक	(संशोधन) विधेयक
२५२	५	श्री मरलीधर	श्री मुरलीधर

❀ विस्तृत शुद्धि-पत्र बाद में पृथक से मुद्रित होगा।